लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 59—शुक्रवार, 13 मई, 1966/23 वैशाख, 1888 (शक)

No. 59—*Friday, May* 13, 1966/*Vaisakha*, 23 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1661	खनिज उत्पादों का निर्यात	Export of Mineral Products .	8547–49
1662	रेलवे में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Class IV Staff on the Railways . .	8549–50
1663	सराय रोहिला के निकट रेलगाड़ी और कार की टक्कर	Train Car Collision near Sarai Rohila	8550–51
1664	नजरबाग रेलवे स्टेशन के निकट सत्याग्रह	Satyagrah near Nazarbagh Railway Station	8551–52
1665	रेलवे द्वारा दावों का निपटारा	Settlement of Claims by Railways	8552–53
1666	भारी पम्प तथा संवायी (कम्प्रेशर) संयंत्र	Heava Pump and Compressors Plant	8553–55
1667	रेलवे में कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff on Railways .	8555–57
1668	अवरुद्ध माल की अदला बदली	Exchange of Impounded Cargo .	8557–59
1669	कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw Materials .	8559–65

अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTIONS

31	पटसन मिलों का बंद होना	Closure of Jute Mills . .	8565–69
32	पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं की वापसी	Return of Goods Seized by Pakistan	8569–70

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1670	रेल साइकिल	Rail Cycle	8570–71

---

*किसी नाम पर अंकित यह (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उ सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—75 L. S./66

तारांकित प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1671	लोकोशड, इलाहाबाद में रेलवे स्टोर में आग लग जाना	Fire in Railway Stores (Locoshed, Allahabad)	8571
1672	हैदराबाद में "रिपब्लिक फोर्ज" परियोजना	Republic Forge Project in Hyderabad	8571-72
1673	कच्चे माल की मांग तथा पूर्ति	Demand and Supply of Raw Materials	8572
1674	भारतीय सहयोग से केन्या में "प्रतिदीप्त स्थापक (फ्लोरेसेन्ट फिक्सचर्स)" का निर्माण	Manufacture of Fluorescent Fixtures in Kenya with Indian Collaboration	8572
1675	कच्चे लोहे का उद्योग समूह	Pig Iron Complex	8573
1676	रेलवे में प्रथम श्रेणी के नये पद बनाना	Creation of Class I Posts in the Railways	8573
1678	खादी ग्रामोद्योग	Khadi and Village Industries	8573-74
1679	उत्तर रेलवे में यमुनानगर के पास रेलवे की सम्पत्ति का बरामद किया जाना	Recovery of Railway Goods near Yamunanagar (N. Rly)	8574
1680	आयात की गई खजूर	Imported Dates	8574-75
1681	रेलगाड़ी में डकैती	Robbery in Train	8575
1682	रेलवे में फालतू कर्मचारी	Superfluous Personnel on the Railway	8575-76
1683	बारान स्टेशन पर रेलवे वैगन में आग लग जाना	Fire to Railway Wagons at Baran Station	8576
1684	राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम	.T.C. and M.M.T.C.	8576
1685	इस्पात कारखानों और बन्धित (कैपटिव) खानों के श्रमिक	Steel Plant and Captive Mine Workers	8577
1686	स्वदेशी कॉटन मिल, इंदौर	Swadeshi Cotton Mill, Indore	8577
1687	रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों पर लाठी प्रहार	Lathi Charge by the Railway Police on Passengers	8578
1688	रसायन निर्माताओं के लिये आर्थिक सहायता	Subsidy for Chemical Manufacturers	8578-79
1689	नेपा पेपर मिल्स	NEPA Paper Mills	8579
1690	जूते बनाना	Manufacture of Shoes	8579
1690-क	नागालैंड आदि का सर्वेक्षण	Survey of Nagaland etc.	8579-80

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5542	जस्ता पिघलाने की परियोजना, उदयपुर	Zinc Smelter Project, Udaipur	8580
5543	ढलाई इस्पात, कारखाना, मद्रास	Casting Steel Plant, Madras	8580-81

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5544	केरल में खपरेल (टाइल) बनाने के कारखाने	Tile Factories in Kerala	8581
5545	मेरीन डीजल इंजन निर्माण कारखाना	Marine Diesel Engine Manufacturing Factory . . .	8581–82
5546	केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries in Kerala	8582–83
5547	मालाबार में चीनी मिट्टी के निक्षेप	Deposits of China Clay in Malabar	8583
5548	खादी का फालतू स्टाक	Surplus Stock of Khadi . . .	8583
5549	अमरीका से उपशामक गोंद (ट्रेंक्विलाइजर गम) का आयात	Import of Tranquiliser Gum from U.S.A.	8583
5550	उड़ीसा में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Orissa .	8584
5551	उड़ीसा में शक्ति चालित हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers in Orissa . .	8584
5552	उड़ीसा में रेलवे पुल	Railway Bridges in Orissa .	8584
5553	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants . .	8584–85
5554	समय सारिणी में दी गई किन्तु न चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains included in Time Table but not running . . .	8585–86
5555	औद्योगिक विकास	Industrial Growth . . .	8586–87
5556	चलती गाड़ियों में यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Passengers in Running Trains	8587
5557	कालका मेल में लगाये जाने वाले भोजन यान (डाइनिंग कार) के कर्मचारी	Dining Car Staff attached to Kalka Mail . . .	8587
5558	मेवों का आयात	Import of Dry Fruits	8587–88
5559	रेडियेटर (तापनाशक यंत्र) की खरीद	Purchase of Radiators	8588
5560	जोधपुर आगरा लाइन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment on Jodhpur-Agra Line	8589
5561	सस्ते रेडियो	Cheap Radio Sets . .	8589
5562	बुन्देल खंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Bunde lkhand	8589–90
5563	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	H.E.L. Bhopal	8590
5564	चाय बोर्ड	Tea Board	8590
5565	चाय उत्पादक	Tea Planters	8590–91
5566	ब्रिटिश गियाना से चावल का आयात	Import of Rice from British Guiana	8591
5567	कारी पहाड़ी स्टेशन	Kari Pahari Station . . .	8591–92
5568	पाकिस्तान रक्षा कोष के लिये दिल्ली क्लाथ मिल्स का अंशदान	D.C.M. Contribution to Pak. Defence Fund	8592
5569	उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खे	Ambar Charkhas in U.P. . .	8592–93
5570	लघु उद्योग सेवा संस्था	Small Industries Service Institutes	8593
5571	पांचवें इस्पात कारखाने का लक्ष्य	Target of Fifth Steel Plant. .	8593

तारांकित प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5572	रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का सेवा-काल बढाया जाना	Extension of term of Chairman, Railway Board	8594
5573	पश्चिम जर्मनी के तकनीशियन	West German Technicians	8594
5574	राजस्थान में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Cooperative Societies in Rajasthan	8594–95
5575	राजस्थान में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Rajasthan	8595
5576	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in U.P.	8595
5577	रेलवे के लिये ढली वस्तुएं तथा माल डिब्बे बनाने का कारखाना	Plant for Railway Casting and Wagons.	8596
5578	शीरे से उप-उत्पादकों का उत्पादन	Production of Bye-products from Molasses	8596
5579	गाजियाबाद तथा शाहदरा के बीच रेलवे लाइन	Railway Track between Ghaziabad and Shahdara	8596–97
5580	निर्यात	Exports	8597
5581	उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने	Industrial Units in Orissa	8597
5582	दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री	Sale of Handicrafts	8597–98
5583	उड़ीसा के लिये कोयले ढोने वाले डिब्बे	Coal Wagons for Orissa	8598
5584	बिहार में पटसन का कारखाना	Jute Mill in Bihar	8598–99
5585	मोटरगाड़ी उद्योग को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Automobile Industry	8599
5586	अखबारी कागज का उत्पादन	Newsprint Production	8600
5587	विदेशी ऋण का माल के रूप में भुगतान	Payment of Foreign Loans in the Form of Goods	8600
5588	उड़ीसा में कुटीर उद्योग तथा खादी तथा ग्रामोद्योग	Cottage Industries and Khadi and Village Industries in Orissa	8600
5589	ट्रेक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	8601
5590	इस्पात की मांग	Steel Requirements	8601–02
5591	उत्तर प्रदेश में चलती रेलगाड़ी में यात्री का गोली से मारा जाना	Passenger Shot Dead in Running Train in U.P.	8602–03
5592	पंजाब में रेशम उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Punjab	8603
5593	इस्पात का आयात	Import of Steel.	8603
5594	पंजाब में भारी उद्योग	Heavy Industries in Punjab	8603–04
5595	पंजाब में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Punjab	8604
5596	दस्तूर एण्ड कम्पनी	Dastur and Co.	8604
5597	चुराये गये माल की गंगापुर सिटी स्टेशन पर बरामदगी	Recovery of Stolen Goods at Gangapur City Station.	8604–05
5598	जालधंर में आयोजित जनसंघ के अधिवेशन के लिये विशेष रेलगाडियां	Special Trains for Jan Sangh Session in Jullundur	8605

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5599	तेकतार रेलवे हाल्ट	Tektar Railway Halt.	8605
5600	बिहार में कोयला खान	Coal Mine in Bihar . . .	8606
5601	पुराने टिकटों पर तारीख बदलना	Changing the dates of old tickets .	8606
5602	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings .	8606
5603	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with U.A.R. .	8607
5604	डीजल वर्कशाप, शकूरबस्ती के कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन	Fast unto death by Employees of Diesel Workshop, Shakur Basti	8607
5605	ट्रांजिस्टर क्रिस्टलों का पार्सल	Parcel of Transistor Crystals .	8607–08
5606	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के लिये उपकरण	Equipment for Geological Survey of India	8608
5607	एक्सप्रेस मालगाड़ी दुर्घटना की जाँच	Enquiry into Cause of Express Goods Train Accident . .	8608
5608	उद्योगों के लिये लाइसेंस देने के बारे में प्रक्रिया	Industrial Licensing Procedure .	8609
5609	निर्यात सहायता योजनायें	Export Assistance Scheme .	8609
5610	हिन्दुस्थान मशीन ट्रूल्स की घड़ियां	H.M.T. Watches	8609–10
5611	भारत सेवक समाज पत्थर तोड सहकारी समिति	Bharat Sewak Samaj Stone Crushing Cooperative Society . .	8610
5612	कांडला-वीरमगाम-अहमदाबाद बड़ी लाइन	Kandla—Viramgam—Ahmedabad B. G. Line	8610
5613	भारतीय इस्पात का निर्यात	Export of Indian Steel . .	8610–11
5614	दुर्घटना जांच समिति	Accidents Enquiry Committee	8611
5615	इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Revision of Steel Price . .	8611–12
5616	अमरीका को बीडियों के नमूने भेजना	Samples of Bidis sent to U.S.A. .	8612
5617	भोजन यान (डाइनिंग कार) में आग लग जाना	Fire in Dining Car	8612
5618	गिलट के घनोडों (निकल के नोड) का आयात	Import of Nickel Anodes . .	8612–13
5619	ऊनी हौजरी उद्योग	Woollen Hosiery Industry . .	8613
5620	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	Diesel Locomotive Works, Varanasi	8613–14
5621	राजस्थान में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Rajasthan.	8614–15
5622	राजस्थान में कपड़ा मिल	Textile Mill in Rajasthan .	8615
5623	कोयला संस्थाएं	Coal Associations . .	8615–16
5624	ढका हुआ मालगाड़ी का डिब्बा (बोक्स वगन)	Box Wagons . . .	8616
5625	इटारसी स्टेशन पर अस्पताल की सुविधायें	Hospital Facilities at Itarsi Station	8616

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5626	मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सर्वेक्षण	Survey in Narsinghpur District, Madhya Pradesh	8617
5627	पटियाला में बिस्कुट फैक्टरी	Biscuit Factory at Patiala . .	8617
5628	रेलवे गार्ड	Railway Guards . . .	8617–18
5629	गत्ते और कागज की लुगदी का उत्पादन	Manufacture of Card Board and Paper Pulp	8618
5630	पटना सिटी स्टेशन	Patna City Station . . .	8618
5631	रेलगाड़ी में एक शव मिलना	Discovery of a Dead Body in Train	8619
5632	उड़ीसा का भूतत्वीय-सर्वेक्षण	Geological Survey of Orissa .	8619–20
5633	रेलवे स्टेशनों पर टी स्टील तथा ट्रालियां	Tea Stalls and Trollies at Railway Stations.	8620
5634	माल-डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons . . .	8620–21
5636	भारतीय इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन	World Bank Report on Indian Steel Industry . . .	8621
5637	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मालगाड़ी का पटरी से उत्तर जाना	Derailment of Goods Train on the North East Frontier Railway .	8621
5638	महाराष्ट्र में चिकनाई निष्प्रभाव्य कागज का उत्पादन	Manufacture of Grease Proof paper in Maharashtra . . .	8622
5639	राजस्थान में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Rajasthan .	8622
5640	सूती कपड़े की चलन की क्षमता	Life of Cotton Cloth . .	8622–23
5641	मैसूर में रुई की मिलें	Cotton Mills in Mysore . .	8623
5642	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd. .	8623–24
5643	सीमेंट का वितरण	Distribution of Cement . .	8624–25
5644	रेलवे मंत्रालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Ministry of Railways	8625
5645	रूरकेला में सीमेंट का कारखाना	Cement Plant at Rourkela. .	8625
5646	केरल में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Kerala .	8626
5647	केरल में अधिक विद्युत दबाव वाल्टे के स्वीच गियर बनाने का कारखाना	High Voltage Switch Gear Factory in Kerala	8626
5648	बैरनहाल रेलवे स्टेशन की घटना	Incident at Baivanhal Railway Station	8626–27
5649	लुधियाना में फ्रंटियर मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न	Attempt to derail Frontier Mail at Ludhiana	8627
5650	बम्बई सेंट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर आरक्षण	Reservations at Bombay Central and Ahmedabad Stations .	8627
5651	इजतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर कर लगाया जाना	Tax imposed on Railway Employees of Izatnagar . .	8628
5652	इजतनगर के रेलव कर्मचारियों पर कर लगाया जाना	Tax imposed on Railway Employees of Izatnagar . . .	8628

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5653	कोटा रेलवे स्टेशन के गोदाम में अग्निकाण्ड	Fire on Godown of Kotah Railway Station	8628
5654	रेनिगुण्टा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने का ऊपर का पुल	Foot-over-Bridge at Renigunta Railway Station . . .	8628–29
5655	ढोरों के लिये चारा तैयार करने वाले कारखाने	Cattle Feed Factories . .	8629
5656	सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्तियां	Filling up to Top Posts in Public Undertakings . . .	8629–30
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	12 मई, 1966 को गाजियाबाद में रेल गाड़ियों का रोका जाना	Hold-up of trains at Ghaziabad on 12th May, 1966 . .	8630–31
	विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	Re. Questions of Privilege .	8631
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	8632–33
	अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1963-64—	Demands for Excess Grants (General), 1963-64—	
	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented . .	8633
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	8633
	शिक्षा के लिये योजना आवंटनों के बारे में याचिका	Petition re. Plan Allocations for Education	8634
	योजना मंत्री के अपनी संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की यात्रा संबंधी वक्तव्य के बारे में—	Petition re. Plan Allocations for Visit to USA and Canada—	
	श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta . .	8634–39
	खाद्य मंत्री द्वारा अकाल संहिता के बारे में दी गई कुछ जानकारी तथा उसके उत्तर के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Certain Information given by Food Minister on Famine Code and reply thereto—	
	डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	8639–40
	श्री चि० सुब्रम्हण्यम	Shri C. Subramaniam .	8640
	पेटन्टस विधेयक—	Patents Bill—	
	संयुक्त समिति के लिये एक सदस्य नियुक्त करने के बारे में राज्य-सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to nominate Member to Joint Committee	8641

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उड़ीसा विधान-सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक	Orissa Legislative Assembly (Extension of Duration) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	8640–41
श्री जेना	Shri Jena . . .	8641
श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak .	8641
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	8641
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8641–42
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	8642
श्री गोपाल स्वरुप पाठक	Shri G. S. Pathak . .	8642
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
नवासीवां प्रतिवेदन	Eighty-ninth Report . . .	8642–43
विधेयक पुरःस्थापित किये गये—	Bills Introduced—	
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन) श्री अब्दुल गनी गोनी द्वारा	(i) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of the Eighth Schedule by Shri Abdul Ghani Goni. . . .	8643
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत द्वारा	(ii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath	8643
संविधान (संशोधन) विधेयक–अस्वीकृत—	Constitution (Amendment) Bill—*Negatived*—	
अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन श्री हरि विष्णु कामत द्वारा—	Amendment of Articles 75 and 164 by Shri Hari Vishnu Kamath—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	8644
संविधान (संशोधन) विधेयक-वापस लिया गया —	Constitution (Amendment) Bill—withdrawn—	
अनुच्छेद 136, 226 आदि का संशोधन— श्री श्रीनारायण दास द्वारा—	(Amendment of articles 136, 226 etc.) by Shri Shree Narayan Das—	
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8645–46
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	8646
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit . . .	6846–47
श्री मान सिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel .	8647
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	8647
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida	8647–48
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	8648
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	8648
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman .	8649
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1965— वापस लिया गया–	Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1965—withdrawn	
धारा 5 का संशोधन–श्री यशपाल सिंह द्वारा	Amendment of section 5 by Shri Yashpal Singh .	8649

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
संविधान (संशोधन) विधेयक— (अनुच्छेद 1 तथा 393 का संशोधन) श्री कृष्ण देव त्रिपाठी द्वारा—	Constitution (Amendment) Bill— Amendment of Articles 1 and 393 by Shri Krishna Deo Tripathi—	
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी	Shri Krishna Deo Tripathi .	8650
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan . .	8651
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8651
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	8651–52
अत्यावश्यक वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion re. Decontrol of Essential Commodities—	
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	8652–53
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	8653–54

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 13 मई, 1966/23 वैशाख, 1888 (शक)
Friday, May 13, 1966/Vaisakha 23, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खनिज उत्पादों का निर्यात

+

*1661. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की कोई सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादन कितना बढ़ाया जा सकता है;

(ग) उत्पादन को बढ़ाकर कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : खनिज उत्पादों के निर्यात को 75 करोड़ रु० (लगभग) से बढ़ाकर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में लगभग 122 करोड़ रु० कर देने की आशा है ।

(घ) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें खनिज उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपाय दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6337/66]** ।

श्री स० चं० सामन्त : फ़ेरो-मैंगनीज़ के निर्यात की क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : अमेरिका के सी० सी० सी० वस्तु विनिमय के कारण इस वर्ष फ़ेरो-मैंगनीज की निर्यात काफी अच्छी रही है और फ़ेरो-मैंगनीज का उत्पादन बढ़ाने का हमारा इरादा है ताकि और अधिक निर्यात हो सके ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे मंत्रालय द्वारा केवल मैंगनीज का व्यापार क्यों होता है और यह मंत्रालय इसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता ?

श्री मनुभाई शाह : हम इसका बन्दोबस्त कर रहे हैं; हम सब खनिज उत्पादों का बन्दोबस्त कर रहे हैं । दूसरा मंत्रालय हमारी सहायता करता है ताकि अधिक उत्पादन हो ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know which are the mineral products that are exported and which are the products the production of which is to be expanded. As given in the statement that 40% import Entitlement is given in respect of ferro-manganese the reasons for less entitlement for other products ?

Shri Manu Bhai Shah : Primary Minerals are covered under para (1) and the processed minerals which also include some machinery, chemicals and some imported articles come to 40 % out of the other minerals that are expanding, one is iron ore. As is known to the House we want to increase the production from the level of 12 m. tonnes to 25 m. tonnes. Manganese is expanding to some extent and it will expand even more as the world demand has increased. Bauxite is one of the minerals the export of which is falling because it is required for our own uses. The work for increasing the production of aluminium is increasing as this mineral is found in abundance. We can provide it to the world as well as meet the home market. As regards minor minerals, Talc and Mica production has greatly increased.

श्री प्र० चं० बरुआ : ऐसे कौन से खनिज पदार्थ हैं जिनमें विश्व बाजारों में प्रतियोगिता करने की क्षमता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सी बाधाएं हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक विश्व के बाजार में प्रतियोगिता का सम्बन्ध है यह एक विवादपूर्ण विषय है कि हमें सामान बेचना पड़ता है चाहे उत्पादन की स्थानीय लागत अधिक हो । ऐसा कई परिस्थितियों के कारण होता है, क्यों कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, परिवहन लागत यहां बहुत अधिक है; अन्य प्रतियोगी देशों में खानें या तो बन्दरगाहों के किनारे पर स्थित हैं या समुद्र के पास है और इस कारण रेलवे भाडे पर उन्हें अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। जैसा कि सभा को मालूम है, कभी कभी लोह अयस्क का निर्यात मूल्य 40–50 रुपये होता है लेकिन केवल रेलवे भाड़ा 40 रुपये होता है । इस कारण हमें इस मामले में बड़ा सावधान रहना पड़ता है । हमें मध्य प्रदेश के अन्दरुनी भागों, बिहार, मैसूर अथवा अन्य राज्यों के दूर दूर भागों से माल लाना पड़ता है। इसलिए उत्पादन की लागत को और परिवहन खर्च को यथासम्भव अधिक से अधिक कम करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और खनिज लोहा, मैंगनीज, बोक्साईट और अन्य सभी खनिजों को प्रतियोगिता के आधार पर बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेल मंत्री सहायता नहीं कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : वह पूरा सहयोग दे रहे हैं ।

Shri M. L. Verma : I want to know from the hon. Minister that from the mica which is exported in the form of raw material, can't we derive the benefits in the form of finished material by erecting an industry abroad.

Shri Manu Bhai Shah : Mica of the value of Rs. 13 to 13 1/2 crores was exported during the last three years, which includes processed mica of the value of Rs. 3 crores and as is known to hon. member earlier only raw mica was exported. Now by degrees we are taking the direction they desire.

श्री तिम्मय्या : खान मालिकों को दी गई कुछ रियायतों ने खनिजों के उत्पादन और खनिज के निर्यात में कहां तक सहायता की है ?

श्री मनुभाई शाह : सारा श्रेय हम अपने लिए नहीं लेना चाहते । खान-स्वामियों ने स्वयं बहुत कुछ किया है लेकिन इस वर्ष के 75 करोड़ रुपये से बढाकर अगले पांच वर्षों में निर्यात का 122 करोड़ रुपये तक विस्तार करना हमारी सहायता के बिना सम्भव नहीं होगा ।

श्री मं० रं० कृष्ण : संसद सचिव के नाते उनका भी काफी अंशदान है ।

श्री भागवत झा आजाद : इसे वह भूल गये हैं ।

Appointment of Class IV Staff on the Railways

+

***1662. Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the provisions of the Preamble to the Constitution regarding Social Justice, Government propose to appoint local people in Class IV services on various Divisions of the various Railways;

(b) whether orders have been issued in this regard; and

(c) if so, how far these orders have been implemented ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The orders are generally followed on Railways.

Shri Bibhuti Mishra : Whether the Government have got the statistics showing that the persons appointed on the various Railway stations in class IV services have been recruited locally or outside ? It so happens that the persons in Divisional Headquarters who are known to high officers are only appointed and the others do not get a chance.

Mr. Speaker : Your main question sought the same information ?

Dr. Ram Subhag Singh : The hon. member has got his reply. Class IV appointments are made by Division H.Q. and Distt. H.Q. and district system is prevalent in N.E.R. from where they are posted but care will be taken that the local people are given preference.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know whether Government have issued any instructions to Distt. H.Q. and Division H.Q. that they appoint the people from all places. Appointment of known people by Class I and Class II officers should not be continued ?

Dr. Ram Subhag Singh : Already there are instructions to this effect. They will again be reminded.

Shri K. N. Tiwary : Has any complaint been received in regard to the present system of appointment of Class IV employees that it creates difficulties? If so, hat steps are being taken ?

Dr. Ram Subhag Singh : You had verbally told me that they are not sufficient in numbers and we have not received any specific complaint in writing.

Shri Bhagwat Jha Azad : While appreciating the Minister's statement that local people are appointed in the various divisions, I want to know from the hon. Minister that whether he has examined on sample basis that local people have been given preference or outsiders are more in numbers in the Eastern Railway as for instance Danapur Division, if this rule has been accepted.

Dr. Ram Subhag Singh : Some of the Class VI employees come from other places, but local people are working at other places also.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that when Hindi language is going to be a medium for IAS examination it is expected that class IV employees know English?

Dr. Ram Subhag Singh : Class VI employees are not harassed on account of English or Hindi. They should know the local language.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि रेलवे मंत्रालय से अनुदेशों के बावजूद और मंत्री महोदय का प्रयत्न कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय रूप से की जाये, इसके बावजूद भी न केवल स्थानीय कर्मचारी ही बहाल नहीं किये गये, बल्कि कई हरिजन और आदिवासी जो भली भांति इन सेवाओं में लगाये जा सकते थे, नहीं लगाये गये और बाहर से लोग बुलाये गये ? यदि उत्तर हां में है तो मंत्री महोदय कौन से विशेष उपाय करेंगे जिससे उनके आदेशों का सख्ती से और शीघ्र पालन हो ?

Dr. Ram Subhag Singh : At present there are 1 lakh, 66 thousand and 115 scheduled Castes and 27,993 Scheduled Tribes in Class IV services and as you said that they are not appointed ; when some information is received on this point, we will take steps to reform it. So far as we are informed there is no point of injustice towards them.

श्री गोकुलानन्द महन्ती : भाग (ख) में बताये गये आदेशों को सरकार ने कब जारी किया, उन्होंने अमल का पुनर्विलोकन कब किया और इसकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

डा० राम सुभग सिंह : एक सामान्य अनुदेश है कि स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाये और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के लिए निर्धारित अंशों को अवश्य पूरा किया जाये, और यदि हो सके तो उन्हें सेवाओं में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये।

Shri Gulshan : Is it not a fact that injustice is done to the Scheduled Castes in the appointments of Class IV Services made in the Headquarters of Regional Railways. After the statement of hon. Minister we are satisfied also that full appointment is made of Class IV employees. What is Minister's view as regards class III and class II appointments? Are they appointed on all posts?

Mr. Speaker : This question relates to class IV services.

सराय रोहिल्ला के निकट रेलगाडी और कार की टक्कर

*1663. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 दिसम्बर, 1965 को सराय रोहिल्ला के निकट एक रेलवे फाटक पर एक रेलगाड़ी से टक्कर में एक कार चकनाचूर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस बीच दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां । कार को मामूली क्षति पहुंची ।

(ख) यह दुर्घटना रेल-कर्मचारी की गलती के कारण हुई ।

(ग) और (घ): जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार जिस फाटक वाले ने सड़क यातायात को रोकने के लिए नाका गिराया था और साथ ही गाड़ी गुजारने के लिए अप गैट सिगनल दिया था, उसने वस्तुत: गाड़ी के समपार पर पहुंचने से पहले ही नाका उठा लिया, जिससे दुर्घटना हो गयी ।

Shri Yashpal Singh : May I know that the level crossing near Sarai Rohilla was unmanned or there was Gatekeeper or some other person on duty ?

Dy. Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): This is class A manned level crossing of the Railways. There are three Gate men on duty with a shift of 8 hours.

Shri Yashpal Singh : Then why it was not closed and how it remained open when three persons were on duty?

Shri Sham Nath : I have replied in answer to the question that it was due to the failure of gateman. He had lifted the barrier before the train had actually negotiated the level crossing which led to this accident.

Shri Yashpal Singh : What punishment was awarded to him. ?

Shri Sham Nath : His increment has been stopped ?

नजरबाग रेलवे स्टेशन के निकट सत्याग्रह

*1664. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 तथा जनवरी, 1966 में नजरबाग रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के निकट सैकड़ों नागरिकों ने सत्याग्रह किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) क्या यातायात के लिये किसी रेलवे लाइन के बन्द किये जाने के विरोध में यह कार्य किया गया था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां

(ख) और (ग): जाहिर तौर पर सानला-आमरण रोड छोटी लाइन सेक्शन बन्द हो जाने के कारण ऐसा किया गया ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether after the Satyagraha, the Railway Ministry have decided to reopen the line after considering the demands of the citizens?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : There is no proposal to reconsider this matter.

Shri Madhu Limaye : What are reasons for closing this line and for not giving due consideration to the demands of the citizens ?

Shri Sham Nath : The reason is that great loss was being suffered and there are sufficient road facilities in the area through which this line passes; therefore, this decision was taken in consultation with the State Government.

रेलवे द्वारा दावों का निपटारा

*1665. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे देय धन को लौटाने तथा दावों को निपटाने में अधिक से अधिक तथा कम से कम कितना समय लगाती है; और

(ख) क्या तत्संबंधी व्यवस्था को सुधारने और उसे सुचारू बनाने तथा इस प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये हाल में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रकम की वापसी और भुआवज़े के भुगतान से सम्बन्धित दावों को निबटाने में न्यूनतम एक दिन से कम समय लगता है। 1964–65 में इनके निबटारे में औसतन क्रमश: 39 दिन और 31 दिन लगे। एक दाव के निबटारे में अधिकतम कितना समय लगा, इस बात का पता लगाना सम्भव नहीं हो सका है। लकिन कुछ मामले ऐसे थे जिनके निबटारे में एक वर्ष से भी अधिक समय लग गया।

(ख) जांच करने, जरूरी कागज़ातों को इकट्ठा करने तथा दावों के सत्यापन आदि में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इन्हीं कारणों से दावों के निबटारे में देरी होती है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार इस कार्य की वर्तमान प्रक्रियाओं और इसकी गति से संतुष्ट है ?

डा० राम सुभग सिंह : जबकि 31 दिन की औसत है तो स्पष्टत: हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसमें और कमी हो।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को पता है कि कई मामले 3 वर्ष या इससे अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और यह कि कुछ मामलों में सरकार स्वयं देर लगा कर परिसीमन की दलील देती है ? मैं व्यक्तिगत रूप से एक दावे को जानता हूं जो लगभग 9 महीने पहले किया गया था और जिसका निपटारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे अनेक मामले हैं।

डा० राम सुभग सिंह : हो सकता है ऐसे मामले हों जो 3 वर्षों से लम्बित पड़े हों ; मैं इससे इन्कार नहीं करता क्योंकि अनेक मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं और ऐसे भी मामले हैं जिनसे सम्बन्धित कागज़ात नहीं मिल पाये और जाली बिल्टी भेजने के मामले भी हैं जिनमें अधिक राशि का दावा किया गया है। इन सब बातों को छोड़ कर जिनमें कोई सम्बन्धित दावा नहीं है, यदि माननीय सदस्य अपना मामला भेज सकें तो हम उसकी जांच करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे कोई विशेष कृपा नहीं चाहिये । मैंने यह बताया है कि आम तौर पर इसमें कई वर्ष लग जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है परन्तु यदि मामला उनकी जानकारी में लाया जाता है तो इसमें सदस्य के प्रति कृपा की कोई बात नहीं है ।

Shri K. N. Tiwary : Do Government propose to lay a time limit for the settlement of the claims ?

Dr. Ram Subhag Singh : As already stated last year's average was 31 days, but want to reduce it still further.

Shri Ram Harakh Yadav : Is it a fact that the reason for the delay in settling the claims is that these claims cases are governed by the Railway Act and a lot of time is taken in the office of the Chief Commercial Superintendent ?

Dr. Ram Subhag Singh: I will give a copy of all the laws of the Railway to the hon. Member and we will consider all the suggestions that will be given by the hon. Member.

Shri Bhagwat Jha Azad : If any body makes a default in paying the dues of the Railway he is punished with severe penalties. Do Government propose to make a similar law with respect to claims of the private persons against Railway as this will minimise the chances of delay ?

Dr. Ram Subhag Singh : We will consider this.

Shri U. M. Trivedi : Is the hon. Minister aware that even after the settlement of claims it takes as many as three years in making payments ?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, the average time taken in paying the compensation during the year 1964-65 is 39 days, but we want to reduce it still further.

Shri Vishram Prasad : Is the hon. Minister aware that at the time of payment of the arrear to a person, that person has to give sufficient amount in the form of graft ?

Dr. Ram Subhag Singh : If specific cases are brought to our notice, we will certainly look into them and take necessary action.

भारी पम्प तथा संदाबी (कम्प्रेशर) संयंत्र

+

*1666. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूसी सहयोग से इलाहाबाद के निकट एक भारी पम्प तथा संदाबी संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब लगाया जायेगा ; और

(ग) उसकी क्या शर्तें हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट इस वर्ष सितम्बर तक आ जाने की आशा है । इस कारखाने की स्थापना की तारीख का निश्चय इस रिपोर्ट के आ जाने और उस की जांच पूरी हो चुकने के बाद ही किया जा सकेगा । मौजूदा अनुमानों के अनुसार आशा है कि निर्माण कार्य जनवरी, 1963 में आरम्भ होगा और उत्पादन 1970-71 में किसी समय शुरु हो जायेगा ।

(ग) विदेशी सहयोग की शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Shri Vishwanath Pandey : From the Government's decision to establish a heavy pump and compressure plant near Allahabad with the Soviet collaboration it appears that these equipments are in shortage in the country. What is our requirement of heavy pumps and compressures? What is our production and what is the quantum of import of these items?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसी दृष्टि से यह संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । इसमें प्रतिवर्ष 16,700 टन के हिसाब से भारी काम करने वाले संदाब तैयार किये जायेंगे और यही हमारी अनुमानित आवश्यकता है ।

Shri Vishwanath Pandey : May I know whether apart from Russia, Government have held negotiations with any other country for the establishment of similar plants , if so, the result thereof ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह आवश्यक नही है क्यों कि रूस से हमे न केवल तकनीकी सहायता ही मिल रही है अपितु आर्थिक सहायता भी मिल रही है ।

श्री फिरोडिया : इस परियोजना में स्वदेशी संसाधनों का क्या भाग होगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इसका पता लगेगा । आशा है कि यह सितम्बर या अक्तूबर तक प्राप्त हो जायेगा ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : किन बातों को ध्यान में रख कर इस संयंत्र को इलाहाबाद के निकट लगाने का निर्णय किया गया है और क्या देश के अन्य शहरों में भी रूसी सहयोग के अतिरिक्त अन्य किसी देश के सहयोग से ऐसा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जैसा कि अनुमान लगाया गया है इससे देश की आवश्यकता पूरी हो जाती है और दूसरा संयंत्र लगाने का प्रश्न नहीं उठता है । जहां तक इलाहाबाद के निकट नैनी में इस सयंत्र के लिये स्थान चुनने का सम्बन्ध है, रूसी विशेषज्ञों ने अनेक स्थानों का दौरा किया और उन्होंने निर्णय किया कि यह सब से उपयुक्त स्थान है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : वर्तमान कारखानों की देश में पम्पों और संदाबों के निर्माण की क्या क्षमता है और इस संयंत्र के स्थापित किये जाने से इस क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : गैर-सरकारी क्षेत्र में कई कारखाने इनका निर्माण कर रहे हैं । परन्तु वे छोटे आकार के पम्प सेट और संदाब हैं । क्षमता के बारें में जैसा कि मैंने बताया यह 16,000 टन है ।

Shri Vishram Prasad : What steps are being taken in regard to the recommendations of the Patel Commission which visited Ghazipur, Devaria, Jaunpur and Azamgarh and recommended the opening of similar industries there ?

श्री विभूधन्द्र मिश्र : यह एक पृथक प्रश्न है । यह ठीक है कि योजना आयोगने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की जांच करने के लिय एक दल को भजा था और उसने एक विशष प्रतिवेदन भेजा है । यह एक पृथक प्रश्न है ।

रेलवे में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

+

*1667. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की नेशनल फेडेरेशन ने हाल में कर्मचारियों के बड़ पैमाने पर तथा अनुसूचित स्थानान्तरण किये जाने के विरुद्ध रेलवे बोर्ड को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) अभ्यावेदन में क्या बातें उठाई गई हैं; और

(घ) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सभा पटल पर एक बयान रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6338/66 ।**]

श्री कोल्ला वैंकैया : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि वर्ष के मध्य में जो स्थानान्तरण किये जाते हैं उनसे रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में बहुत असुविधा पहुंचती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि विवरण में दिया गया है स्थानान्तरण शैक्षिक अवधि के अन्त में किये जाते हैं ताकि कर्मचारियों के बच्चों को अधिक कठिनाई न हो ।

Shri Rameshwaranand : In certain cases even the employees getting less than Rs. 100 as pay are transferred to distant places as a result of which their family life is disrupted and it becomes difficult for them to make both ends meet. Will Government consider this matter and see that they are not transferred to distant places ?

Dr. Ram Subhag Singh : Greater care is taken to see that Class IV employees are not transferred to distant places, but during emergency we have to work according to need.

श्री उ० मु० त्रिवेदी : क्या इन बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण के विरुद्ध अहमदाबाद के वाणिज्यिक क्लर्कों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि विशेष रूप से वाणिज्यिक क्लर्कों के लिये जिन्हें कि अनजाने कारणों से गैरआवश्यक समझा जाता है, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर में स्थानान्तरण करने पर आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती और उन्हें बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ता है ? क्या उनके स्थानान्तरणों को अहमदाबाद नगर क्षेत्र के स्टेशनों तक ही सीमित रखा जायेगा जहां पर कि पांच बड़े स्टेशन हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : आवास की कमी के कारण कर्मचारियों के लिये जो कठिनाइयां पैदा हो गई है हम उनको जानते हैं परन्तु भ्रष्टाचार जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, इन विषयों से सम्बन्धित पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का एक निश्चित अवधि तक काम करने के बाद

स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है और पांच वर्ष तक उन्हें उस स्टेशन पर नहीं लाया जाता। परन्तु जो कठिनाइयां बताई गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस मामले पर नये सिरे से विचार कर रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे अपने श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, मैं नहीं समझता कि औसत तौर पर 45 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था है और देश की शिक्षा पद्धति में भाषाई कठिनाइयों को भी ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समूचे प्रश्न पर विचार करेगी ताकि स्थानान्तरण के मामलों में होने वाली कठिनाइयों को रोका जा सके और कमचारी रेलों को सुचारू रूप से चलाने में अधिक ध्यान दे सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया हम इस समूचे मामले पर विचार कर रहे हैं। परन्तु इन क्लेरीकल कर्मचारियों को एक खंड से ऐसे दूसरे खंड में स्थानान्तरित नहीं किया जाता है जहां कि कोई भाषाई कठिनाई उत्पन्न हो। कभी कभी उन्हें एक खंड से दूसरे खंड में उनके अपने अनरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है परन्तु सामान्यत: उनको खंड के भीतर ही स्थानान्तरित किया जाता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : खंडों की तो बात ही क्या जिलों में भी भाषाई कठिनाइयां होती हैं। क्या इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री रंगा : एक नये खंड में, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है, कुछ रिक्तियां हुई हैं। भाषा और आवास के सम्बन्ध में श्री शर्मा द्वारा बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये अन्य खंडों में काम कर रहे तेलुगु भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने सभी खंडों को इस बारे में बताया है परन्तु दक्षिण और केन्द्रीय से सम्बन्धित लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक सम्भव होगा हम अपने कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखेंगे।

श्री कंडप्पन : विवरण में यह दिया गया है कि शैक्षिक वर्ष के अन्त में स्थानान्तरण किये जाते हैं ताकि बच्चों की शिक्षा में कम से कम बाधा पड़े। मेरी जानकारी यह है कि अनेक मामलों में स्थानान्तरण वर्ष के मध्य में किये जाते हैं जिससे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है। क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह कह सकती है कि वर्ष के मध्य में कोई स्थानान्तरण नहीं होता ?

डा० राम सुभग सिंह : जब कभी किसी कमचारी के विरुद्ध कोई आरोप होता है और वह सतर्कता निदेशालय द्वारा सच पाया जाता है, तब कभी भी किसी भी व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जा सकता है। अन्यथा उसको स्थानान्तरित नहीं किया जाता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : आरोप के परिणामस्वरूप इस प्रकार के जो स्थानान्तरण होते हैं उनसे काफी कठिनाई होती है; जब किसी व्यक्ति को एक खंड से दूसरे खंड में स्थानान्तरित किया जाता है तो जिस खंड में इस व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाता है उस खंड के कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति पर इसका असर पड़ता है। इस बारे में मैंने सरकार को लिखा भी है।

डा० राम सुभग सिंह : हम विवश हैं। यदि सतर्कता आयोग यह सिफारिश करता है कि ऐसे व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, तो रेलवे इस सिफारिश को स्वीकार करने के लिये बाध्य है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उसको इस तरीके से स्थानान्तरित नहीं करना चाहिये कि उसको पदोन्नति मिले और इस प्रकार खंड के अन्य लोगों का भविष्य खतरे में पड़े। बात यह है। दण्ड देने की बजाये उसको इस तरीके से स्थानान्तरित किया जाता है। **(अन्तर्बाधा)**

डा० राम सुभग सिंह : उसको बरखास्त नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सतर्कता आयोग की सिफारिश है।

Shrimati Jayaben Shah : Do the Government propose to ban the interzonal transfers of employees other than those of Class I and Class II in view of the rising prices as half of the family has to remain at one place and the other half at the other place ?

Dr. Ram Subhag Singh : At the time of posting of a person he is asked to give the names of atleast two places where he may be transferred Efforts are made to transfer him according to his preference. But sometimes at the report of the Vigilance Commission he has to go to other zone, normally they are kept at the place of their posting.

अवरुद्ध माल की अदला बदली

+

*1668. **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री बसुमतारी** :
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री गोकुलानन्द महन्ती** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और पाकिस्तान के पास वस्तुतः पड़े हुए माल को एक दूसरे को देने तथा जो माल बच दिया गया है, उसके बदले में प्रतिकर देने के बारे में दोनों सरकारों के बीच सामान्य समझौते के अनुसरण में दोनों सरकारों ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ख) दोनों सरकारों के अधिकार में माल तथा जहाजों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यद्यपि पाकिस्तान से दोनों देशों में रोके गये माल की वापसी के लिये समय समय पर प्रस्ताव किये गये हैं तथापि पाकिस्तान ने इस मामले पर बातचीत करने के लिये अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

(ख) भारतीय माल भेजने वालों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की नदियों में 5.14 करोड़ रुपये का भारतीय माल रोक लिया गया है। जहां तक मूल आयात वाले माल का सम्बन्ध है पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये ऐसे माल का कुल मूल्य 8.74 करोड़ रुपये है। यद्यपि ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी अनुमान है कि हमारे द्वारा रोके गये पाकिस्तानी माल का बीमाकृत मूल्य 1.69 करोड़ रुपये है।

दोनों देशों द्वारा पकड़े गये जहाजों और नौकाओं के बारे में स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने महासागरों में चलने वाले तीन भारतीय जहाज रोक रखे हैं जिनका वजन 13,980 टन और बीमाकृत मूल्य 145 लाख रुपये है। इनके अतिरिक्त भीतर नदियों में चलने वाले 167 स्टीमर तथा नौकाएं भी पाकिस्तान ने रोक रखी है जिनका मूल्य 1.79 करोड़ रुपये है।

हमने महासागरों में चलने वाले पाकिस्तान के 3 जहाज रोके हैं जिनका वजन 30,058 टन और मूल्य 169 लाख रुपये है।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि पाकिस्तान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि माल और जहाजों की अदला-बदली काश्मीर के प्रश्न के साथ सम्बद्ध होगी और चूंकि पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये माल का मूल्य हमारे मुकाबले में चार गुना से भी अधिक है और चूंकि बातचीत द्वारा इस मामले के हल होने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती तो क्या सरकार इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थ को सौंपने या किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को न्याय निर्णयन के लिए निर्दिष्ट करने के लिए विशेष कार्यवाही करने के लिए तैयार होगी ?

श्री शफी कुरैशी : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने 26 मार्च को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त को सूचित किया है कि भारत सरकार युद्ध के दौरान दोनों पक्षों द्वारा जब्त की गई सम्पत्ति की शीघ्र अदला बदली के लिए चर्चा करने हेतु पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का नई दिल्ली में सहर्ष स्वागत करेगी। इस समय इस मामले को किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सपुर्द करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्र० चं० बरुआ : 11 मार्च को एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि यह तय हो गया है कि दोनों सरकारों के पास जो भी विदेशी माल है उसे एक दूसरे को हस्तांतरित कर दिया जायेगा और जो माल बेचा जा चुका है उस का प्रतिकर दिया जायेगा। इस तयशुदा प्रबन्ध की क्या स्थिति है और क्या पाकिस्तान ने उसे स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह प्रस्ताव हमारे मूल उत्तर में किया गया था। वर्तमान स्थिति मुख्य उत्तर में बताई गई है।

Shri Yashpal Singh : Are the Government aware of the fact that Pakistan has disfigured the name of our ship "Saraswati" and written "Razia" instead and that she is claiming this ship as her own? What information Government have got about that ship ?

Shri Manubhai Shah : Each of the party is in possession of three ships belonging to the other party and we are trying for their exchange.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पारस्परिक आधार पर जहाज़ वापस करने और द्विपक्षीय आधार पर माल वापस करने की बात ताशकंद करार के एक भाग के रूप में तय नहीं हुई थी और यदि नहीं तो क्यों, और यदि हां, तो ताशकंद करार के उस भाग को अभी तक कार्य रूप न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं वे अनुच्छेद 7 और 9 में शामिल हैं। परन्तु इन अनुच्छेदों के ब्यौरे को हमें कार्यरूप देना है जिन में दोनों देशों द्वारा यह आशा व्यक्त की गई थी कि सम्बन्धों में सुधार करने का अर्थ यह होगा कि सभी प्रकार की सम्पत्ति वापस कर दी जायेगी। समय समय पर जो तथ्य सामने आये हैं वे मैं सभा के ध्यान में लाता रहा हूं।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the quantity of cargo returned by India after Tashkent Agreement, the dates when meetings were held in this connection and what decisions were taken thereat ?

Shri Manubhai Shah : The hon. Member will find figures in this connection in the original answer.

श्री गोकुलानन्द महन्ती : इस के लिए कौन जिम्मेदार होगा कि बेची गई सम्पत्ति का मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम प्रकट हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन की एक प्रणाली है। जब सम्पत्ति के मूल्य के बारे में मतभेद पैदा हो जाये तो या तो मूल सम्पत्ति लौटा दी जाती है या फिर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ता फैसला करते हैं कि उस का सही मूल्य क्या है।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री के कथन से पता चलता है कि पाकिस्तान ने जो कार्यवाही की है उस से ताशकंद करार की भावना को और धक्का लगा है। इस अनुभव के प्रकाश में, क्या सरकार पाकिस्तान को सिन्धु जल करार के अन्तर्गत दिया जाने वाला 8 करोड़ रुपये रोक लेने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी अन्तर्राष्ट्रीय वचन को पूरा न किया हो और अब भी हमारा ऐसा करने का विचार नहीं है।

Shri Raghunath Singh : Seizure of our crafts has seriously affected our navigation in River Brahmaputra and we have lost all connection with Assam through river. Moreover Pakistan is showing scant regard for Tashkent Agreement. Will the Government, therefore, issue orders to the effect that no Pakistani ship should be given shelter at Indian ports unless our ships were returned ?

Shri Manubhai Shah : The House is not yet faced with that situation. We are still trying to settle all these problems in the spirit of Tashkent, by persuasion and goodwill.

श्री रघुनाथ सिंह : हमारे जहाज़ सब खराब होते जा रहे हैं।

कच्चे माल का नियतन

***1669. श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **संभरण, तकनिकी विकास** तथा **सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि फर्मों के नाम जैसे, मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल, मैसर्स खेम चन्द राजकुमार, मैसर्स राम कृष्ण कुलवंत राय तथा मैसर्स जे० कोहेन एण्ड कम्पनी, बड़ी भारी अनियमितताओं के कारण या तो काली सूची में लिख दिये गये थे अथवा उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ दिया गया था, फिर भी उनको 1956 से उनके कारखानों तथा उनकी सम्बद्ध फर्मों के कारखानों के लिए नियमित रूप से कच्चे माल के कोटे दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) काली सूची में उनके नाम रखे जाने तथा/अथवा उनके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ देने की उक्त अवधि में इस प्रकार कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कच्चा माल दिया गया ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) और (ख) : मई, 1954 से जनवरी, 1957 के दौरान केवल मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल से ही व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ा गया अथवा वह काली सूची में लिखे गये। अन्य तीन फर्मों से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने न तो व्यापारिक सम्बन्ध ही तोड़ा और न ही उन्हें काली सूची में लिखा। सम्भरकों के काली सूची में लिख जाने उन से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़े जाने पर उन्हें कच्चे माल के कोटे से स्वत: इन्कार नहीं किया जाता।

(ग) भूतपूर्व अवधि के लिये अपेक्षित जानकारी शीघ्रता उपलब्ध नहीं है।

श्री राजेश्वर पटेल : वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन में कच्चा माल देना बन्द किया गया है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : इस मामले में व्यापार बन्द करने और काली सूची में नाम रखने का कारण यह था कि यह सन्देह हुआ था कि फर्म द्वारा दिये गये टैंडर प्रपत्र में कुछ प्रविष्टियों में गड़बड़ की गई थी। बाद में न्यायालय में एक मामला गया और दिल्ली शाखा के मैनेजर को रिहा कर दिया गया। उस समय जो निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में था उस ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और काली सूची में नाम रखने के आदेश को समाप्त कर दिया। वह केवल सरकार द्वारा फर्म के साथ व्यवहार करना समाप्त करने की बात थी। कच्चा माल कुछ अन्य आधारों पर दिया जाता है। यदि कच्चे माल का दुरुपयोग किया जाता है या उसे चोर बाजार में बेचा जाता है तो एक अलग आदेश द्वारा कच्चा माल देना समाप्त किया जाता है। सरकार द्वारा व्यवहार समाप्त करने ही से कच्चा माल मिलना बन्द नहीं हो जाता। यह कार्यवाही गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के परामर्श से की गई थी। उदाहरणार्थ यदि इस्पात के कोटे का दुरुपयोग किया जाता है या उसे चोर बाजार में बेचा जाता है तो हम इस्पात मंत्रालय को सिफारिश करते हैं कि कच्चा माल देना समाप्त कर दिया जाये।

श्री राजेश्वर पटेल : क्या उसका यह अर्थ लगाया जाये कि चोर बाजार में बेचने पर या दुरुपयोग किये जाने पर कच्चे माल का कोटा देने से इन्कार किया जाता है और केवल इस कारण नहीं कि एक मामला निलम्बित है, क्योंकि सरकार उद्योग को हानि पहुंचाना नहीं चाहती अपितु यह चाहती है कि उद्योगपतियों को दण्डित किया जाये ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : कच्चा माल देने के मामले में हम सम्बद्ध विभाग के कहने पर कार्यवाही करते हैं। हम उसी की हिदायतों का पालन करते हैं। इस्पात के मामले में निम्न कारणों से कोटा समाप्त किया जा सकता है :

1. यदि किसी कारण से फर्म का नाम इस्पात से माल तैयार करने वाले उद्योगों की सूची से निकाल दिया जाता है तो डी० जी० टी० डी० द्वारा इस्पात का कोटा बन्द किया जा सकता है।

2. यदि कोई फर्म उत्पादन के विवरण या इस्पात से माल तैयार किये जाने के विवरण नहीं देती तो कोटा समाप्त किया जा सकता है।

3. यदि डी० जी० टी० डी० के ध्यान में यह बात आ जाती है कि नियम माल का दुरुपयोग हुआ है या उसे बेचा गया है और उस की पुष्टि भी हो जाती है तो वह उद्योग मंत्रालय से सिफारिश करता है और मंत्रालय के अनुमोदन से और कच्चा माल दिया जाना समाप्त कर दिया जाता है। प्रत्यक विभाग का अपना अपना तरीका है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अमीन चन्द प्यारे लाल के एक भागीदार के लिए स्वास्थ्य के आधार पर 6,000 पौंड नियत किये गये थे जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय को दो पौंड से अधिक नहीं दिये गये और कि मद्रास के रामकृष्ण कुलवन्तराय को उनका नाम काली सूची में रखे जाने के बावजूद भी इस्पात का कोटा दिया गया है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जैसा कि मैंने कहा कि यह 1954 से 1957 तक हुए सौदों से सम्बन्धित है। साथ ही, अमीन चन्द प्यारेलाल से सम्बद्ध निम्नलिखित फर्में भी काली सूची में रखी गई थीं :—

1. मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल।
   21—ए केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।
2. मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल,
   101, नारायण ध्रुव स्ट्रीट, बम्बई।

3. मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल,
50, जी० बी० रोड, दिल्ली ।
4. इंडिया इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता ।

इस प्रकार जिस किसी फर्म के साथ इन के सबन्ध थे उसे भी काली सूची में रख दिया गया।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मद्रास की राम कृष्ण कुलवन्तराय फर्म की क्या स्थिति है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : यह नाम इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि लोक लेखा समिति ने भी इस फर्म द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में विचार व्यक्त किये थे। क्या सरकार ने कभी विभाग-वार और अनुभाग-वार विचार करने के प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में विचार किया है ताकि यदि कोई फर्म उद्योग मंत्रालय के किसी एक अनुभाग के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के मामले में काली सूची में आ जाती है तो उसे अन्य मामलों में भी काली सूची में ही माना जाये और उन्हें कोई गड़बड़ न करने दी जाये, विशेषकर इस तथ्य की दृष्टि से कि ये सभी फर्में किसी न किसी तरह एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और काफी समय से सरकार के साथ गड़बड़ कर रही है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जहां तक काली सूची में नाम लिखने का सम्बन्ध है हम इस नियम का पालन करते हैं कि समस्त सहयोजित फर्मों के नाम भी काली सूची में लिख लिये जायें। प्रश्न तो केवल यह है कि जब एक फर्म का नाम काली सूची में लिख लिया जाये और सरकार उससे कोई खरीद नहीं कर रही हो तो क्या उनके सारे उत्पादन को ही रोक दिया जाय और उन्हें कच्चा माल देना बन्द कर दिया जाये। इस बारे में विभिन्न विचार हैं। हाल ही में 1966 में गृह-कार्य तथा विधि मंत्रालयों के परामर्श में इस मामले पर विचार किया गया था। हमारे विभागों को विधि मंत्रालय ने यह परामर्श दिया कि वर्तमान नियम के अनुसार जब सरकार किसी फर्म से माल खरीदना बन्द कर देती है और उसका नाम काली सूची में लिख लिया जाता है तो आप इस आधार पर कच्चा माल देना बन्द नहीं कर सकते यद्यपि जहां तक कच्चा माल देने का सवाल है इस महत्वपूर्ण बात को तो वितरण कर्ता प्राधिकारी ध्यान में रखेगा।

श्री मनोहरन : श्रीमान, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं और आपसे निवेदन है कि आप उसका उचित उत्तर दिलाने में मेरी सहायता करें। क्या यह सच है कि मैसर्स अमीन चन्द प्यारे लाल ने जम्मू प्रान्त में कथुआ में एक मृदभाण्ड कारखाना स्थापित करने के लिये कश्मीर सरकार के साथ एक करार किया था और जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकार के सम्भरण निदेशक ने इस फर्म को जी० सी० चादरें, सीमेन्ट और दूसरा कच्चा माल दिया और ये चीजें भारत सरकार के लोहा और इस्पात नियंत्रक के माध्यम से एक परमिट द्वारा दी गई जो कि वास्तव में उपयोग की गई इन वस्तुओं से बहुत अधिक मात्रा की भी और इस प्रकार उस फर्म ने अपनी जरुरत से जो अधिक माल प्राप्त किया उसे उसने चोर बाजारी में बहुत ऊँची दरों पर बेचा और कई लाख रुपये का मुनाफा कमाया ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैं क्या निवेदन कर सकता हूं कि इस सम्बन्ध एक पृथक प्रश्न पूछा जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह पृथक सूचना चाहते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न में इस फर्म के नाम का उल्लेख है और इस प्रश्न की सूचना बहुत पहले दे दी गई थी। उन्हें ब्यौरा लेकर उत्तर के लिये तैयार होकर आना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह तो मानेंगे कि यदि ब्यौरे पूछे जायें और मंत्री कहे कि उसके लिये उसे सूचना दी जाये तो उसे ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान, यह एक कुख्यात मामला है जिसे मंत्री महोदय जानते हैं। वह उत्तर क्यों नहीं दे रहें ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जो प्रश्न उठाया गया है उसमें कुछ ब्यौरा मांगा गया है जो कि उपलब्ध नहीं है। जानकारी देने से पहले मुझे लोहा और इस्पात नियंत्रक से पूछना होगा। तथ्यों को मालूम करके मैं सभा-पटल पर एक विवरण रख दूंगा।

श्री रामनाथन चेट्टियार : श्रीमन्, प्रविधिक विकास मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से मुझे औचित्य का एक प्रश्न उठाना है। उन्होंने बताया कि इन फर्मों का नाम काली सूची में लिख लिया गया है। मद्रास के मेसर्स रामचन्द कुलवन्तराय को हाल ही में इस्पात का कोटा किस आधार पर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात का उत्तर तो मंत्री महोदय को देना है। औचित्य के प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। औचित्य का कोई प्रश्न मंत्री महोदय को सम्बोधित नहीं किया जाना चाहिये, वह केवल मुझे ही सम्बोधित किया जाना चाहिये और मैं इस पर निर्णय देता हूं। अब इस पर मैं क्या निर्णय दूं ?

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that the firm of M/s Amin Chand Pyare Lal after having been blacklisted has been deceiving the Government by changing its name and that the Public Accounts Committee has been sending their reports to Government during the last many years in regard thereto ? The Public Accounts Committee have clearly stated in their report that the Secretary of Finance Ministry and the Minister of Department concerned were also associated with it. The Committee has also made a mention of the unjustified manner in which quotas and impfort licences for crores of rupees had been given to the firm. If it is a fact, whether any action has been taken against the Secretary of the Ministry and the Minister concerned, as required in the report of Public Accounts Committee and if so, the details thereof ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जहां तक 1954-57 की अवधि का सम्बन्ध है, जहां तक इस विभाग को ज्ञात था कि कौन कौन फर्में इससे सहयोजित हैं आदि वहाँ तक उनका नाम सूची से दिया गया था और काली सूची में लिख लिया गया था। परन्तु जब तत्कालीन निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री ने इसका पुनर्विलोकन किया जो जनवरी, 1957 में वह आदेश वापस ले लिया गया। इस समय मेरे पास यही जानकारी है।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker.....

Mr. Speaker : It can not go like this that you address me and expect me to stop the other Member from speaking. I would call you. क्या लोक लेखा समिति का प्रतिवदन.....

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री जि० ना० सिंह) : श्रीमान, जहाँ पक इस्पात मंत्रालय का सम्बन्ध है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात्—यह प्रतिवेदन मुश्कील से एक सप्ताह प्राप्त हुआ था—हमारे मंत्रालय ने इस बात पर ध्यान दिया है और जो कुछ भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हम आगे बड़ रहे हैं और कार्यवाही की जा रही है। **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, may I know....

Mr. Speaker : When fifteen or twenty members are on their legs at a time how is it possible for me to call all of them that very time? Fifteen Members want to speak at a time. I am giving them a chance one by one. My job is so thankless ; what can I do ?

Shri Sheo Narain : Are Government aware of the fact that M/s Amin Chand Pyare Lal constructed a bridge over a river in Kashmir and replaced planks of the bridge. The iron which was available at the rate of Rs. 750/- per ton in the market was supplied by the firm to the Government at the rate of Rs. 1850/- per ton and they used 5/8 inch steel instead of 1/2 inch steel in the construction of bridge and in this way they made a profit of Rs. 4 lakhs. Would the Government look into this matter ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी जांच की जायेगी ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध कश्मीर सरकार के साथ हुए सौदे से है। श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि मेरा सम्बन्ध इस बात से किस प्रकार जोड़ा जा रहा है। **(अंतर्बाधायें)**

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, no answer has been given about half inch.....

Mr. Speaker : You are asking about 1/2 inch and 5/8 inch, how it could be answered? How the Minister could reply to it here at the moment?

इस फर्म के विरुद्ध बहुत से आरोप और शिकायतें हैं। लोक लेखा समिति ने भी इस पर ध्यान दिया है। कुछ अधिकारी भी गडबड़ी में शामिल हैं। इसकी पूरी तरह जाँच की जानी चाहिये जिसके कि असली बात का पता चल सके और सभा अपनी कुछ राय बना सके।

श्री त्यागी : श्रीमन्, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने कहा है कि लोक लेखा समिति ने कुछ मंत्रियों को इसमें सक्रिय सहयोग देते हुए समझा था। या तो यह ग़लतफहमी है या फिर यदि वास्तव में ऐसी बात है तो मैं निवेदन करूंगा कि उन मंत्रियों के नाम बताये जायें।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, Sir, the Minister concerned should be named as desired by Shri Tyagi.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने "सचिवों" के लिये कहा था, "मंत्रियों" के लिये नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमन्, लोहा और इस्पात मंत्री ने, जिन्होंने कि प्रश्न का उत्तर देने वाले मंत्री की उत्तर में सहायता की थी, यह कहा था कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उन्हें एक सप्ताह पहले ही प्राप्त हुआ है। परन्तु क्या इन मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है क्योंकि इस फर्म के बारे में जिसने कि लगभग 1 करोड़ रुपये के मूल्य के इस्पात की चोर बाजारी की—जो कि उन्होंने मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील से खरीदा और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बेचा—तथ्यों का उल्लेख सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने गत वर्ष सदन में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में किया था ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस पर ध्यान दिया था और यदि दिया था तो ऐसा होने के बावजूद भी इस फर्मों को कोटा क्यों दिये जा रहे हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मंत्रालयों के बीच समन्वय है। मेरे सहयोगी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिधि हैं। वह यह आश्वासन दे चुके हैं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है और हम उसकी पूरी पूरी जाँच करेंगे। **(अंतर्बाधायें)**

श्री त्यागी : श्रीमन्, इस मामले में मंत्रियों के नाम लिये गये हैं। इसकी पूरी पूरी जाँच की जानी चाहिये। या तो इस अंश को वाद-विवाद से निकाल दिया जाना चाहिये या फिर मंत्रीपीठ द्वारा इसका खण्डन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इसका खण्डन नहीं करना चाहते तो क्या मैं उन्हें ऐसा करने के लिये कहूँ ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं नहीं समझता कि लोक लेखा समिति ने किसी मंत्री का उल्लेख किया है अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाये हैं। समिति ने तत्कालीन सचिव के बारे में कहा है। तत्कालीन सचिव के विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे यह बता दें कि किस स्थान पर मंत्री का उल्लेख किया गया है तो फिर मैं इसकी जांच करूँगा। परन्तु जहाँ तक मुझे जानकारी है लोक लेखा समिति ने इसका उल्लेख नहीं किया है।

Shri Prakash Vir Shastri : There is one full paragraph in this regard in the report of Public Accounts Committee in which the Committee has made a remark that it is not understood as to why the Minister concerned gave such a sanction. I want that this remark of Public Accounts Committee may be laid on the Table.

श्रीमती सावित्री निगम : 1965-66 में कितने व्यक्तियों और कितनी फर्मों के नाम काली सूची में लिखे गये और मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही के कारण फिर उनमें से कितनों के नाम पुनः काली सूची में लिखे गये ?

अध्यक्ष महोदय : यहाँ हमारे सामने तीन मामले हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि सूची से निकाली गई अथवा काली सूची में नाम लिखी गई फर्मों को कच्चा माल देने के बारे में इस प्रश्न के महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया गया है, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि "काली सूची में नाम लिखने" का क्या अर्थ है ? क्या इसका यह अर्थ है कि फर्म का नाम काली स्याही में लिख दिया जाये और उसे कच्चा माल उपलब्ध कराया जाये ताकि वह चोर-बाजारी कर सके ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फर्म को कच्चा माल क्यों दिया जा रहा है। सरकार इस फर्म को संरक्षण क्यों दे रही है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : कच्चे माल की चोर-बाजारी करने और उसका दुरुपयोग करने पर कोई भी प्रशासन विभाग किसी फर्म आदि का काली सूची में नाम लिख सकता है। यह कार्य पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा भी किया जा सकता है, यदि सरकार को माल का सम्भरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसमें अनियमिततायें हैं। इसलिये यदि पूर्ति तथा महानिदेशालय द्वारा किसी फर्म का नाम काली सूची में लिखा जाये तो इसका यह अर्थ है कि उस समय के लिये सरकार उस फर्म से सामान नहीं खरीदेगी। परन्तु इस प्रश्न के बारे में इस्पात मंत्रालय को मुझे सूचना देनी होगी कि क्या इस्पात का सम्भरण बन्द किया गया था ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप नियम बदलिये।

श्री कोत्ता रघुरामैया : यह काम आपस में परामर्श करके किया जाता है। ऐसे नियम भी हैं जब कच्चे माल का सम्भरण बन्द किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : हम यह प्रश्न सरकार से पूछ रहे हैं, किसी विशेष मंत्रालय से नहीं।

श्री रंगा : श्रीमन्, हम चाहते हैं कि नियमों में ठीक प्रकार संशोधन किया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सभा-पटल पर पूरा-पूरा विवरण रखा जाना चाहिये क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मंत्रियों का भी हाथ है।

श्री रघुनाथ सिंह : इस फर्म का सम्बन्ध जहाज़रानी से भी है और इसलिये मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

पटसन मिलों का बन्द होना

+

31. श्री स० मो बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दाजी :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री नम्बीयार :
श्री अ० व० राघवन :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने अपनी सभी सदस्य मिलों से प्रस्ताव किया है कि वे मई, 1966 में कम से कम एक सप्ताह तक समूचे रूप से बन्द रहें;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) प्रस्तावित तालाबन्दी के फलस्वरूप उत्पादन में कुल कितनी कमी होगी तथा इससे कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे; और

(ङ) क्या कच्चे पटसन का कोई अप्रत्याशित अभाव रहा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ) : जूट के रेशे की सख्त कमी के कारण भारतीय जूट मिल संघ ने एक सप्ताह के लिये सभी जूट मिलों को समूचे रूप से बन्द करने का प्रस्ताव किया है। समूचे रूप से तालाबन्दी करने के परिणामस्वरूप उद्योग को आशा है कि कच्चे जूट, जिसकी कि कमी है, की खपत 1.5 लाख गांठ कम हो जायेगी। उद्योग इस बात से भी चिन्तित है कि कच्चे जूट की अत्यधिक कमी के कारण कीमतें बहुत ऊंचे स्तर अर्थात् 174.15 रु० प्रति क्विंटल (65 रु० प्रति मन) पर पहुंच गयी हैं जब कि जट के माल की कीमतें उस अनुपात में नहीं बढी है। इससे उद्योग को हानि हो रही है।

पिछले वर्ष मानसून के न आने के कारण 1965-66 में जूट तथा मेस्टा के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई और फसल का अनुमान अब 58.59 लाख गांठ से अधिक नहीं है जिससे 1964-65 में 76 लाख गांठ के जूट के उत्पादन की तुलना में कच्चे जूट के उत्पादन में 17/18 लाख गांठ की कमी हुई है। उद्योग ने जुलाई 1965–जून 1966 का मौसम बची हुई 20.25 लाख गांठ से शुरू किया जबकि जून 1964 के अन्त में 28.36 लाख गांठ शेष बची हुई थीं। देश तथा विदेशों में जूट के माल की मांग में वृद्धि होने के कारण जूट के माल का उत्पादन उच्च स्तर पर बनाये रखा गया जिससे जूट के माल की आन्तरिक मांग पूरी की जा सके और निर्यात से अधिक विदशी मुद्रा के उपार्जन के अवसर प्राप्त हो सकें। गत वर्ष के 161 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में 1965 में निर्यात का स्तर 184 करोड़ रु० के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। परिणाम-स्वरूप कच्चे जूट की खपत 1962-63 के 77 लाख गांठ से बढ़कर 1964-65 में 83.80 लाख गांठ हो गयी।

मांग तथा पूर्ति के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने जून 1965 के मध्य से जूट और मस्टा की कतरनों की 18 लाख गांठ के विदेशों से आयात की अनुमति देनी पड़ी जिसपर लगभग 25 से 30 करोड़ रु० तक की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इसमें से उद्योग द्वारा जून 1966 के अन्त तक मुख्यत: मेस्टा की लगभग 14/15 लाख गांठ थाईलैंड से प्राप्त करने की सम्भावना है।

पिछले वर्ष कच्चे जूट की बराबर कमी और कच्चे जूट की लगातार बढ़ती हुई खपत तथा भारत के पूर्वी राज्यों में लगातार सूखा पड़ने तथा विदेशों से अधिक परिमाण में कच्चे जूट की प्राप्ति की सीमित सम्भावनाओं के प्रकाश में जूट उद्योग यह महसूस करता है कि दैनिक उत्पादन में कटौती अथवा उसमें कमी करने के बजाय प्रस्तावित समूचे रूप से तालाबन्दी और अधिक कारगर तथा मजदूरों को कम कष्टप्रद होगी। खपत की वर्तमान दर के आधार पर जून 1966 के अन्त में मिलों के पास कच्चे जूट के स्टाक के केवल 11 लाख गांठ होने की आशा है जो कि सात सप्ताह से कुछ अधिक की जरूरत के बराबर है जबकि मौसम के अन्त में उसकी निम्नतम जरूरत 21 लाख गांठ है जोकि तीन महीने की खपत के बराबर होती है। सात सप्ताह की जरूरत के कम स्टाक से भी विभिन्न प्रकार के निर्मित माल के लिये कच्चे जूट की वर्गवार और किस्मवार उपलब्धि में असंतुलन की गम्भीर समस्या है। इस वर्ष के प्रारम्भ में ऐसी आशा थी कि नयी फसल का कुछ भाग जुलाई के आरम्भ में शीघ्र ही आ जायगा और इससे कठिनाइयां दूर करने में सहायता मिलेगी। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।

कुल चारों पूर्वी राज्यों में वर्षा न होने के फलस्वरूप बराबर सूखा पड़ने के कारण नयी फसल के जल्दी आने की सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती और चूंकि इस प्रकार फसल के 90 लाख गांठ से भी कम होने की सम्भावना है, जैसी कि आशा थी. अत: जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कच्चे जूट की कीमतें बहुत ऊंचे स्तर तक अर्थात् 174.15 रु० प्रति क्विंटल (65 रु० प्रति मन) पहुंच गयी हैं जोकि देश में खपने वाले और विदेशों को निर्यात होने वाले जूट के तैयार माल की कीमतों से भी अधिक हैं।

यह भी ज्ञात हुआ है कि जूट मिलों के मजदूर और प० बंगाल सरकार भी उत्पादन में कमी करने की अपेक्षा समूचे रूप से तालाबन्दी को तरजीह देते हैं। स्मरण रहे कि 1961 में वर्षा की यही हालत होने तथा परिणामत: कच्चे जूट के उत्पादन में कमी के कारण उद्योग को जून और जुलाई 1961 में कुल दो सप्ताह के लिये सारे कारखानों को बंद करना पड़ा था।

इन बातों पर उचित ध्यान देते हुये ही भारतीय जूट मिल संघ ने यह प्रस्ताव किया है कि उसकी सभी सदस्य मिलें एक सप्ताह के लिये बन्द होनी चाहिएं।

तालाबन्दी का प्रभाव मिल में आजकल लगे हुये कुल 2,25,000 मजदूरों पर पड़ेगा। फिर भी औद्योगिक झगड़ा अधिनियम के अन्तर्गत की गयी वेतन बोर्ड की सिफारिशों के आधार

पर मजदूरों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत, महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत और बढ़े हुये वेतन के 50 प्रतिशत की दर से तालाबन्दी की अवधि के लिये बेकार रहने का मुआवजा दिया जायगा।

समूचे रूप से तालाबन्दी का भारतीय जूट मिल संघ का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि 2,25,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे और उन्हें इस अवधि के लिये आधा वेतन तथा आधा भत्ता दिया जायेगा। यह भी कहा गया है कि यह मामला विचाराधीन है। क्या मंत्री महोदय ने इस बात की जांच की है कि पटसन मिल संघ कमी के नाम पर अथवा किसी अन्य कारण से सस्ते तौर पर कारखाने बन्द कर देता है; यदि हां तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं कि भविष्य में इस प्रकार कारखाने बन्द न हों ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की धारणा गलत है। वास्तव में पटसन की कमी है और हम पटसन कारखानों को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसका उपाय यह है कि या तो कारखानों को थोड़ी अवधि के लिये समूचे रूप से बन्द कर दिया जाये अथवा निरन्तर छंटनी की जाये ताकि कच्चा पटसन बचाया जा सके।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय जूट मिल संस्था का एक शिष्ट-मण्डल जूट कमिश्नर की अध्यक्षता में और जिसमें मैकनिल एण्ड बैरी लि० तथा जारडाइन हैंडरसन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, अक्तूबर, 1965 में थाईलैण्ड गया और वहां अधिक मूल्य देकर पटसन खरीदा ? क्या यह मामला थाईलैण्ड पटसन काण्ड के नाम से प्रसिद्ध है; यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : थाईलैण्ड में ही पटसन उपलब्ध था और हमने 14 लाख गांठ खरीदी ताकि कर्मचारियों को रोजगार मिलता रहे। यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर खरीदा गया। किसी प्रकार का कोई काण्ड नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपको पूरी पूरी जानकारी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वह जानकारी मुझे भेज सकते हैं।

श्री दाजी : विवरण से पता लगता है कि ग्यारह लाख गांठ बची हुई थीं और आयात द्वारा 14 लाख गांठ और उपलब्ध होनी थीं। यह सब मिलकर 25 लाख गांठ हो जाती हैं। यदि इस वर्ष का उत्पादन 55 लाख गांठ मान लिया जाये तो क्या यह वर्ष भर के लिये पर्याप्त नहीं होंगी ? इस स्थिति में पटसन कारखानों को समूचे रूप में बन्द किये जाने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिये ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य की धारणा में कुछ गलती है। जून, 1966 तक जो 14 लाख गांठ आनी हैं उसका यह मतलब नहीं कि वे सभी अभी आनी बाकी हैं; वे पहले ही आ चुकी हैं। 11 लाख गांठें आ गई हैं और 3 लाख गांठें और आ रही हैं। जून, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में कुल 14 लाख गांठें आयात की जायेंगी, अर्थात् 11 लाख जमा 3 लाख, जोकि न्यूनतम है। हम प्रति दिन इस तरह नहीं चला सकते। हमारे उत्पादन में विस्तार हो रहा है और हमारे निर्यात में भी विस्तार हो रहा है; अतः जो रास्ता रह गया है वह यह है कि या तो आहिस्ता आहिस्ता छंटनी की जाये अथवा उत्पादन में कमी की जाये अथवा पूर्णतया बन्द कर दिया जाये।

श्री ब० कु० दास : कच्चे पटसन के मूल्यों में वृद्धि हुई है। क्या हम विदेशी मंडियों में भारतीय पटसन के माल की मांग को प्रतियोगात्मक मूल्यों पर पूरी कर रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हमने यह पाया है कि मंडियों में प्रतिस्थापक आ रहे हैं और आज जब कि अत्यधिक मूल्य भी दिये जा रहे हैं, आस्ट्रेलिया में जापान से प्लास्टिक से बना ऊन का सामान स्वीकार किया जा रहा है। जैसी कि सभा में सदा चिंता प्रकट की जा रही है कि हमें अल्पावधि आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए, हमें विश्व मंडी में स्थिर मूल्य रखने चाहिएं।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि भारतीय पटसन मिल संस्था ने प्रस्ताव रखा है कि एक सप्ताह के लिये कार्य बिल्कुल बन्द कर दिया जाये। क्या इस पटसन मिल संस्था को पिछले वर्ष में जुलाई-आगस्त के दौरान भी उत्पादन की कमी के बारे में पता था और यदि हां, तो क्या उसने सरकार के समक्ष कोई और प्रस्ताव भी रखा था कि उत्पादन में कोई छोटी सी दैनिक कटौती की जाये ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले वर्ष भी उन्होंने पूर्णतया बन्द रखने का प्रस्ताव किया था और हमने उन्हें वर्षा ऋतु तक रुकने के लिये कहा था। भाग्यवश, मई में वर्षा हो गई और उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इस वर्ष, अब भी, मई का मध्य है और चारों क्षेत्रों में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। शीघ्र फसल होने की कोई आशा नहीं थी। ये दोनों विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां थीं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार ने इस तथ्य की जांच की है कि जो अवलम्ब मूल्य सरकार देती है वह उस वृद्धि से बहुत कम हो जो उस समय से हुई है जब व्यापार दलालों के हाथ में था और क्या देश में पटसन के उत्पादन में कमी का यही कारण है।

श्री मनुभाई शाह : मेरे सहयोगी खाद्य तथा कृषि मंत्री पटसन के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं और आने वाली ऋतु में हमें 19 लाख गांठों की आशा है। इन्द्र देवता की क्या इच्छा है मैं नहीं कह सकता। परन्तु हमें विभिन्न बातों पर निर्भर रहना पड़ता है और फिर निर्णय करना होता है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या पाकिस्तान से पटसन प्राप्त करने की कोई सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : हम इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं। परन्तु समस्या यह है कि हमारी तरह पाकिस्तान की फसल भी कम हो रही है। पिछले वर्ष भी हम खरीदना चाहते थे परन्तु खरीद न सके। अतः हमें थाईलैण्ड से खरीदना पड़ी।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्य केवल एक सप्ताह के लिये बन्द होगा और जो कर्मचारियों की गलती के कारण न होगा, क्या सरकार कर्मचारियों को पूरा वेतन तथा भत्ता देने का विचार कर रही है और यह कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : इसके दो पृथक भाग हैं ; एक तो भगवान के हाथ में है, जिसके लिये हरेक को हानि उठानी पड़ेगी। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम पश्चिम बंगाल सरकार से मिले थे और वह मिलों के उच्च प्रतिनिधियों से मिली थी। हमने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। कार्य को संगठित रूप में बन्द करना अच्छा है बजाये इसके कि कष्ट 5 या 6 महीने उठाया जाये।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister just now told that the crop in Pakistan is also short. I would like to know, whether in view of the fact that our factories are less than Pakistan's ? Has the hon. Minister tried, especially after Tashkent Agreement, to obtain jute from Pakistan ?

Shri Manubhai Shah : Our production has not fallen because of Pakistan's jute. They were also short of raw jute. Despite Tashkent Agreement, we cannot purchase jute till normal relations are restored, we are trying to purchase Pakistani Jute through third markets. We shall try to obtain it from whatever source we can get.

Shri Madhu Limaye : You have imported 18 lakh bales and from Thailand only we have imported 14-15 lakh bales ; I want to know how much we imported from Pakistan and how much we asked from them ?

Shri Manubhai Shah : For the time being we are not importing anything from there till the trade is normalised.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में बताया गया है कि पटसन मिल संस्था और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों पूर्ण रूप से काम बन्द करने के पक्ष में हैं। क्या माननीय मन्त्री को पता है कि बंगाल मजदूर चटकल यूनियन, जो कि आई० टी० यू० सी० के बाद बड़ी यूनियन है, के कर्मचारियों का हाल ही में सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि उत्पादन कुछ हद तक कम किया जाए।

इसको देखते हुए क्या सरकार अब भी कार्य को पूर्ण रूप से बन्द करने के पक्ष में है अथवा क्या सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्य यूनियनों को बुलाएगी और उनकी राय लेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं जब कलकत्ते में था तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी क्योंकि यह एक स्थानीय प्रश्न है। मुझे पश्चिम बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वह इस प्रस्ताव की सिफारिश करेगी।

Shri Raghunath Singh : As the Government is going to purchase jute from Thailand instead of Pakistan, may I know the difference of prices between the Thailand Jute, Indian Jute and Pakistani Jute ?

Shri Manubhai Shah : It is useless to compare our prices with those of Pakistan as trade with it has not been resumed but Indian jute is the costliest in the world.

अध्यक्ष महोदय : अगला अल्प सूचना प्रश्न।

पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुओं की वापसी

32. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल में पाकिस्तान को लिखा है कि वह ताशकंद घोषणा के अनुसार लगभग 100 करोड़ रुपये के मूल्य की उन वस्तुओं को लौटा दे जिन पर उसने कब्जा कर लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रावलपिण्डी की ओर से उन वस्तुओं के लौटाये जाने का कोई भी आभास नहीं मिला है; और

(ग) यदि हां, तो भारत ने इसके लिये क्या प्रभावकारी कदम उठाये हैं कि कब्जे में ली गई सम्पत्ति विधिवत और पूरी तरह वापस मिल जाये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। ताशकंद घोषणा के अनुच्छेद 8 के अनुसार समस्त सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों को शीघ्रातापूर्वक वापस कर देने के लिये बातचीत करने के उद्देश्य से हाल में ही पाकिस्तान सरकार से अपने अधिकारी दिल्ली भेजने को कहा गया है।

(ख) तथा (ग) : यद्यपि पाकिस्तान से इस बारे में कोई आभास नहीं मिला है तथापि हमारे द्वारा सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां सही मालिकों को वापस किये जाने के प्रयत्न अब भी जारी हैं।

श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान की बहुत सी सम्पत्ति कब्जे में कर ली थी और जो ताशकंद समझौते के पूर्व ही पाकिस्तान को वापस कर दी गई थी? भारत ने पाकिस्तान की कब्जे में की गई सम्पत्ति को इकतरफा कैसे वापस कर दिया?

श्री मनुभाई शाह : वह अवस्था अभी नहीं आई है। जहां तक सम्पत्तियों का सम्बन्ध है, सम्पत्तियों के विनिमय का आधारभूत प्रश्न अभी तय नहीं हुआ है।

श्री दाजी : प्रश्न बिल्कुल भिन्न है।

श्री महेश्वर नायक : क्या पाकिस्तान द्वारा भुगतान न किये जाने पर, भारत सरकार इस मामल को किसी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा रही है?

श्री मनुभाई शाह : इन सब मामलों पर फिर विचार किया जायेगा।

श्री दाजी : उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनका प्रश्न यह था कि क्या भारत ने पाकिस्तान को इकतरफा सम्पत्ति वापस कर दी थी?

श्री मनुभाई शाह : हमने वापस नहीं की। मैंने पहल ही उत्तर दे दिया था कि सम्पत्तियों को इकतरफा वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह विषय अभी विचाराधीन है।

श्री दीवान चन्द शर्मा : भारत-पाकिस्तान में इस बातचीत के लिए क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है? क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय-सीमा के बीत जाने के पश्चात् भारत सरकार का क्या रवैया होगा, चूंकि उनके वापस करने या वापस लेने की बातचीत के दौरान कुछ सामान खराब भी हो जायेगा?

श्री मनुभाई शाह : इस विषय में सभा और देश की भावना को दृष्टिगत रखते हुए हम इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेल साइकिल

*1670. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1966 के "टाइम्स आफ इंडिया" के नगर संस्करण के पृष्ठ 6 में "रेल साइकिल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गुजरात के एक नवयुवक ने एक ऐसी रेल साइकिल का आविष्कार किया है जो बड़ी तथा छोटी रेलवे लाइनों पर चल सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या आविष्कारक से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा उसके दावे की जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) आविष्कारक ने अभी तक कोई ऐसा माडेल नहीं बनाया है जो काम कर सके। इसलिए उसको आजमा कर देखना सम्भव नहीं है।

लोकोशेड, इलाहाबाद में रेलवे स्टोर में आग लग जाना

***1671. श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 अप्रैल 1966 की रात को इलाहाबाद जंक्शन में उत्तर रेलवे के रेलइंजन घर के स्टोर रूम में आग लगी जिसके फलस्वरूप रेलवे सम्पत्ति का बहुत अधिक नुकसान हुआ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और रेलवे सम्पत्ति को कुल कितना नुकसान पहुंचा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। इलाहाबाद लोको शेड के सूतर गोदाम में आग लग गयी थी, न कि भण्डार घर में। आग लगने का कारण तभी मालूम हो सकेगा जब जांच समिति जांच का काम पूरा कर लेगी। जांच समिति न अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। लगभग 500 रुपये की क्षति का अनुमान है।

हैदराबाद में "रिपब्लिक फोर्ज" परियोजना

***1672. श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बडे :

श्री किशन पटनायक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हैदराबाद में रिपब्लिक फोर्ज नामक परियोजना असफल होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के लिये फ्रांस से आयात की गई लाखों रुपये की मशीनें कई महीनों से बम्बई गोदी (डाक) में पड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : सरकार को यह पता चला है कि इस फर्म के सामने आर्थिक कठिनाइयां आ गई हैं। जिनका कारण आंशिक रूप से कुछ प्रारम्भिक प्रस्तावकों द्वारा कुछ समय पहले बताई गई बकाया पूंजी को पूरी तरह न लगाना है। कुछ वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार विमर्श होना अभी बाकी है।

(ग) तथा (घ) : यह सच है कि इस प्रायोजना की फ्रांस से आयात की गई काफी मूल्य की मशीनें कुछ समय से बम्बई बन्दरगाह में पड़ी हुई है जिसका कारण बन्दरगाह के करों, भाड़ा, बीमा और तट कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक धन न होना है। अब आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने इन करों, भाड़े और बीमा का भुगतान करने के लिए कम्पनी को अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि तक परिवर्तन योग्य अग्रिम ऋण देने का फैसला किया है। बन्दरगाह से लगभग आधी मशीनें मुक्त कर दी गई हैं।

कच्चे माल की मांग तथा पूर्ति

*1673. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **संभरण, तकनीकी विकास** तथा **सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्लभ कच्चे माल की मांग तथा पूर्ति के बारे में अध्ययन के लिये एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सम्भरण तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोता रघूरमैया) : (क) और (ख): दुर्लभ औद्योगिक कच्चे माल के बटवारे के लिये, मांग, उपलब्धता, सिद्धान्तों प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए, एक संयुक्त समिति की अध्यक्षता में सात सरकारी सदस्यों की एक कमेटी 11-4-66 से बना दी गई है। कमेटी को इस बात के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि वह पहले तांबे और रबड़ के बारे में अध्ययन करे और इस अध्ययन को ध्यान में रखते हुए इस बात का परीक्षण करे कि राष्ट्रपति आदेश में विभाग को दिये गये कार्यों को चलाने के लिये कोई संगठन सम्बन्धी परिवर्तन जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट जून, 1966 के मध्य में प्राप्त होने की आशा है।

भारतीय सहयोग से केनिया में प्रतिदीप्त स्थापक (फ्लोरेसेन्ट फिक्सचर्स) का निर्माण

*1674. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की एक फर्म प्रतिदीप्त स्थायकों (फ्लौरेसेंट फिक्सचर्स) तथा सहायक उपकरणों के निर्माण के लिये केनिया में एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग देगी;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) सहयोग के अंतिम ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं। फिर भी, अपने वर्तमान रूप में प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारतीय पार्टी द्वारा पूंजीगत योगदान के तौर पर केनिया को 1.5 लाख रु० की भारतीय मशीनें और उपकरण निर्यात करने का विचार है। प्रस्तावित प्रायोजना की अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकता स्थानीय सहयोगी पूरी करेंगे।

(ग) भारत सरकार ने प्रस्ताव को "सिद्धान्ततः" स्वीकार कर लिया है। भारतीय फर्म की अपने स्थानीय भागीदारों से बातचीत समाप्त हो जाने पर प्रायोजना के अंतिम ब्यौरे, सरकार की अंतिम स्वीकृति के अधीन होंगे।

कच्चे लोहे का उद्योग समूह

*1675. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री 25 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे लोहे के उद्योग समूह के बारे में मैसर्स कुलजियन कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये अध्ययन की व्यवहार्यता के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में प्रथम श्रेणी के नये पद बनाना

*1676. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के कार्यकुशलता विभाग (एफिशियेंशी डिपार्टमेंट) ने प्रथम श्रेणी के नये पद बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे बोर्ड के कार्यकुशलता ब्यूरो ने प्रथम श्रेणी के नये पद बनाने की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग

*1678. श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर बनने योग्य हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ये उद्योग कितने समय तक सरकारी सहायता पर निर्भर रहेंगे; और

(ग) क्या इन उद्योगों को आत्म निर्भर बनाने के हेतु मार्गोपायों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) संगठित क्षेत्र के उद्योगों, जो अपेक्षाकृत ऊपरी कम लागत से चलते हैं, के साथ साथ खादी तथा ग्रामोद्योगों के सहअस्तित्व को बनाए रखने के लिये यह जरूरी है कि खादी तथा ग्रामोद्योगों को वित्तीय सहायता जारी रखी जाय। बेकारी और अर्ध रोजगारी की दशा और भी खराब न होने देने की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुएं, यह और भी जरूरी है। इससे बड़े, मध्यम, लघु और ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन प्रणाली के यक्तियुक्तकरण में सहायता मिली है जिससे आवश्यक सीमा तक उत्पादन का क्षेत्र निर्धारित हो गया है और कच्चे माल की समुचित पूर्ति और विपणन सुविधाओं

की व्यवस्था हो गयी है। इन कदमों के साथ साथ प्रविधि में सुधार से, आशा है कि सरकारी सहायता की आवश्यकता कम हो जायेगी। शीघ्र ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सरकार और योजना आयोग से सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श किया जाने वाला है।

(ग) जी, हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बनने के पूर्व प्रो० डा० जा० कव का अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाए जाने के पूर्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक कार्यचालन वर्ग ने इस प्रश्न का भी अध्ययन किया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत सरकार ने एक द्वितीय कार्यचालन वर्ग नियुक्त किया था जिसका प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे में यमुनानगर के पास रेलवे की सम्पत्ति का बरामद किया जाना

*1679. **श्री बृजवासी लाल :**

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अप्रैल, 1966 को रेलवे पुलिस ने यमुनानगर के पास में नमिधा के कुछ लोगों के घर पर छापा मार कर 16,000 रुपये की रेलवे की सम्पत्ति बरामद की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन छापा 23-4-66 को नहीं, बल्कि 20-4-66 को मारा गया था।

(ख) जगाधरी के रेलवे वर्कशाप स्टोर से माल डिब्बा नं० ई आर सी 69141, जिसमें रेलवे का स्टोर भरा था, धोखे से बाहर निकाल लिया गया और उस पर जाली लेबल लगाकर और चकमा देकर उसे गोविन्दगढ़ रेलवे स्टेशन को भेज दिया गया। 29/30-3-64 की रात को गोविन्दगढ़ स्टशन पर समुचित डिलीवरि लिए बिना ही वर्कशाप स्टोर के दो कर्मचारियों ने उस डिब्बे का माल उतारकर वहां स हटा दिया। इसके बाद माल डिब्बे का माल एक मोटर ट्रक द्वारा यमुनानगर भेजा गया और वहां हमीदा कालोनी में श्री जीवन सिंह के कारखाने में रख दिया गया। उत्तर रेलवे सुरक्षा दल के खुफिया विभाग को इसके बारे में सुराग लग गया और 20-4-1966 को उसने सरकारी रेलवे पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा। इस छापे के फलस्वरूप, 102 बेयरिंगस्प्रिग बरामद हुए जिनका मूल्य लगभग 15,300 रु० है।

(ग) रेलवे स्टोर का अवैध कब्जा अधिनियम (Unlawful Possession of Rly.Stores Act.) की धारा 3 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/420 के अन्तर्गत अम्बाला कैंट के सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन में 12-4-66 को प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 43 के अनुसार एक मामला दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने दो बाहरी व्यक्तियों और चार रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की छानबीन हो रही है।

आयात की गई खजूर

*1680. **श्री हरी विष्णु कामत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल में भारी मात्रा में आयात की गई खजूर को बम्बई के नगर निगम विश्लेषक ने मनुष्यों के खाने योग्य नहीं पाया;

(ख) क्या उनके खाने योग्य न होने के बावजूद भी राज्य व्यापार निगम ने सारे देश में उनका वितरण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गई खजूरों की कुल 51,404 टोकरियों में से केवल 129 टोकरियों को मनुष्यों के खाने योग्य नहीं पाया गया और वे रद्द कर दी गई। 450 टोकरियों की एक खेप की किस्म अभी विवादग्रस्त है। इन खजूरों का वितरण नहीं किया गया है। बाकी खेपों को पत्तन तथा नगर पालिका स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने पूर्णतः छोड़ दिया था।

रेलगाड़ी में डकैती

*1681. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी कटिहार सेक्शन पर पसराहा और नरायनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच चलती रेलगाड़ी में खुले आम डकैती की गई जिसमे डाकू यात्रियों के जेवर, नोट, अटैची केस तथा अन्य सामान छीन ले गये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। शिकायत करने वाले द्वारा थाना बिहपुर स्थित सरकारी रेलवे पुलिस के पुलिस स्टेशन में 24-4-1966 को दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार एक चोर 23/24 अप्रैल, 66 को 02·30 बजे चलती गाड़ी से एक सूटकेस लेकर भाग गया। इस सूटकेस में आधे दर्जन टेरेलीन के सूट और शिक्षा सम्बन्धी कुछ प्रमाणपत्र रखे हुए थे।

(ख) और (ग) : सरकारी रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस छानबीन कर रही है।

रेलवे में फालतू कर्मचारी

*1682. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री तिम्मय्या :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिशों के अनुसार सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से फालतू कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह रेलवमंत्रालय पर भी लागू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : सम्भवत: माननीय सदस्यों का आशय उन कर्मचारियों को अन्यत्र काम पर लगाने की योजना से है, जो प्रशासनिक सुधारों के लागू होने अथवा वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण-यूनिट द्वारा किये गये अध्ययनों के फलस्वरूप फालतू हो गये ह। यदि ऐसा है, तो जहां तक रेल मंत्रालय का सम्बन्ध है, इस योजना के निहितार्थों पर विचार किया जा रहा है।

Fire to Railway Wagons at Baran Station

*1683. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sixteen railway wagons filled with hay belonging to the military caught fire and were reduced to ashes at Baran Railway Station (Rajasthan) on the 19th April, 1966 ;

(b) if so, the causes of the incident ; and

(c) the extent of the loss suffered ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir, but 14 and not 16 box wagons of hay caught fire.

(b) According to the Joint Enquiry Committee of Senior Officers, the fire had been caused by spark emitted from the chimney of an engine of passing goods train No. 934 Up.

(c) The total loss has been estimated at Rs. 14,550.

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम

*1684. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु निगम ने कितने वस्तु विनिमय/समांतर सौदे किये; और

(ख) क्या सौदों का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनभाई शाह) : (क) राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा 1964-65 और 1965-66 में किये गये विनिमय/समान्तर सौदों की संख्या इस प्रकार है :—

	1964-65	1965-66
रा० व्या० नि०	9	6
ख० धा० व्या० नि०	21	42

(ख) चूंकि ये वाणिज्यिक सौदे हैं, अत: उनके लम्बे-चौड़े विवरणों को मेज पर रखना सम्भव नहीं है। इन सभी सौदों के अन्तर्गत 1964-65 और 1965-66 में निर्यात तथा आयात की गयी वस्तुएं और उनका मूल्य विवरण 1 तथा 2 (वस्तु विनिमय सौदों के बारे में) और विवरण 3 तथा 4 (समानान्तर सौदों के बारे में) दिया गया है, जिन्हें मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6339/66।]**

इस्पात कारखानों और बन्धित (कैपटिव) खानों के श्रमिक

*1685. श्री बाजी :
श्री ईश्वर रेड्डी ।

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना में इस्पात कारखानों और बन्धित (कैपटिव) खानों के श्रमिकों के बीच अनुचित भेदभाव के प्रति विरोध जारी रखते हुए मजदूर संगठनों की कार्यवाही समिति ने 28 मार्च, 1966 को सांकेतिक हड़ताल की थी और इस बारे में अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) क्या भिलाई इस्पात कारखाने और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सलाह दी गई है कि महंगाई भत्ते की दरों में असमानता के सम्बन्ध में बन्धित (कैपटिव) खानों के मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के कारणों को दूर करने के उपाय करके खानों तथा कारखाने में उत्पादन बन्द होने से रोकें; और

(ग) क्या सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिये मजदूर संगठनों के साथ सीधी बातचीत आरम्भ की है जिसके असफल होने पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को यह विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने की सलाह दी जायेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6340/66 ।]**

Swadeshi Cotton Mill, Indore

*1686. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Swadeshi Cotton Mill, Indore was closed three or four months back ;

(b) whether 3,000 labourers have been rendered jobless as a result thereof ;

(c) whether the Central Government has appointed a Controller ; and

(d) whether no date has yet been fixed for reopening the Swadeshi Cotton Mill ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) to (c). Yes, Sir.

(d) The Mill is reported to have started working partly on 9th May, 1966, employing about 650 workers. It is expected that the mill will start working in full by the 22nd May, 1966.

रेलवे पुलिस द्वारा यात्रियों पर लाठी प्रहार

*1687. श्री प० वेंकटासुब्बया :
श्री बजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अप्रैल, 1966 को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लाठी प्रहार किया था;

(ख) क्या इस लाठी प्रहार से कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं ;

(ग) क्या रेलवे सम्पत्ति को कोई क्षति हुई ; और

(घ) इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का क्या कारण था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सात उपद्रवियों को मामूली चोटें आयीं।

(ग) जी हां।

(घ) गड़बड़ उस समय शुरू हुई जब हावड़ा स्टेशन पर भीड़ काबू से बाहर हो गयी, क्योंकि गाड़ियों का आना-जाना अस्त-व्यस्त हो गया था, जिसका कारण यह था कि उत्तरपाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने मुख्य लाइन की गाड़ियों का आना-जाना इस बिना पर रोक दिया था कि गाड़ियां देर से चलती हैं और उनमें जगह की कमी है। पुलिस के बारबार अनुरोध करने पर भी भीड़ ने हटने से इन्कार कर दिया और बाद में हिंसा पर उतर आयी, जिससे पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा।

रसायन निर्माताओं के लिये आर्थिक सहायता

*1688. श्री सुबोध हंसदा :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सोलंकी :
श्री बडे :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात के लिये रसायनों का निर्माण करने वाले रसायन निर्माताओं को आर्थिक सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी में किन रसायनों को सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) उन निर्माताओं को कितनी आर्थिक सहायता दी जायगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : निर्यात के लिये रसायनों का निर्माण करने वाले निर्माताओं को नग्द सहायता देने की कोई सामान्य योजना नहीं है। फिर भी यह निश्चय किया गया है कि राज्य व्यापार निगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड टेक्नीकल, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम बाइक्रोमट उन मूल्यों पर खरीदेगा जो तकनीकी विकास के महा-निदेशक द्वारा सुझाये गये मूल्यों से अधिक नहीं होंगे और उन्हें उन न्यूनतम मूल्यों से कम पर नहीं

बेचेगा जिन्हें राज्य व्यापार निगम निश्चित करेगा। चूंकि निर्यात के परिमाण का पहले से पता नहीं चल सकता इस लिये उस सहायता की राशि का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता जो योजना के अन्तर्गत दी जायगी।

NEPA Paper Mills

*1689. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production in the Nepa Paper Mills has been much higher in 1965 as compared to 1964;

(b) the target of production in the Nepa Paper Mills laid down by Government for the next year; and

(c) the action being taken to achieve that target ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) The production in Nepa Mills during the year 1965 was 30,515 tonnes and it was higher by 1,680 tonnes as compared to that of the year 1964.

(b) Present capacity of the Plant is 30,000 tonnes per annum and this is proposed to be increased to 75,000 tonnes by the end of the 4th Plan period.

(c) The expansion programme is under implementation and it is expected to be achieved by 1968-69.

Manufacture of Shoes

*1690. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Supply, Technical Development** and **Materials Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 2,000 workers of the factories manufacturing shoes for Jawans at Kanpur are idle for the last four months because of paucity of work; and

(b) whether it is also a fact that this year no orders for the manufacture of shoes were placed with the twelve factories in Kanpur, which had been previously manufacturing shoes for Jawans ?

The Minister of Supply, Technical Development and Materials Planning (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No information is available.

(b) (i) Orders for the supply of 3,89,000 pairs of Boots Ankle have been placed on 30-4-66 on 8 firms in Kanpur.

(ii) Orders for the supply of 40,130 pairs of Derby shoes have been placed on 11-3-66 on two firms in Kanpur.

नागालैंड आदि का सवक्षण

*1690-क. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूसत्वीय सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक मि० सिरिल कॉक्स ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नागालैंड, मिजो पहाड़ी जिला, मनीपुर तथा उपूसी (नेफा) का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण वस्तुतः किस वर्ष में अथवा किन वर्षों में किया गया था;

(ग) क्या उनके प्रतिवेदन से इस बात का पता चला था कि उक्त क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल तथा सामरिक महत्व के खनिज विद्यमान है;

(घ) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या 1946 में अथवा इसके आसपास कुछ उपरोक्त क्षेत्रों को बैप्टिस्ट मिशन तथा अथवा अन्य धर्म प्रचार संस्थाओं तथा कलकत्ता की कुछ प्रमुख ब्रिटिश फर्मों को, जिनके मुख्यालय लन्दन में थ, स्थायी तौर पर अथवा 99 वर्षीय पट्टे पर दे दिया गया था; और

(छ) यदि हां, तो इस समय उन क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ङ) : नहीं, महोदय। इन क्षेत्रों का कोई विधिवत् सर्वेक्षण नहीं किया गया। डा० सिरिल फौक्स ने कोयला खानों पर अपना अनुसंधान-लख तैयार करते समय 1926-27 में इस क्षेत्र के कुछ भागों का अभीक्षण किया था। उन्होंने अपने अभीक्षण के परिणामों के विषय में औपचारिक रूप से कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। नामचाक के उस ओर वाली कोयला खानों के विषय में उन्होंने केवल सामान्य टिप्पण दिये जो कि निदेशक की 1927-28 वर्ष की रिपोर्ट में शामिल किये गय।

(च) और (छ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

जस्ता पिघलाने की परियोजना, उदयपुर

5542. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने उदयपुर की जवार खानों तथा जस्ता पिघलाने की परियोजना को अपने अधिकार में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब चालू किय जाने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया की निकाय जिसमें औरों के साथ साथ जवार खानें जस्ता प्रद्रावक और सीसा प्रद्रावक भी शामिल है संसद के एक अधिनियम अर्थात् कारपोरेशन आफ इंडिया (एक्यूजीशन आफ अंडर टेकिंग) एक्ट 1965 (1965 का संख्या 44) के आधीन अवाप्त की गई थी। यह निकाय की स्वामी और प्रबन्धक एक केन्द्रीय सरकार कंम्पनी अर्थात् हिन्दुस्तान जिंक लि० है।

(ख) इस समय खानों से उत्पादन 500 मीटरी टन अयस्क प्रतिदिन के स्तर का है जो कि संकेन्द्रक प्लांट द्वारा विधायन किवा जाता है। एक नया कूपक खोदने के बाद खान का उत्पादन ब ाकर 2,000 मीटरी टन अयस्क प्रतिदिन किया जा सकेगा। प्रद्रावक पर काम फिर शुरू कर दिया गया है। परियोजना के संघटकों के कार्य कलापों की समय सारिणी बनाने तथा कार्य विस्तार का निर्णय करने के लिय इंजीनियरी फर्मों तथा तकनीकी परामर्शदाताओं से विस्तृत वार्तालाप किये जा रहे हैं।

ढलाई इस्पात कारखाना, मद्रास

5543. श्री अ० क० गोपालन : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सतत ढलाई इस्पात कारखाने का परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया या है ;

(ख) क्या रूस इस कारखाने के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की लागत की मशीनें देने के लिये सहमत हो गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कब कार्य आरम्भ होने की संभावना है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) शक्यता प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, मद्रास सरकार कान्टीन्युअस कास्टिंग प्लांट की स्थापना के काम में आगे बढ़ रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : मद्रास सरकार करारों का सूक्ष्म परीक्षण कर रही है। करार अभी निष्पन्न नहीं हुये हैं। ऐसी संभावना है कि 6-7 महीनों में काम शुरू हो जाएगा।

केरल में खपरैल (टाइल) बनाने के कारखाने

5544. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल मे इस समय खपरैल (टाइल) बनाने के कितने कारखाने हैं और उनकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1965 में कुल कितने खपरैल बनाये गये;

(ग) क्या यह सच है कि उन में से बहुत से कारखाने अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इन का व्यापार मन्दा हो गया है ; और

(घ) क्या व्यापार में मंदी आने का एक कारण यह भी है कि परिवहन व्यवस्था की कमी है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) केरल में 214 टाइलें बनाने के कारखाने हैं और उनकी कुल स्थापित क्षमता प्रति वर्ष 6162 लाख टाइलें बनाने की है।

(ख) 3318 लाख टाइलें।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

मेरीन डीजल इंजन निर्माण कारखाना

5545. श्री अ० क० गोपालन :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दाजी :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक मेरीन डीजल इंजन निर्माण कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर खोला जायेगा;

(ग) इस कारखाने पर कितनी पूंजी लगेगी ; और

(घ) इस के कार्य के कब आरम्भ होने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : केरल राज्य के औद्योगिक विकास निगम लि०, त्रिवन्द्रम तथा एक प्राइवेट पार्टी ने एर्नाकुलम के नजदीक मेरीन डीजल इंजन के बनाने का एक नया कारखाना खोलने की एक योजना पर सम्मित रूप से जो प्रायोजना प्रस्तुत की है उसे सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया गया है। इस योजना (जमीन, भवन तथा मशीनों) पर 22 लाख रु० की पूंजी लगने का अनुमान है। इस योजना से सम्बधित मशीनों का आयात करने तथा विदेशी सहयोग की शर्तों के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप स्वीकृति दी जानी है।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

5546. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या है; और

(ख) वर्ष 1965-66 में प्रत्येक उद्योग को कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के ये कारखाने स्थित :

1. फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, अलवाय।
2. कोचीन रिफायनरीज लि०, एरनाकुलम्।
3. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, कालमस्सेरी।
   (मशीन टूल फैक्टरी–4)
4. हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्ज लि०, अलवाय।
5. इंण्डियन रेयर अर्थ्स लि०, उद्योगमण्डल (अलवाय)।
6. केरल सोप्स एण्ड आयल लि०, कालीकत।
7. त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि०, बलरामपुरम्।
8. त्रिवेन्द्रम रबर वर्क्स लि०, त्रिवेन्द्रम।
9. त्रावन्कोर प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज लि०, पुनालूर।
10. केरल इलैक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि०, कुण्डारा।
11. केरल सिरेमिक्स लि०, कुण्डारा।
12. त्रावन्कोर टिटैनियम प्राडक्ट्स लि०, कोचुवेली, त्रिवेन्द्रम।
13. केरल स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, पट्टम-कौड़ियार रोड़, त्रिवेन्द्रम।
14. केरल स्टेट इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, वेल्लयम्बलम्, त्रिवेन्द्रम।

14क. पैकेजिंग पेपर कारपोरेशन।
(केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की सहायक संस्था है)

15. फारेस्ट इण्डस्ट्रीज (त्रावन्कोर) लि०, अलवाय।
16. ट्रांस्फामर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि०, अंगमाली, एरणाकुलम।
17. दि त्रावन्कोर कोचीन कैमिकल्स लि०, उद्योग मण्डल, एरणाकुलम।
18. ट्राकोकेबिल कम्पनी लि०, एरणाकुलम्।

19. पल्लाथरा ब्रिक्स लि०, शेर्तल्लाई ।

20. यूनाइटेड इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लि० ।

21. केरल प्रेमो पाइप फैक्टरी ।

22. केरल फिशरीज कारपोरेशन लि० ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उद्योगों का 1965-66 के हानि-लाभ का हिसाब अभी तैयार नहीं हुआ है। उक्त वर्ष में उनमें से प्रत्येक को कितना लाभ अथवा हानि हुई है इसका पता केवल अगस्त-दिसम्बर, 1966 में ही किसी समय लग सकेगा जब आमतौर पर उनकी वह वार्षिक साधारण बैठक हो चुकी होगी जिसमें उनका हिसाब-किताब, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि स्वीकार की जाती है ।

मालाबार में चीनी मिट्टी के निक्षेप

5547. श्री अ० क० गोपालन : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मालाबार और केरल में चीनी मिट्टी के निक्षेप है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी मिट्टी निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) केरल सरकार ने सूचीत किया है कि चीनी मिट्टी के लिये कुछ खनन पट्टे स्वीकार किये जा चुके है और खनन पट्टो के लिये कुछ प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

खादी का फालतू स्टाक

5548. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न खादी संस्थाओं के पास खादी का कितना फालतु स्टाक बिन बिका पड़ा है;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशन में प्रत्येक राज्य में कितनी खादी संस्थाएं काम कर रही है; और

(ग) उस फालतू स्टाक की निकासी के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मज पर यथा समय रख दी जायगी ।

अमरीका से उपशामक गोंद (ट्रेंक्विलाइजर गम) का आयात

5549. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से उपशामक (ट्रेंक्विलाइजर) गोंद का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसका किस कार्य के लिये उपयोग किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उडीसा में कुटीर उद्योग

5550. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा राज्य में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई योजनाएं बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि में इन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। फिर भी 1966-67 के लिये योजना आयोग द्वारा 58 लाख रु० का परिव्यय और खादी आयोग द्वारा उसी अवधि के लिये 15,23,000 रु० के अनुदान तथा 35,76,000 रु० के ऋण का बजट में आवंटन किया गया है।

उड़ीसा में शक्ति चालित हलों का निर्माण

5551. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में शक्ति चालित हलों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस राज्य के किसानों को यह हल कब उपलब्ध कराये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख) : मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम अपनी शक्ति चालित हलों के निर्माण की योजना को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक पूंजी गंत माल की लागत को पूरा करने के हेतु विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के वास्ते विदेशों में मध्यम अवधि के ऋण लेने का प्रयत्न कर रही है। वर्तमान हालात में शक्ति चालित हलों का निर्माण शुरू होने की तारीख के बारे में कुछ भी बताना सम्भव नहीं है।

उडीसा में रेलवे पुल

5552. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा राज्य में कितने ऊपरी पुलों तथा कितने निचले पुलों के निर्माण के लिये काम आरम्भ करने का विचार है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त अवधि में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्याम नाथ): (क) और (ख) : एक बयान संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6341/66।]**

उर्वरक कारखाने

5553. **श्री राम हरख यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखानों के लिये अपेक्षित पुर्जों का निर्माण करने में इंजीनियरी तथा इस्पात उद्योगों ने काफी प्रगति नहीं की है;

(ख) क्या सरकार तथा सिन्दरी फर्टिलाइजर ऐंड कैमिकल्स लिमिटेड ने इस पहलू की विस्तारपूर्वक जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरक कारखानों के लिये अपेक्षित सभी पुर्जों का देश में ही निर्माण करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) एक फर्टीलाइजर प्लांट में काफी मात्रा में स्वदेशी पुर्जे होते हैं। इन सामग्री में से कुछ को बनाने की क्षमता देश में उपलब्ध है लेकिन उच्च दबाव के कम्प्रेशर और पम्प, मध्यम तथा उच्च दबाव के वेसल और वाल्व आदि के उत्पादन के लिये कोई विशष सुविधायें उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सरकारी उपक्रमों में इन चीजों के उत्पादन के लिये सुविधाएं स्थापित की जा रही है जो स्थापित होने के पश्चात फर्टीलाइजर प्लांटों के लिये आवश्यक उपकरणों और संयंत्र की कुल आवश्यकता के 70 से 80 प्रतिशत तक की मांग को पूरा करेंगी।

(ख) और (ग) : अतिरिक्त पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन के प्रश्न पर सिन्द्री फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा विचार किया गया है। स्वदेश में निर्मित होने वाली सामग्री के अतिरिक्त पुर्जे निश्चित रूप से स्थानीय रूप से बनाये जायेंगे। लेकिन मूल रूप विदेशों से आयात होने वाले अतिरिक्त पुर्जों के बारे में उनके विशिष्ट प्रकार डाइंग, डिजाइन तथा अन्य तकनीकी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण तथा ऐसे अतिरिक्त पुर्जो की तुलनात्मक रूप में कम आवश्यकता के कारण उनका स्वदेश में उत्पादन करना न तो व्यवहारिक है और न ही आर्थिक दृष्टि से उचित है। हां, । उर्वरक उद्योग के लिये अतिरिक्त पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन के विकास के काम पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है।

Trains included in Time Table but not running

5554. **Shri Tan Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of such trains in the country, timings in respect of which are included in the time table but which are not running at present;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) when they are going to be run ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The following trains included in current time table are not running at present :

(i) 401 Up/402Dn East Bengal Expresses.

(ii) 403Up/404Dn East Bengal Mails.

(iii) 405Up/406Dn Barisal Expresses.

(iv) 77Up/78Dn Amritsar-Lahore Expresses.

(v) 1 JBM/2 JBM Passengers between Gadra Road and Munabao/Khokhropar.

(vi) S 111 Up (Saturdays excepted)/S 106Dn Sealdah-Shantipur Locals
S 501 Up (Saturdays only).

(vii) G 199Up/G 204 Dn Sealdah-Bangaon Locals.

(viii) 5 NB Up, 25 NB UP
2 NB Dn. 6 NB Dn } Bandel-Naihati Locals.

Trains mentioned in items (i) to (v) above had to be suspended consequent on the outbreak of hostilities between India and Pakistan during September 1965. Running of these trains, with the exception of 1 JBM/2 JBM Passenger trains, will continue to remain suspended till such time as through running between India

and Pakistan is restored. Nos. 1 JBM/2 JBM Passenger trains, at present, running between Barmer and Gadra Road are proposed to be extended to and from Munabao as soon as the rail track etc., is repaired.

Suitable indication about the trains having been shown but not running has been given in the Eastern Railway and Northern Railway's current time tables.

The suburban local trains mentioned in items (vi) to (viii) above had to be cancelled due to shortage of Electrical Multiple Unit rakes brought about by 12 Electrical Multiple Unit coaches having been burnt during recent disturbances in West Bengal. The train services mentioned in items (vi) and (vii) above will be restored as and when Electrical Multiple Unit coaches become available after repairs.

As regards trains mentioned in item (viii) above, their restoration is not justified as the timings of other suburban services have been suitably adjusted and some through trains have also been provided stoppages at intermediate stations on the Bandel-Naihati section to cater to the needs of passengers there.

औद्योगिक विकास

5555. श्री श्रीनारायण दास : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न भागों में तेजी से औद्योगिक विकास करने हेतु उद्योगों की स्थापना के स्थानों के बारे में एक सक्रिय नीति बनाने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा है; और

(ग) देश के भिन्न-भिन्न भागों में उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिये वांछित स्थानों पर औद्योगिक उपक्रमी आकर्षित करने के लिये यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई प्रोत्साहन या सुविधाएं दी गई हैं, तो क्या ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जो तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है उनमें और 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प में इस बात पर समुचित जोर दिया गया है कि देश के अपेक्षाकृत कम विकसित इलाकों के सामान्य आर्थिक विकास के अंग के रूप में उनके औद्योगिक विकास का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिये। हमारी औद्योगिक नीति क एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न इलाकों के औद्योगिक विकास में सन्तुलन आ जाये और देश के प्रत्येक भाग के संसाधनों का यथासम्भव पूरा-पूरा उपयोग होने लगे।

(ख) इस नीति के परिणाम स्वरूप देश के सभी भागों में काफी व्यापक रूप से सरकारी क्षेत्र के कारखानों की स्थापना की गयी है।

गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान नियत करने संबंधी स्थिति कहीं अधिक कठिन है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन योजनाओं के लिये स्वीकृति देते समय उद्योगों के समान आधार पर वितरण का ध्यान तो अवश्य रखा जाता है, परन्तु यह बात सदा स्मरण रखी जानी चाहिये कि उक्त अधिनियम के आधीन सरकार को जो शक्तियां प्राप्त हैं उनका प्रयोग भीड़भाड़ वाले इलाके में उद्योगों का जमा रोकने के लिये तो किया जा सकता है लेकिन अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने में वह अधिक काम नहीं आ सकता।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए कुछ प्रोत्साहन / सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है। सन् 1965-66 के बजट में सार्वजनिक कम्पनियों को भीड़-भाड़ वाले प्रमुख शहरों से अपने कारखाने हटाने के लिए

प्रोत्साहित करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि इन कारखानों को इन शहरों में जमीन और इमारतों आदि की बिक्री से जो पूंजीगत लाभ होगा उसका जितना अंश व सरकार की पूर्व अनुमति से किसी नये क्षेत्र में जमीन और इमारतों पर, जिनमें कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले आवास भी शामिल होंगे; फिर लगा देंगे उसका पूंजी लाभ कर उनको लौटा दिया जायेगा।

चलती गाड़ियों में यात्रियों का लूटा जाना

5556. श्री राम हरख यादव : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री पन्नालाल : **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अप्रैल, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे की 119 अप कानपुर-फरूखाबाद यात्री गाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में बड़ी संख्या में बैठे हुए डाकुओं ने उसी डिब्बे के यात्रियों को फतेगढ़ से लगभग 25 मील दूर खुदलापुर रेलवे स्टेशन पर लूट लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस में कितने यात्री जखमी हुए और कितने यात्री लूटे गये; और

(घ) इन यात्रियों की जान माल की कितनी हानि हुई?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : सही स्थिति यह है कि 21-4-66 को कानपुर से कमालगंज जाने वाली 119 अप सवारी गाड़ी में 4 बदमाश जशोदा स्टेशन पर चढ़ गये और उन्होंने खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी को खुदलापुर स्टेशन पर रोक लिया। उन्होंने तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक यात्री को रिवाल्वर दिखाकर लूट लिया और उससे उसकी बन्दूक तथा 16 भर हुए कारतूस छीन लिये। इस मामले के सम्बन्ध में अभी तक अरौल-मकनपुर रेलवे स्टेशन के एक गैंगमैन को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) कोई भी यात्री जखमी नहीं हुआ।

(घ) दूसरे यात्रियों की जान-माल की कोई हानि नहीं हुई।

कालका मेल में लगाये जाने वाले भोजन यान (डाइनिंग कार) के कर्मचारी

5557. डा० कोहोर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में कालका मेल में लगाये जाने वाले भोजन यान के कर्मचारियों को पिछले छः महीनों से उनका मासिक वेतन नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मेवे का आयात

5558. श्री ज० रा० मेहता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 से 1965 तक की अवधि में (वर्षवार), किन फर्मों को तथा कितनी राशि के मेवों के लिये आयात-लाइसेंस इस शर्त पर दिये गये थे, कि वे कम से कम उतनी ही राशि मूल्य के अन्य माल का निर्यात करेंगे ;

(ख) इनमें से कितनी फर्मों ने इस दायित्व को पूरा नहीं किया तथा उनकी बैंक गारन्टी जप्त करने के अतिरिक्त और क्या दंड दिया गया;

(ग) क्या सभी को एक ही प्रकार का दंड दिया गया अथवा कुछ मामलों में भिन्न प्रकार का दंड दिया गया था; और

(घ) क्या कुछ मामलों में भिन्न प्रकार का दंड दिया गया था, यदि हां, तो इन फर्मों का नाम क्या है और उन्हें क्या दंड दिया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मेवों तथा खजूरों के लिये जिन फर्मों को लाइसेंस दिये जाते है, उनके नाम और जारी किये जाने वाले लाइसेंसों की राशियां आयात तथा निर्यात के मूख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक बुलेटिन में छापी जाती हैं।

(ख) से (घ) : कुछ को छोड़कर, सभी निर्यातकों ने अपने निर्यात दायित्व पूरे किये हैं। कुछ मामलों, जिनमें निर्यात दायित्व पूरे नहीं किये गये हैं, उन पर बन्ध-पत्र आदि के पालन की दंडात्मक कार्यवाही की जा चुकी है अथवा की जा रही है।

रेडियेटर (तापनाशक यंत्र) की खरीद

5559. श्री जसवंत मेहता : क्या **संभरण, तकनीकी विकास** तथा **सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संभरण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा 1961 से 1965 तक की अवधि में (वर्ष-वार) कितने मूल्य और किस किस्म के देशी रेडियेटर (तापनाशक यंत्र) खरीदे गये ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : 1961-1965 की अवधि के दौरान में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने रेडियेटरों के लिये निम्नलिखित केवल दो आर्डर दिये :—

आर्डर की तिथि	फर्म का नाम	माल/मात्रा का वर्णन	मूल्य
30-3-63 .	सर्वश्री हिन्दुस्तान रेडियेटरेज, जोधपुर ।	रेडियेटर एसी (भाग संख्या सी 39ए-8005 फोर्ड गाड़ियों के लिये संख्या 795)	350 रु० प्रति
14-9-65 .	सर्वश्री प्रीमियरेज आटोमोबाईलज, बम्बई .	रेडियेटर कोर (भाग संख्या पी० ए० वी०-21413 डाज गाड़ियों के लिये— संख्या 515)	536.90 रु० प्रति
		रेडियेटेर कोर (भाग संख्या पी० ए० वी—4802 डाज गाड़ियों के लिये— संख्या 788)	439.35 रु० प्रति

इसके अतिरिक्त, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के दर चालू ठेकों के विरुद्ध रेडियेटरों की खरीद मांगकर्त्ताओं द्वारा सीधे निर्माण कर्त्ताओं से की जाती है। इस प्रकार की सीधी खरीद का मूल्य पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को ज्ञात नहीं।

जोधपुर आगरा लाइन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

5560. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अप्रैल, 1966 को कुचामन रोड स्टेशन के निकट पश्चिमी रेलवे की जोधपुर-आगरा लाइन पर एक यात्री गाड़ी का एक डिब्बा पटरी पर से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि इसमें जान माल का कोई नुकसान हुआ, तो कितना ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : 28-4-66 को जब सवारी गाड़ी नं० 8 डाउन कुचामन रोड और जाबदीनगर स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो गाडी के इंजन से सातवां डिब्बा पटरी से उतर गया।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 900 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

Cheap Radio Sets

5561. **Shri Bhagwat Jha Azad** : **Shri P. C. Borooah** :
Shri M. L. Dwivedi : **Shrimati Savitri Nigam** :
Shri Subodh Hansda : **Shri R. S. Pandey** :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised any scheme regarding the manufacture of cheap radio sets;

(b) when their manufacture is likely to be started; and

(c) whether Government have invited any foreign collaboration in the matter?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir. The manufacture of cheap radio sets has been entrusted to a consortium formed by the Federation of Association of Small Industries.

(b) The production is likely to start in about 4 months.

(c) No, Sir.

बुन्देल खंड का भूतत्वीय सर्वेक्षण

5562. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुन्देल खंड क्षेत्र का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है उस क्षेत्र में अच्छे उर्वरकों का उत्पादन करने के लिये सभी अपेक्षित तत्व पाये गये है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) नहीं, महोदय। आम प्रचलित उर्वरक खनिज है जिप्सम, एपाटाइट, और फासफेट चट्टाने, साल्टपीटर, गंधक और पाराइट्स। जिन में से केवल जिप्सम प्राप्ति के चिन्ह पाये गये है जो आर्थिक दृष्टि से अपर्याप्त है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

5563. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल को कितनी हानि हुई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल द्वारा 1962-63, 1963–64 तथा 1964-65 में हुई हानि नीचे बतलाई गई है।

1962-63 . . .	. 433.57 लाख रु०
1963-64 . . .	. 568.75 लाख रु०
1964-65 . . .	. 947.61 लाख रु०

चाय बोर्ड

5564. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड का एक कार्य विदेशों से आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सर्वोत्तम भारतीय चाय भेंट करना है ;

(ख) यदि हां, तो इस मद पर 1964-65 में कितनी राशि खर्च हुई; और

(ग) 1964-65 में कितने विशिष्ट व्यक्तियों को सर्वोत्तम चाय भेंट की गई थी और वे व्यक्ति किन किन देशों के थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : चाय बोर्ड ने वर्ष 1964-65 में निर्यात सम्बर्द्धन के उपाय और शिष्टाचार के रूप में 71 विशिष्ट व्यक्तियों को 3283.29 रु० की अच्छी किस्म का चाय उपहारस्वरूप दी। ये विशिष्ट व्यक्ति संयुक्त अरब गणराज्य, जापान, आस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, अफगानिस्तान, कत्तार, टयूनीशिया और ब्रिटेन के थे।

चाय उत्पादक

5565. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सं० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय उत्पादकों को किन आधारों पर बिना शर्त अनुदान तथा आर्थिक सहायता दी जाती है; और

(ख) 1965 में इन मदों के अन्तर्गत चाय उत्पादकों को कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) चाय उत्पादकों को सहायता देने के लिये इस प्रकार का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। कठिनाई के मामलों पर उनके औचित्य के अनुसार विचार किया जाता है। इस प्रकार त्रिपुरा में, जहां उचित परिवहन सुविधाओं के अभाव में उत्पादकों के सामने बाधाएं आती है और उन्हें चाय को कलकत्ता बाजार में वायु-यानों द्वारा भेजने के लिये विवश होना पड़ता है, वहां उन्हें वायु-भाड़े में चाय बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अन्य क्षेत्रों में पैदा हुई उसी प्रकार की चाय के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। मद्रास, केरल तथा पंजाब में लघु उत्पादकों के मामले भी हैं। इन लघु उत्पादकों की आर्थिक दशाओं की जांच करने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि यदि इन उत्पादकों की सहकारिताएं बना ली जाएं तो छोटे बागान और अच्छी तरह चल सकते है। इस प्रकार के जिन लघु उत्पादकों ने सहकारिताएं बना ली हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरक मिलते हैं। इन सहकारिताओं द्वारा प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्यवेक्षी कर्मचारियों को रखने में हुई कठिनाइयों के कारण लघु उत्पादकों की सहकारिताओंको कर्मचारियों की लागत राशि चाय बोर्ड द्वारा दी जाती है।

(ख) 1965 में उपर्युक्त सहायता के फलस्वरूप बांटी गई धनराशि 5,63,188 रु० है।

ब्रिटिश गियाना से चावल का आयात

5566. श्री यशपाल सिंह :
श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश गियाना के साथ भारतीय वस्तुओं के निर्यात के बदले में वहां से चावल का आयात करने के बारे में करार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) ब्रिटिश गियाना से चावल की खरीद के लिये होने वाली बातचीत अब लगभग पूरी हो गई है, परन्तु औपचारिक संविदा पर अभी हस्ताक्षर किये जाने शेष हैं।

(ख) इस करार के अन्तर्गत भारत 10,000 टन चावल ब्रिटिश गियाना से खरीदेगा। इसके बदले में ब्रिटिश गियाना भारतीय जूट के बोरों, सूती वस्त्रों, इंजीनियरी वस्तुओं तथा अन्य किस्म की वस्तुओं के आयात में वृद्धि करेगा।

Kari Pahari Station

5567. Shri M. L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for the delay in the implementation of the decision to re-open the Kari Pahari station which is situated between Manoba and Kabrai stations of Jhansi Manikpur branch line of the Central Railway; and

(b) when the passenger trains are likely to stop at that station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b) It has been accepted in principle to provide a contractor-operated train halt at Kari Pahari between Maboba and Kabrai stations and the Central Railway Administration is taking necessary action in the matter.

पाकिस्तान रक्षा कोष के लिये दिल्ली क्लाथ मिल्स का अंशदान

5568. श्री मधु लिमये: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल्स के पाकिस्तान में स्थित एक सम्बद्ध मिल को पाकिस्तान सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) क्या इस मिल को पाकिस्तान रक्षा कोष में कोई अंशदान देने के लिये मजबूर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मिल तथा पाकिस्तान सरकार द्वारा जब्त की गई अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। पाकिस्तान में सभी भारतीय व्यवसाय उपक्रमों की परिसम्पत्तियों को पाकिस्तान सरकार ने शत्रु सम्पत्ति के रूप में अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) सरकार ने ऐसी रिपोर्ट देखी हैं परन्तु इन रिपोर्टों की पुष्टि करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) पाकिस्तान में भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को हथिया लेने के विरूद्ध पाकिस्तान सरकार को एक प्रबल विरोध-पत्र भेजा गया है।

उत्तर प्रदेश में अम्बर चर्खे

5569. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में उत्तर प्रदेश में कितने अम्बर चर्खे बांटे गये ;

(ख) उक्त अवधि में कितने अम्बर चर्खे वस्तुत: चल रहे थे; और

(ग) उक्त अवधि में कुल कितनी मात्रा में सूत तैयार किया गया।

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) :

(क) :

वर्ष	बांटे गए अम्बर चर्खों की संख्या
1964-65 . . .	2,644
1965-66 (31-12-1965 तक) . . .	1,957

(ख) :

वर्ष	चल रहे अम्बर चर्खों की संख्या
1964-65 . . .	16,954
1965-66 (31-12-1965 तक) . . .	20,145

(ग) :

वर्ष	तैयार किया गया सूत	
	मात्रा (लाख कि०ग्रा०)	मूल्य (लाख रु०)
1964-65 . .	3.22	30.94
1965-66 . . (31-12-1965 तक)	2.01	23.52

लघु उद्योग सेवा संस्था

5570. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी राज्यों में औद्योगिक संभाव्यताओं के बारे में लघु उद्योग सेवा संस्था ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में कौन-कौन से उद्योगों स्थापित किये जा सकते हैं; और

(ग) उन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर कितने उद्योगों स्थापित किये गये है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में सर्वेक्षण किये जा चुके हैं।

(ख) आसाम और पश्चिम बंगाल राज्यों में जिन जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है उनमें विकास की संभावना वाले उद्योगों का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6342/66।]**

(ग) आसाम के कुछ जिलों में जो उद्योग स्थापित किये हैं उनकी सूची सलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6342/66।]** पश्चिम बंगाल में स्थापित किये उद्योगों के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने की प्रतिक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Target of Fifth Steel Plant

5571. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state ·

(a) whether Government have reduced the proposed target of production of the Fifth Steel Plant; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) & (b). Government have yet to take a decision on the setting up of the fifth steelworks.

Extension of term of Chairman, Railway Board

5572. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the term of the present Chairman of the Railway Board has been extended; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, sir.

(b) Extension has been granted in the Public interest.

West German Technicians

5573. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact tnat the Central Government have made available the services of 18 West German technicians to the Bihar State ; and

(b) if so, the details of works for which their services would be utilised ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) Their services are being utilised in the following manner :

Six technicians . .	(i) For looking after industrial units located in the Patna Industrial Estate.
	(ii) For taking up practical classes in the Patna Polytechnic.
	(iii) For taking up practical classes in the I.T.I. Digha.
Three technicians	(iv) Cycle Factory, Phulwarisharif, Patna.
Five technicians	(v) For looking after industrial units located in the Industrial Estate, Ranchi.
	(vi) For taking practical classes in the Engineering School at Ranchi.
	(vii) For taking up classes in the I.T.I., Ranchi.
Four technician	(viii) For looking after various Small Scale Industrial Units located in and around Jamshedpur.

18 technicians.

राजस्थान में औद्योगिक सहकारी समितियां

5574. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां चल रही है; और

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 3064

(ख) उत्पादन (1964-65 के दौरान) 19.95 लाख रु० का क्षमता ज्ञात नहीं है।

राजस्थान में लघु उद्योग

5575. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास के लिये उस राज्य को कोई ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) गौर (ख) : राज्य सरकारों को लघु उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता तथा ऋण प्रतिवर्ष एक मुश्त दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा योजनानुसार नियतन नहीं किया जाता तथा राज्य सरकारें इस प्रकार मिली केन्द्रीय सहायता का उपयोग आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं पर करने के लिये स्वतंत्र हैं।

इस उद्देश्य के लिये 1965-66 में केन्द्र द्वारा राजस्थान को कुल 570 लाख रु० की सहायता दी गई जिसमें आवश्यकतानुसार रद्दों बदल की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कारखाने

5576. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 और 1967 में विदेशी सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और कौन-कौन से औद्योगिक कारखाने स्थापित किये जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) **सरकारी क्षेत्र**

(1) भारी ढांचे बनाने की प्रायोजना, इलाहाबाद।

(2) भारी पम्प तथा कम्प्रैशर बनाने की प्रायोजना, इलाहाबाद।

(3) केन्द्रीय ढलाई गढ़ाई प्रायोजना, रानीपुर।

निजी क्षेत्र

निजी पार्टियों को विदेशी सहयोग की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल आशय पत्र के रूप में की जाती है जिसमें उन शर्तों को बतला दिया जाता जिन पर सरकार को विदेशी सहयोग स्वीकृत होगा। इसके प्राप्त होने के बाद पार्टियां आपस में असली समझौता कर लेती हैं। यह जरूरी नहीं है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सहयोग की सभी परियोजनाएं पूरी हो जायं। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है। यह बताना सम्भव नहीं है कि कौन-कौन से स्वीकृत औद्योगिक एकक 1966-67 में क्रियान्वित हो जायेंगे।

रेलवे के लिये ढली वस्तुएं तथा माल डिब्बे बनाने का कारखाना

5577. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैनी (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश, में विदेशी सहयोग से रेलवे के लिये ढली वस्तुएं तथा माल डिब्बे बनानेका एक कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उस पर कितनी लागत आयेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, रेलवे के चल स्टाक के लिये ढलवां इस्पात का निर्माण करने के उद्देश्य से रूसी आर्थिक और तकनीकी सहायता से इलाहाबाद (उ० प्र०) के पास ननी में एक इस्पात ढलाई कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। रेल मंत्रालय के अधीन एक माल डिब्बों निर्माण कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव के बारे में अभी अन्तिम रूप से कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कदम उठाये गये है और आशा है, अगले अक्टूबर तक यह रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। परियोजना रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

(ग) परियोजना की लागत का पता तभी चल सकेगा, जब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जायेगी।

शीरे से उप-उत्पादों का उत्पादन

5578. श्री मा० ल० जाधव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीरे से उप-उत्पादों का उत्पादन करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य उप-उत्पादों का उत्पादन किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या शीरे से शराब बनाने का सरकार का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) शीरे को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले अधिकतर उद्योग औद्योगिक अल्कोहल, यीस्ट, साइट्रिक एसिड, मुर्गियों का खाद्य, तम्बाकू की तराई करने वाले तथा कच्चे लोहे की ढलाई करने वाले हैं।

(ग) जी, नहीं।

गाजियाबाद तथा शाहदरा के बीच रेलवे लाइन

5579. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गाजियाबाद तथा शाहदरा स्टेशन के बीच रेलवे लाइन की गन्दी दशा की ओर दिलाया गया है जहां से रेलगाड़ियों के गाजियाबाद से चलने के बाद ही यात्रियों को असह्य गंद आती है; और

(ख) क्या इस गन्दगी को हटाने तथा इस रेलवे लाइन को गन्द से बचाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : गाजियाबाद और शाहदरा के बीच यात्रियों को जो असह्य दुर्गंध महसूस होती है उसके मुख्य कारण यह है कि निकटवर्ती प्राइवेट कालोनी और बस्तियों में सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था और पुराने ढंग के शौचालय होने की वजह से लोग रेलवे बंध के ढलान और पट्टियों तथा इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में शौच के लिये जाते है। इसके अलावा शाहदरा के निकट रेलवे बंध के आस-पास के गड्ढों में इन बस्तियों का गन्दा पानी भी आकर इकट्ठा हो जाता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाही की जानी चाहिये क्योंकि यह रेल प्रशासन के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है ।

निर्यात

5580. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में कितने मूल्य की सामग्री का निर्यात किया गया; और

(ख) चीनी तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात के संबंध में कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964-65 में 815 करोड़ रू० मूल्य का कुल निर्यात किये गया। 1965-66 के पूरे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, परन्तु प्रारम्भिक अनुमानों से वर्ष में लगभग 810 करोड़ रू० के स्तर का संकेत मिलता है।

(ख) विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात में उनके औचित्य के अनुसार यथेष्ठ सहायता दी जाती है जिससे वे विदेशी बाजारों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकें।

उड़ीसा में औद्योगिक कारखाने

5581. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में कितने औद्योगिक कारखाने स्थापित किये गये और अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) उनके लिये सरकार ने कुल किनी धनराशि मंजूर की है; और

(ग) उक्त अवधि में उस राशि में से कितनी धनराशि बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर, अलग-अलग खर्च की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग) : जानकारी इकट्टी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री

5582. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा में सरकारी हस्त शिल्पकला पण्यशालाओं (एम्पोरिआ) के माध्यम से दस्तकारो की वस्तुओं की बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में इन पण्यशालाओं को चलाने में कितना खर्च हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) उड़ीसा में दस्तकारियों का कोई सरकारी इम्पोरियम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा के लिये कोयले ढोने वाले डिब्बे

5583. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धूलेश्वर मीना :

क्या **खान** और **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा के लिये कुल कितने कोयले ढोने वाले डिब्बे नियत किये गये थे; और

(ख) उक्त अवधि में उड़ीसा को कितने कोयला ढोने वाले डिब्बों की आवश्यकता थी?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किये गये कोयले के वैगनों की समस्त आवश्यकता तथा उड़ीसा को दिये गये कोयला वैगनों की संख्या 1965-66 में निम्न प्रकार थी :—

	(चार पहिये वाले वैगनों में)
आवश्यकताएं . .	4995
प्रेषण	7875*

*इसमें मार्च 1966 के अस्थाई आंकड़े भी शामिल है।

Jute Mill in Bihar

5584. Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Saharsa district in Bihar is a major jute-producing area and if so, the annual production of jute in that district;

(b) whether it is also a fact that the prices of jute remain substaintially low due to the absence of a jute mill there and jute-growers are unable to earn adequate profit;

(c) whether Government propose to set up a jute mill and a factory to manufacture paper or pulp from stalks of jute-plants in the jute producing area of this district; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (d). Saharsa is the second largest jute producing district in Bihar, its share in the total jute production in the State being nearly 20%. The

production of jute in Saharsa district during the last few years was of the following order :

Year	Crop ('000 bales)
1961-62	272·7
1962-63	178·3
1963-64	206·4
1964-65	161·9
1965-66	186·2

2. The quality of jute grown in Saharsa district is comparatively inferior and as a result Saharsa jute fetches a lower price. It is, however, not correct to say that jute prices in Saharsa remained substantially low in the absence of a jute mill there. As a matter of fact due to an acute shortage of raw jute in the country during the current season prices of all varieties including Saharsa jute have been ruling at a very high level both at Calcutta and in the secondary markets. While it is a fact that there is no jute mill in Saharsa district, there are already three jute mills in Bihar and bulk of their requirements of fibre is met from jute grown in Purnea and Saharsa districts. The country as a whole has more jute manufacturing capacity than the availability of raw jute with the result that the requirements of the existing mills are met by allowing imports of raw jute from time to time. The only way to ensure a better price for Saharsa jute is to improve the quality of jute grown in that district.

3. There is no proposal to set up a jute mill and a factory to manufacture paper or pulp from stalks of jute plants in the jute producing area of this district. It will not be technically feasible to manufacture paper wholly from jute sticks as an admixture of long fibred pulp will be necessary. The paper mills in West Bengal are mainly dependent on raw material supplies from sources outside the State. With a view to tapping the raw materials available within the State and to provide for expansion, some of them have already started using jute sticks, and, in future, this trend could be expected to increase in tempo.

मोटरगाड़ी उद्योग को इस्तपात की सप्लाई

5585. श्री महेश्वर नायक : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रीमियर आटोमोबाइल्स के श्री लालचन्द हीराचन्द द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि रूरकेला इस्पात कारखाने की सप्लाई और किस्म एक समान रहे तो उनकी फर्म कारें बनाने के लिये इस इस्पात का प्रयोग करेगी और यदि फर्म को 50 मीट्रिक टन तक विशेष इस्पात सप्लाई किया जाये, तो आयात में कमी की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो फर्म की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : श्री लालचन्द हीराचन्द ने आयात निर्यात सलाहकार परिषद की पिछली बैठक में यह कहा था कि रूरकेला में बनाई गई चादर मोटर गाड़ियां बनाने के लिये उपयुक्त है और यदि मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स को ये चादरें दी जायें तो वे उन्हें इस्तेमाल करने को तैयार है। तीन विभिन्न किस्मों के अनुरूप 41.23 टन विशिष्ट चादरें मैसर्स प्रिमियर आटोमोबाइल्स को परीक्षण के लिये सप्लाई की गई है। परीक्षण की रिपोर्ट तथा इस बात की प्रतीक्षा की जा रही है कि क्या उन्हें और चादरों की आवश्यकता है।

अखबारी कागज का उत्पादन

5586. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां । नेपानगर के नेशनल न्यूजप्रिंट तथा पेपर मिल्स लि० की विस्तार योजना को अन्तिम रूप द दिया गया है तथा चौथी पंच वर्षीय योजना में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) इस विस्तार योजना पर 9.5 करोड़ रू० की लागत आने का अनुमान है । इससे नेपा मिल्स की क्षमता 30,000 मी० टन वार्षिक से बढ़कर 75,000 मी० टन वार्षिक हो जाएगी ।

Payment of Foreign Loans in the Form of Goods

5587. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal under consideration for payment of foreign loans in the form of goods; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) A suggestion for repayment of foreign loans in kind i.e. by goods for credits extended to the developing countries by the industrialised countries was mooted at the inaugaral meeting of the ECAFE Session in New Delhi in March, this year.

(b) Perhaps the UNCTAD Secretariat would undertake to examine this suggestion further on a case study basis.

उड़ीसा में कुटीर उद्योग तथा खादी तथा ग्रामोद्योग

5588. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में कुटीर उद्योगों तथा खादी ग्रामोद्योगों के विकास के लिये पृथक्-पृथक् कितनी राशि नियत की गई थी; और

(ख) इस अवधि में अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) कुटीर उद्योगों के लिये 499.14 लाख रू० और खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिये 244.87 लाख रु० की धन राशि ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

5589. श्री महेश्वर नायक : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टरों की मांग कितनी है;

(ख) चालू कारखानों तथा उन कारखानों की, जिनके लिये सरकार ने लाइसेंस मंजूर किये है, उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों का आयात भी किया जा रहा है और यदि हां, तो कितना ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कृषि ट्रैक्टरों की अनुमानित मांग लगभग 40,000 संख्या प्रति वर्ष की है ।

(ख) निम्नलिखित कम्पनियों के कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिए गए हैं :—

	स्वीकृत उत्पादन क्षमता वार्षिक
20-30 अश्व शक्ति की सीमा में—	**संख्या**
1. मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विप्मेंट, मद्रास	7,000
2. मैसर्स इन्टरनैशनल ट्रैक्टर्स, बम्बई	7,000
3. मैसर्स एम्कोटर्स लि० फरीदाबाद	7,000
4. मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड बुल्डोजर्स लि०, बडौदा	2,000
5. मैसर्स आइशर ट्रैक्टर्स कारपोरेशन, दिल्ली	2,000
35-50 अश्व शक्ति की सीमा में—	
1. मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड बुल्डोजर्स लि० बडौदा	5,000
20 अश्व शक्ति से कम—	
यह सुझाव है कि इस प्रकार के 12,000 कृषि ट्रैक्टरों तथा समान कृषि उपकरणों का सरकारी क्षेत्र में उत्पादन किया जाय।	

(ग) 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में कृषि ट्रैक्टरों का आयात निम्न प्रकार हुआ :—

वर्ष	आयात (परिमाण) संख्या
1963-64	4,125
1964-65	4,152
1965-66 (31-12-1965 तक)	3,609

इस्पात की मांग

5590. श्री महेश्वर नायक : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में इस्पात की हमारी कितनी मांग पूरी हुई है;

5—75 L. Sabha/66

(ख) हमारे सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखानों की बढ़ी हुई क्षमता की उत्पादिता तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की उत्पादिता से हमारी कितनी मांग पूरी हुई है; और

(ग) चौथे कारखाने तथा प्रस्तावित पांचवे कारखाने से चौथी योजना अवधि के अन्त तक हमारी कितनी मांग पूरी हो सकेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) तीसरी योजना अवधि में इस्पात की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित सीमा तक की गई है :—

20.00	मिलियन टन तैयार इस्पात, जिसका उत्पादन देश में हुआ था
5.1	मिलियन टन—आयात द्वारा
25.1	मिलियन टन

(ख) 1965–66 में पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का उत्पादन निम्नप्रकार था :—

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात के कारखाने	1965-66 (मिलियन टन इस्पात)
भिलाई	1.37
राउरकेला	1.04
दुर्गापुर	1.02
जोड़ .	3.43
निजी क्षेत्र के इस्पात के कारखाने—	
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी .	1.98
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी .	0.97
जोड़ .	2.95
कुल जोड़ .	6.38

(ग) बोकारो का, जो चौथा इस्पात कारखाना होगा, प्रथम चरण जिसमें इस कारखाने की 1.7 मिलियन टन की क्षमता होगी, चौथी योजना के अन्त तक पूरा होगा। पांचवे इस्पात कारखाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में चलती रेलगाड़ी में यात्री का गोली से मारा जाना

5591. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4/5 जनवरी, 1966 की रात को बलिया (उत्तर प्रदेश) के निकट सीताराम नामक एक व्यक्ति, जो दकाली का निवासी था, चलती रेलगाड़ी में गोली से मार दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, रामचीज सिंह नामक एक सजायाफ्ता को गोली से मार दिया गया था ; सीताराम सिंह मुकाम झाकली, थाना बैरिया, जिला बलिया को नहीं।

(ख) सूचना मिलने पर बलिया की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया। इस मामले में 5 संदिग्ध व्यक्तियों में से 4 गिरफ्तार कर लिये गये हैं और अभी छानबीन हो रही है।

पंजाब में रेशम उद्योग का विकास

5592. श्री दलजीत सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 तथा 1966-67 में अब तक रेशम उद्योग के विकास के लिये पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1965-66 में 2.70 लाख रु०। 1966-67 के लिय अनुमोदित खर्च 6 लाख रु० है।

(ख) पंजाब सरकार ने, अपने अंशदान को मिलाकर, कुल लगभग 4.76 लाख रु० खर्च किये है। चालू वित्तीय वर्ष के खर्च संबंधी आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

इस्पात का आयात

5593. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में इस्पात के आयात के लिय पंजाब राज्य के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : वर्ष 1965-66 के दौरान लघु उद्योगों के लिये इस्पात के आयात के वास्ते पंजाब सरकार के लिये निम्नलिखित विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया था :—

(i)	खनिज तथा धातु व्यापार द्वारा भारी मात्रा में इस्पात के आयात के लिये . . .	16.52 लाख रु०
(ii)	वास्तविक उपभोक्ताओं के आयात के लाइसेंसों के लिय	7.08 लाख रु०
	जोड़ .	23.60 लाख रु०

पंजाब में भारी उद्योग

5594. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 1966-67 म पंजाब में कोई भारी उद्योग स्थापित किय जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और व उद्योग कहां स्थापित किये जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) पिंजौर के मशीनी औजारों के कारखाने की वार्षिक क्षमता का विस्तार 1000 मशीनों से बढाकर 2000 मशीनों तक करने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके कारण लगभग 240 लाख रु० की अतिरिक्त पूंजी लगेगी। इस पर कम्पनी द्वारा वर्ष 1966-67 में अमल करने की आशा है। इस कारखाने में मिलिंग मशीनें बनाई जाती है।

पंजाब में कुटीर उद्योग

5595. श्री दलजीत सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में पंजाब में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी राशि खर्च की जायेगी?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) : सरकार द्वारा बनायी गई योजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। 1966-67 में योजना आयोग ने 177.50 लाख रु० खर्च के लिये और खादी आयोग ने 1966-67 के बजट में 17,75,835 रु० अनुदान के लिये तथा 1,79,27,500 रु० ऋण के लिये रखे हैं।

दस्तूर ऐण्ड कम्पनी

5596. श्री यशपाल सिंह :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस्तूर ऐण्ड कम्पनी को बोकारो इस्पात परियोजना के लागत प्राक्कलनों को कम करने के बारे में निश्चित प्रस्ताव देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन पहलुओं के बारे में उस फर्म को अपनी राय देने के लिये कहा गया है; और

(ग) उसकी राय कब मिल जायेगी?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मेसर्स दस्तूर ऐण्ड कम्पनी से बोकारो इस्पात प्रायोजना के सभी पहलुओं पर विशिष्ट तकनीकी सुझाव देने को कहा है जिससे लागत प्राक्कलनों को कम किया जा सके।

(ग) फर्म से कहा गया है कि वे अपने सुझाव 20 मई, 1966 तक दे दें।

Recovery of Stolen Goods at Gangapur City Station

5597. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some stolen goods were recovered from the engine of 503 Down train at Gangapur City Station on the 13th March, 1966;

(b) whetner it is also a fact that the Guard of the train ran away from the train as soon as the goods were recovered;

(c) if so, the amount of stolen goods recovered and the particulars of the employees involved tnerein; and

(d) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Yes.

(c) Rs. 2,100. Six railway employees (Guard, Driver, 3 Firemen, one Power Plant Operator) are suspected to be involved. Govt. Railway Police, Gangapur City have arrested five Railway employees (1 Driver, 3 Firemen and 1 Power Plant Operator). The Power Plant Operator was released by Court on a written request from Police and the others were released on bail susbequently.

(d) All the railway employees except the Power Plant Operator have been placed under suspensicn.

Special Trains for Jan Sangh Session in Jullundur

5598. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) wnetner Government propose to run special trains during the Jan Sangh Session which is scheduled to be neld at Jullundur in May, 1966 ; and

(b) if so, the names of the sections on which the trains will run ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). It was decided that for clearance of rush in connection with the annual session of Bhartiya Jan Sangh which was held from 30-4-66 to 2-5-66, sheduled services will be augmented by additional coaches to the extent feasible and justified ex Lucknow and Delni to Jullundur and back. Arrangements were also kept in hand for running special trains if so, warranted by traffic offiering. In accordance with this, loads of some trains between New Delni/Delhi and Jullundur, Lucknow and Jullundur and also on some sections of Ferozepore Division of Nortnern Railway were augmented, which more than adequately cleared the volume of traffic that offered and it was not found necessary to run any special train.

तेकतार रेलवे हाल्ट

5599. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा-नरकटियागंज शाखा में तेकतार रेलवे हाल्ट को एक नियमित स्टेशन बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख) : रेल प्रशासन द्वारा की गयी जांच के अनुसार, तकतार हाल्ट को फ्लैग स्टेशन में बदलने से भारी आवर्ती घाटा होगा ।

बिहार में कोयला खान

5600. श्री श्री नारायण दास : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में मोकामेह के निकट एक कोयला खान का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Changing the dates of old tickets

5601. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railwav Police have detected recently a gang which was putting new dates cn old tickets and selling them on trains running between Allahabad and Bhadoi;

(b) if so, the type of equipment recovered from it;

(c) whether any railwav employee was also involved in it; and

(d) if so, tne post on which he was working ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No gang as such was detected by the Railway Police. However, Govt. Railway Police arrested 4 persons at Bhadoi Railway Station between 19-3-66 and 23-3-66 who had in their possession old tickets with new dates on it. It is reported that these persons had travelled on these tickets from Bombay to Bhadoi. Govt. Railway Police, Varanasi, who registered 4 criminal cases, have since submitted Charge sheet against all the four persons under Section 112 Indian Railways Act in the Court of Railway Magistrate at Varanasi. No equipment was found with the accused persons.

(c) No.

(d) Does not arise.

Public Undertakings

5602. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of relations of the Directors and Managers of Public Undertakings working on various posts in those Undertakings; and

(b) the basis of their appointment ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Trade Agreement with U.A.R.

5603. **Shri Onkar Lal Berwa]:** **Shri Baswant :**
Shri Bade : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Kukam Chand Kachhavaiya : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Ram Harkh Yadav :**
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently a trade agreement has been signed between India and U.A.R.; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). No fresh trade agreement has recently been signed between India and the U.A.R. ; the trade agreement signed in 1953 is still valid. However, the progress of the trade between the two countries was reviewed recently at Cairo with the object of further increasing the volume of trade exchanges. India imports from U.A.R. mainly cotton, rice, rock phosphate and exports items like tea, jute goods, engineering items etc.

Fast-Unto-death by Employees of Diesel Workshop, Shakurbasti

5604. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Yudhvir Singh : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of the Diesel Workshop, Shakurbasti of the Delhi Division of the Northern Railway had decided to go on a fast-unto-death from the 18th April, 1966;

(b) whether it is also a fact that the order regarding the promotion of these employees (Cleaners) to the post of Assistant Drivers had been issued two years before;

(c) if so, the reasons for not giving them that promotion; and

(d) the action taken to provide relief to these employees ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) No.

(c) and (d). Do not arise.

Parcel of Transister-Crystals

5605. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Yudhvir Singh : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a parcel containing transister-crystals worth about Rs. 30,000 which was sent from Bangalore to Delhi was intercepted on the way on the 11th April, 1966;

(b) whether the said parcel was actually found to contain only stones;

(c) whether it is also a fact that the said parcel was sent by Bharat Electronics through the National Small Industires ; and

(d) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) One case "said to contain" semi conductors booked from Bangalore City to Delhi on 7-3-1966 reached the destination on 19-3-1966. The question of its having been intercepted on the way on 11-4-1966 does not arise.

(b) Delivery of the parcel was taken by the consignee under clear receipt on 11-4-1966, but it was later alleged that when opened at tne consignee's premises, it was found to contain stones.

(c) Yes.

(d) The consignee later informed the Station Superintendent, Delhi that the parcel contained stones and demanded Rs. 29,305 as compensation. He was advised that the delivery had been effected under clear receipt.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के लिये उपकरण

5606. श्री फिरोडिया : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा सरकार ने भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था के द्वारा खोज कार्य किये जाने के लिये आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिये ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितने ऋण की पेशकश की गई है और वह किन शर्तों पर दिया जायेगा; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) : ऋण की मात्रा 9.5 मिलियन केनेडियन डालर है। समझौते के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है।

एक्सप्रेस मालगाड़ी दुर्घटना की जांच

5607. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **रेलवे** मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 के उत्तर में सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि 22 मार्च, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे के लमडिंग-मरियानी सेक्शन पर 905 अप एक्सप्रेस मालगाड़ी की दुर्घटना के कारणों की जांच का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए प्रवर वतन मान अधिकारियों ने संयक्त जांच की थी। व इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना किसी या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटरी से छेड़ छाड़ करने के कारण हुई। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है।

उद्योगों के लिये लाइसेंस देने के बारे में प्रक्रिया

5608. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री फिरोडिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उद्योगों के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रक्रिया में नियंत्रणों को और अधिक उदार बनाये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन में क्या यथार्थ मांगें की गई हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : औद्योगिक लाइसेंस देने पर नियंत्रण के तरीकों को सुगम बनाने के लिये भारतीय व्यापार तथा उद्योग संगठन से सरकार को हाल ही में कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। हां, संगठन ने पिछले वर्ष कुछ सुझाव अवश्य दिए थे। औद्योगिक लाइसेंसों के नियंत्रणों को सहल बनाने के प्रश्न पर सरकार पिछले दो वर्ष से निरन्तर विचार कर रही है। वह सभी उद्योग जिनकी स्थिर पूंजी 25 लाख से अधिक नहीं है 1964 में अधिनियम की लाइसेंसीकरण की धाराओं से मुक्त कर दिए गए थे। ऐसे मामलों में जहां विदेशी पूंजी की आवश्यकता नहीं है वर्तमान एककों को कुछ नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्षमता का काफी विस्तार करने के हेतु कुछ ढील देने की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी। सरकार ने हाल ही में कुछ और विशिष्ट उद्योगों को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम की लाइसेंसीकरण की धाराओं से मुक्त करने का फैसला किया है। इस बारे में माननीय सदस्य का ध्यान उद्योग मंत्री द्वारा 9 मई, 1966 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

निर्यात सहायता योजनायें

5609. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निर्यात सहायता योजनाओं पर नियंत्रणों में और ढील देने का आग्रह किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या विशिष्ट मांगें की गई हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां

5610. श्री रा० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में घड़ियों का उत्पादन निश्चित रूप से कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 1964-65 में 1,95,048 घड़ियों के उत्पादन की तुलना में 1965-66 में 1,96,110 घड़ियों का उत्पादन किया। लेकिन इसी वर्ष में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की उत्पादन क्षमता 2,40,000 से बढ़ कर

300,000 हो गई थी। अतः इस कारखाने में उत्पादन क्षमता से काफी कम हो रहा है। इसका कारण आवश्यक पुर्जों तथा कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का समुचित मात्रा में उपलब्ध न होना है। मांग की प्राथमिकता और पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Bharat Sewak Samaj Stone Crushing Cooperative Society

5611. Shri P. L. Barupal : **Shri Maurya :**
Shri T. Ram : **Shri Bagri :**
Shri Buta Singh : **Shri Priya Gupta :**
Shri Gulshan : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Industry** pleased to state :

(a) whether Bharat Sewak Samaj Stone Crushing Cooperative Society, Khayber Pase, Delhi has given some grant to Janaki Devi Mahavidyalaya, Delhi for the construction of a building; and

(b) if so, the total amount of the grant and the head under which it has been given ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) A sum of Rs. 50,000 was given to Banarsi Das Sewa Smarak Trust Society for Janki Devi Mahavidvalaya library building out of its Common Good Fund.

कांडला-वीरमगाम-अहमदाबाद बड़ी लाइन

5612. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की कांडला-वीरमगाम-अहमदाबाद बड़ी लाइन को पश्चिम रेलवे के उत्तर-पूर्व सैक्शन की मुख्य लाइन के साथ मिलाने के बारे में कोई सर्वेक्षण कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का आशय कांडला-झुण्ड-अहमदाबाद लाइन और बड़ोदा-नागदा-आगरा लाइन को मिलाने से है। ये दोनों लाइनें आनन्द और गोधरा और आनन्द बड़ोदा तथा गोधरा के रास्ते पहले से ही आपस में जुड़ी हुई है। इन दोनों स्थानों के बीच एक दूसरी वैकल्पिक लाइन बनाने का कोई विशेष प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। फिर भी, कोटा-चित्तोड़गढ़ (बड़ी मीटर) लाइन के लिए पहले के इंजीनियरिंग सर्वे अनुमानों को अद्यतन बनाने और 41,310 रु० की अनुमानित लागत से नया यातायात सर्वे कराने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर यह लाइन बनायी गयी तो उससे उदयपुर-हिम्मतनगर, मावली और चित्तोड़गढ़ के रास्ते अहमदाबाद और कोटा के बीच मीटर लाइन/बड़ी लाइन के सम्पर्क की भी व्यवस्था हो जायेगी।

Export of Indian Steel

5613. Shri Prakash Vir Shahstri : **Shri S. M. Banerjee :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Daji :**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri Priya Gupta :**

Will the Minister of **Iron** and **Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a scope for marketing Indian steel in Ceylon;

(b) if so, whether Government have tried to export steel to Ceylon and other Countries; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Indian Export Houses are participating in tenders issued by Ceylon Government for export of easier categories like Bars and Rods. A small quantity of 130 tonnes of Bars was exported to Ceylon a few months ago. Orders for 290 tonnes of Bars are in hand with two exporters.

Besides Ceylon, steel is being exported to Afghanistan, Burma, Cambodia, Hong Kong, Iran, Iraq, Italy, Jordan, Kenya, Kuwait, Malaysia, Mauritius, Rhodesia, Singapore, Sudan, Thailand, U.A.R., U.K., Vietnam (South) and West Germany.

दुर्घटना जांच समिति

5614. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्घटना जांच समिति के सुझावों पर उत्तर रेलवे द्वारा पूर्णतया अमल नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन सुझावों के अनुसरण में सिविल इंजीनियरी विभाग में रेल पथ निरीक्षकों (पी० डब्लू० आई०) तथा रेल पथ सहायक निरीक्षकों (ए० पी० डब्लू० आई०) की गश्तों में कमी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे दुर्घटना समिति की सिफारिशों में से रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत बहुत सी सिफ़ारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है।

(ख) और (ग) : सिविल इंजीनियरिंग विभाग के रेल पथ निरीक्षकों और सहायक रेल-पथ निरीक्षकों का कार्य क्षेत्र घटाने के बारे में जो सिफारिश की गयी थी, उस पर, धन की उपलब्धता के अनुसार, एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमल किया जा रहा है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

5615. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : मूल्यों में परिनियत वृद्धि के कारण प्रमुख उत्पादकों ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की मांग की हैं। इन मांगों की जांच की जाएगी और इन्हें स्वाभाविक तरीके से निपटाया जाएगा।

अमरीका को बीड़ियों के नमूने भेजना

5616. **श्री बसवन्त :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बीड़ियों के नमूने यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या वे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से मुक्त हैं अथवा नहीं, रासायनिक विश्लेषण के लिये अमरीका भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

भोजन यान (डाइनिंग कार) में आग लग जाना

5617. **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री राम हरख यादव :
श्री बृजबासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता-बम्बई (बरास्ता इलाहाबाद) डाक गाड़ी के भोजन-यान में 24 अप्रैल, 1966 को मध्य रेलवे के इटारसी-भुसावल सैक्शन पर बानपुरा तथा पगढाल स्टेशनों के बीच आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन 23-4-66 को।

(ख) प्रवर वेतन-मान अधिकारियों की एक समिति दुर्घटना के कारण की जांच कर रही है।

(ग) जांच का परिणाम मालूम होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

गिलट के घनोडों (निकल के ऐनोड) का आयात

5618. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा गिलट के घनोडों (निकल के ऐनोड) के आयात पर से प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर सरकार ने पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऐसे माल का वितरण किस आधार पर किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) देश में इस वस्तु की पर्याप्त उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए इससे पाबन्दी हटाना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) कोलम्बो योजना की सहायता के अन्तर्गत आयातित निकल का वितरण तकनीकी विकास के महानिदेशालय और लघु उद्योगों के विकासायुक्त द्वारा किया जाता है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय अपनी पुस्तकों में दिये हुए उपभोक्ता एककों को आवंटन करता है जो अपने कोटे का आयात करते हैं। लघु उद्योगों का विकासायुक्त राज्य के उद्योग निदेशकों को आवंटन करता है जो बाद में अपने नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले एककों को वितरण करते हैं। लघु क्षत्र की आवश्यकताओं का थोक आयात लघु उद्योगों के विकासायुक्त द्वारा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। दोनों ही मामलों में कनाडा के निकल सम्भरण कर्ताओं के भारतीय एजेन्टों के द्वारा आयात किया जाता है।

ऊनी हौजरी उद्योग

5619. श्री वी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा धन-प्रेषण योजना के परिणामस्वरूप ऊनी हौजरी उद्योग में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Diesel Locomotive Works, Varanasi

5620. Shri Bal Krishna Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Diesel Locomotive Works, Varanasi, has concluded an agreement with the Industrial Gases Ltd. of Calcutta for the supply of oxygen and acetylene gases which has been rejected by Chittaranjan Loco Works;

(b) if so, the details of the facilities given to the said company for supplying gases as also the broad features of the agreement; and

(c) the difficulties experienced by the Diesel Loco Works in the installation of its own plant for gases ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The Diesel Locomotive Works have concluded an agreement with M/s Industrial Gases for the supply of oxygen and acetylene in April 1965 and production of gases has commenced from January 1966.

No similar proposal was made by the firm to Chittaranjan Locomotive Works. They had, in the year 1961, made an offer to sell a plant for acetylene only to Chittaranjan Locomotive Works at Rs. 1·75 lakhs. This was not accepted as a more favourable offer to supply acetylene was available from another firm.

(b) The facilities given to the company are :—

(i) lease of 2½ acres of land for 30 years with surface drainage facilities provided, and permission to use the approach and other roads.The company will pay an annual rent of Rs. 4,800/- to the Locomotive Works,

(ii) the Works will supply 10,000 gallons of water per day to the Company's plant at the rate of Rs. 0.50 per gallon, and 175 kw of electric power at the bulk rates charged to the Works by the U.P. State Electricity Board.

The broad features of the agreement are :—

(i) The Works will purchase their requirements of both gases exclusively from the company during the 10 years period from 1-1-66 to 31-12-75 at prices now agreed upon and which compare favourably with those on the rate contracts of Director General, Supplies & Disposals. After expiry of the initial period of 10 years, the prices of gases for another period of 10 years will be negotiated. In the event agreement is not reached, the rates charged by the Works for water and power will be enhanced as applicable to outsiders under Railway Rules. The lease, however, will continue upto 30 years in any case.

(ii) The minimum yearly of take has been specified, and guaranted by the Works. In the event the Works fail to draw upto these minimum quantities, the company will assist the Works in selling the undrawn quantity, but if no customer can be found, the Works will have to pay for the gases upto the minimum agreed quantity.

(iii) The firm can sell their production, in excess, the regular requirements of the Works, to other parties.

(iv) On termination of the lease and resumption of the land, Diesel Loco Works will not be liable to any compensation whatsoever. Land will be made over, in same condition as taken over, with clear title. The Works may, at their option, purchase, on resumption, buildings or structures erected thereon, at mutually agreed terms.

(c) The feasibility of setting up a plant by the Loco Works at Varanasi was studied. This was not pursued owing to the following difficulties :—

(i) Considering that the of take would only be by the Loco Works, the plant would have been uneconomically small.

(ii) An expenditure of Rs. 10 lakhs by way of foreign exhange alone would have been involved.

(iii) Importing and commissioning such a plant would have taken a minimum period of 12/18 months.

(iv) Technical 'know-how' in commissioning and operating such a plant did not exist at the Works.

New Railway Lines in Rajasthan

5621. Shri Rattan Lal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway lines proposed to be opened or surveyed separately in Rajasthan during the Fourth Plan period ;

(b) whether provision has been made in the Fourth Plan regarding the survey work for opening a new line from Ratlam to Dungarpur via Mandav village where Flourite Mine is located as demanded by the people of district Ranswada of Rajasthan; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) to (c): Proposals for construction of new lines during the Fourth Five Yeai Plan have not yet been finalised. Suivey and construction of the Pokaran-Jaisalmer line only, in Rajasthan, has been taken up recently and will be completed in about 15 month's time.

Textile Mill in Rajasthan

5622. **Shri Rattan Lal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any businessman has applied for a licence to set up a Textile Mill in Rajasthan;

(b) if so, tne name of the businessman and the place where this mill is proposed to be set up;

(c) whether it is also a fact tnat the question of setting up a textile mill in Rajastnan nad been under consideration of Government and non-Government levels for the last several years ; and

(d) if so, the reasons for dealy in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Safi Qureshi) : (a) to (d). In so for as Cotton Textile Industry is concerned a regional quota of 1,50,000 spindles was fixed for the Rajasthan State during the Third Plan period for allocation for the establishment of new cotton textil milis and for effecting expansion in the existing industrial undertakings in the State. Applications from a large number of parties — Industrialists/Businessmen were received and are still being received for the grant of licences under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. So foi, 6 licences for a total of 72,000 spindles have been issued for setting up new cotton textile mills and 11 licences for a total of 73,000 spindles for effecting expansion of the existing mills.

2. It is not clear as to which particular application the Hon'ble Member is referring to or has in mind. It is also not clear whether the application was for setting up a cotton textile unit, woollen textile unit oi staple fibre unit. In the absence of necessary particulars, e.g., name of the applicant, the date of the application and the item of manufacure, it is not possible to furnish the information asked for.

कोयला संस्थाएं

5623. **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछले महीने कोयला संस्थाओं के प्रधानों द्वारा दिये गये वार्षिक भाषणों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उन भाषणों में कही गई मुख्य बातों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

न तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) : भावी कोयला कार्यक्रम बनाने के विभिन्न सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

ढका हुआ मालगाड़ी का डिब्बा (बाक्स वैगन)

5624. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलों में कोयला खानों की साइडिंगों से कोयले से भरे हुए ढके हुए मालगाड़ी के डिब्बों का चलते हुए वज़न अचल कांटों पर किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो चलते हुए माल डिब्बों का किस गति से वज़न किया जाता है ;

(ग) क्या इन अचल कांटों पर चलते हुए तथा ठहरे हुए माल डिब्बों का वज़न करने में कोई अन्तर रहता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, कुछ स्टेशनों पर ऐसा किया जाता है।

(ख) 3 से 5 किलोमीटर प्रतिघंटा।

(ग) जी हां, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है।

(घ) माल भाड़े का हिसाब लगाने के लिए चलते हुए माल डिब्बे के वज़न में कुछ समंजन किया जाये या नहीं, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

इटारसी स्टेशन पर अस्पताल की सुविधाएं

5625. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी रेलवे स्टेशन पर 4,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिये जिनकी संख्या उनके परिवारों को मिला कर लगभग 20,000 होगी अभी तक अस्पताल की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार कब तक रेलवे कर्मचारियों के लिये इटारसी स्टेशन पर आधुनिक अस्पताल की पूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इटारसी में ग्रेड 1 का एक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिस में दो आपाती खाटों की व्यवस्था है और पूरी संख्या में कर्मचारी तैनात हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इटारसी न्यू यार्ड में एक अंशकालिक औषधालय भी है।

(ख) और (ग) : चालू चौथी पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं में अपेक्षित वृद्धि की जायेगी।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सर्वेक्षण

5626. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या खान तथा धातु मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के तथा इस सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये 12 नवम्बर, 1965 को सभा पटल पर रखे गये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में मोहपानी स्थान में छिद्रण (ड्रिलिंग) कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उसका परिणाम कब तक पता चल जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग) : 23-6-65 से भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा 170 मीटर छिद्रण किया गया परन्तु कोई कोयला पटटी प्राप्त नहीं हुई। प्राकृतिक धातुओं और दूसरे सामरिक महत्व वाली धातुओं के अन्वेषण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उपकरण तथा कर्मचारियों को दूसरी ओर लगा देने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में छिद्रण कार्य अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

Biscuit Factory at Patiala

5627. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that permission has been given to set up a biscuit factory at Patiala;

(b) if so, whether it is also a fact that previously permission was given to set up that factory near Delhi; and

(c) if so, the reasons for the change ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) They have been permitted to set up the factory at Patiala on the recommendations of the State Government.

रेलवे गार्ड

5628. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने रेलवे गार्डों के अभ्यावेदन का पुनर्विलोकन तथा उस पर विचार कर लिया है;

(ख) किन किन मुख्य बातों पर विचार किया गया और इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन किन निष्कर्षों पर पहुँचा है;

(ग) क्या पदोन्नति के पर्याप्त तथा संतोषजनक अवसर प्रदान करने, वेतनमान में वृद्धि करने तथा संगचल (रनिंग) भत्तों की दर बढ़ाने के लिये निकट भविष्य में कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) जो खास मुद्दे उठाये गये वे इस प्रकार थे :—(1) अधिकृत वेतनमान में संशोधन (2) प्रतिशत के आधार पर पदों का ग्रेड ऊंचा करना (3) रनिंग भत्ते की दरों में संशोधन (4) पदोन्नति की सरणी और यह विनिश्चय किया गया कि इन मामलों के बारे में और अधिक उदारता बरतने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त (ख) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

गत्ते और कागज की लुग्दी का उत्पादन

5629. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत्ते और कागज की लुगदी बनाने के लिये चीनी मिलों से मिलने वाली गन्ने की खोई का पूरा इस्तेमाल करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खोई उपलब्ध होती है और इसका इस प्रकार कितना इस्तेमाल किया जाता है और इस संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां, चीनी उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जितनी खोई उपलब्ध होगी उसका यथासम्भव पूरा उपयोग किया जायेगा।

(ख) चीनी उद्योग से हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खोई प्राप्त होती है।

इस समय कागज और गत्ता बनाने में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खोई काम आती है।

गन्ने की खोई से कागज और लुग्दी बनाने के अनेक कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं। अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कागज उद्योग में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन गन्ने की खोई का उपयोग होने लगेगा।

पटना सिटी स्टेशन

5630. श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा :
श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पटना सिटी स्टेशन का नाम बदल कर कोई दूसरा नाम रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और सरकार ने क्या नाम रखने का विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

रेलगाड़ी में एक शव मिलना

5631. **श्री बृजबासी लाल :**

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1966 को 119अप सवारी गाड़ी के कानपुर अनवरगंज स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पहुंचने पर रेलवे पुलिस को उसके तीसरी श्रेणी के डिब्बे में एक यात्री का शव मिला; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन लाश 22-4-66 को मिली थी न कि 24-4-66 को।

(ख) कानपुर अनवरगंज की सरकारी रेलवे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

उड़ीसा का भूतत्वीय-सर्वेक्षण

5632. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के कुल कितने क्षेत्र में अब तक भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है और जिसके परिणामस्वरूप नये खनिज पदार्थों का पता लगा है; और

(ख) खनिजो की कितनी खोज की जा रही है और कितनी मात्रा में निकाले जा रहे है?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) भारतीय भौमिकी विभाग ने उड़ीसा राज्य का आम भूमीक्षण पूरा कर दिया है तथा 1 इंच=1 मील तथा लघु अनुमाप पर 80,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया जा चुका है। कच्चे लोहे, मैंगनीज़ अयस्क, क्रोमाइट, कोयला, चूना पत्थर तथा डोलामाइट और वैनाडीफेरस मैगनाइट के विस्तृत निक्षेप का पता चला है।

(ख) निम्नलिखित पूर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है :—

(1) बोलगीर-पटना, गंजम, कालाहांडी, कोरापुत और फुलबानी के जिलों में पद्धतिपूर्ण भौमिकी मानचित्रण तथा प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण।

(2) कटक में निकल के लिये तथा उमरकोट क्षेत्र कोरापुत ज़िले और मालंगटोली खण्ड, कियोंझार-सुन्दरगढ़ जिलों में कच्चे लोहे के विस्तृत अनुसंधान।

(3) कच्चे लोहे के लिये मालंगटोली खण्ड, कियोंझार-सुन्दरगढ़ जिलों में कच्चे लोहे तथा ग्रेफाइट के लिये सम्बलपुर जिले के डगाचाचा में व्यधन कार्य।

(4) क्रोमाइट के लिये कटक-धेनकानाल में, ग्रेफाइट के लिये धेनकानाल और चुनापत्थर के लिये सुन्दरगढ़ में भौतिकी अनुसंधान।

उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के विदोहन की सीमा निम्नलिखित उत्पादन के आंकड़ों से पता चलेगा :

खनिज	1965 की खनन मात्रा (लगभग)
(1) कच्चा लोहा .	6,390,000 मी० टन
(2) मैंगनीज़	457,000 मी० टन
(3) क्रोम	56,000 मी० टन
(4) चूना पत्थर	2,428,000 मी० टन
(5) डोलोमाइट .	426,000 मी० टन

Tea Stalls and Trollies at Railway Stations

5633. Shri Brij Raj Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of tea stalls and trollies functioning at Railway stations from Gangapur to Shamgarh on the Western Railway;

(b) the number of trollies out of them which have been allotted to the persons belonging to scheduled castes;

(c) whether this number is in accordance with the required proportion; and

(d) if not, the reason for which these were not allotted to them although they had already submitted their tenders and applications ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 13 and 70 respectively.

(b) One.

(c) and (d). No proportion has been prescribed for the allotment of catering and vending contracts at Railways stations to scheduled caste members.

Allotment of contracts for small stalls and trollies is made after calling for applications and members of scheduled castes are considered preferentially, provided they are found suitable. During the period Septemeber 1963 till date, applications were received from members of scheduled castes for allotment of 2 trollies at Gangapur and 4 trollies at Shamgarh, but the applicants were not considered suitable for the award of contracts.

माल-डिब्बों का निर्यात

5634. श्री फिरोडिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित माल डिब्बों का निर्यात करने के लिये हंगरी के साथ करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने हंगरियन स्टेट रेलवे को प्रथमत: दो धुरी वाले 500 चपटे माल डिब्बों का सम्भरण करने के लिये एक संविदा किया है। इस आर्डर का मूल्य लगभग 1.62 करो रु० के बराबर है। माल डिब्बों मे० टैक्समार्को, कलकत्ता द्वारा बनाये जायंगे और उन्हें अध जुड़ी अवस्था में भेजा जायगा और उपभोक्ता को देने से पहले युगोस्लाविया में उचित बन्दरगाह पर उन्हें हिस्से पुर्जे जोड़कर तैयार किया जायगा। दो आद्यरूप माल डिब्बों का सम्भरण पहले किया जाना है और उनके स्वीकृत होने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जायगा और 1967 के अन्त तक उनका सम्भरण पूरा हो जायगा।

संविदा में यह भी व्यवस्था की गयी है कि खरीदार की इच्छा पर, जो कि 31-8-67 से पहले प्रकट की जानी है, 1968-70 के वर्षों में 1500 माल डिब्बों का और भी सम्भरण किया जा सकता है। यदि यह अतिरिक्त आर्डर भी प्राप्त हो गया तो सौदे का कुल मूल्य लगभग 6.5 करोड़ रु० के बराबर हो जायगा।

भारतीय इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

5636. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारतीय इस्पात उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक ने क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : विश्व बैंक द्वारा भेजे गये शिष्ट मण्डल विश्व बैंक के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देते हैं। चूंकि ऐसी रिपोर्ट विश्व बैंक के "आयंत्रित प्रलेखों" की श्रेणी में आती हैं अत: इनमे दर्ज बातों को बताया नहीं जा सकता।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

5637. श्री राम हरख यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के तिनसुकिया-मरियनी सैक्शन पर 27 अप्रैल, 1966 को मेजेंगा तथा नामतीआली स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने का कारण क्या था ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण की छानबीन की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 15,416 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

7—75 L. Sabha/66

महाराष्ट्र में चिकनाई निष्प्रभाव्य कागज का उत्पादन

5638. श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य में चावल की भूसी से चमकदार और चिकनाई निष्प्रभाव्य पैकेट बांधने वाले कागज का उत्पादन करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में सीमेंट का कारखाना

5639. श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुंदी (राजस्थान) में गैर सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : बुंदी (राजस्थान) में 200,000 मीट्रिक टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता का सीमेंट का स्टैंडर्ड कारखाना लगाने के लिए मेसर्स अपर गेजेज़ शुगर मिल्स लि० कलकत्ता को 12 नवम्बर, 1965 को आशय पत्र दिया गया था। सीमेंट का स्टैंडर्ड कारखाना स्थापित करने में लगभग 3 करोड़ रु० की पूँजी लगानी पड़ती है। इस बीच सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस के उपबन्धों से अलग कर दिया गया है।

सूती कपड़े की चलने की क्षमता

5640. श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में दिल्ली की श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्था में सूती कपड़े की चलने की क्षमता को कई गुना बढ़ाने की एक विधि का आविष्कार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) : श्रीराम औद्योगिक अनसंधान संस्था के एक वैज्ञानिक ने एक प्रक्रिया का आविष्कार किया है जो कपड़े के चलने की अवधि बढ़ा सकती है। इस प्रक्रिया को पेटेंट कराने के लिये भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में

आवेदन पत्र दिये गये हैं। लगभग 1000 मीटर कपड़े के शोधन के लिये एक बड़े स्तर पर परीक्षण पूरे कर लिये गये हैं जिन्होंने प्रयोगशाला के परिणामों की पुष्टि की है। राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम द्वारा कपड़ा उद्योग को आविष्कार की घोषणा सूचित कर दी गयी है और विकास सम्बन्धी कार्य शुरू होना है।

मैसूर में रुई की मिलें

5641. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी तथा संयुक्त स्कन्ध सम्वाय क्षेत्रों के अधीन तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में रुई की कितनी मिलों के लिये लाइसेन्स दिये गये;

(ख) क्या उन सब मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है, तथा उन्होंने कितनी प्रगति की है; और

(ग) रूई की उन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने अभी तक कोई प्रगति नहीं की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) तीसरी योजना अवधि में मैसूर राज्य में रुई की नई कताई मिलों की स्थापना करने के लिए 17 लायसेंस जारी किए गए; 3 सहयोगी क्षेत्र में और 14 संयुक्त स्कन्ध समवाय क्षेत्र में।

(ख) तथा (ग) : एक लाइसेंस पूर्णत: अमल में आ गया है; 10 लाइसेंसों के बारे में कारगर कदम उठाए जा चुके हैं और मशीनें लगाई जा रही हैं ; बाकी 6 लाइसेंसों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन 6 पार्टियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनकी प्रगति की निगरानी की जा रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमीटेड

5642. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूर राज्य में बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर राज्य सरकार ने कितनी अंश पुँजी लगा रखी है;

(ख) इसमें अब तक कितना मुनाफा हुआ है और उस मुनाफे में से मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गई है;

(ग) इस कारखाने में इस समय क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती है ; और

(घ) कारखाने में बनाये जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन तथा उसके निर्यात में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) भारत सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में आज तक 11.50 करोड़ रु० की अंश पुँजी लगायी है। मैसूर सरकार ने इस कम्पनी में पुँजी नहीं लगायी।

(ख) कम्पनी को (कर लगाने से पूर्व) हुआ लाभ इस प्रकार है :

वर्ष	शुद्ध लाभ
1956-57	4.00 लाख रु०
1957-58	21.62 लाख रु०
1958-59	32.98 लाख रु०
1959-60	39.85 लाख रु०
1960-61	74.04 लाख रु०
1961-62	127.53 लाख रु०
1962-63	215.77 लाख रु०
1963-64	300.97 लाख रु०
1964-65	378.59 लाख रु०

राज्य सरकार को किसी प्रकार का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय कम्पनी के छोटी मशीनों के चार कारखाने हैं—बंगलौर (मैसूर), पिंजौर (पंजाब), कलमस्सेरी (केरल) और हदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में। इन सब कारखानों में से प्रत्येक में ये मशीनें बनायी जाती है :

बंगलौर का कारखाना—खराद, मिलिंग मशीन, साज-मशीन, रेडियल बरमे, विशेष प्रयोजनीय मशीनें और गियर शेपर्स।

पिंजौर का कारखाना—मिलिंग मशीन, रेडियल बरमे।

कलमस्सेरी का कारखाना—खराद।

हैदराबाद का कारखाना—अभी केवल सहायक सामान।

बंगलौर में कम्पनी का एक हाथ की घड़ियां बनाने का कारखाना भी है।

(घ) सन् 1965-66 का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार था :—

बंगलौर का कारखाना	817.16 लाख रु०
पिंजौर का कारखाना	169.39 लाख रु०
कलमस्सेरी का कारखाना	131.77 लाख रु०
हैदराबाद का कारखाना	13.85 लाख रु०
घड़ियों का कारखाना	182.59 लाख रु० (लगभग)

सन् 1965-66 (फरवरी, 1966 तक) में कम्पनी ने 18 लाख रु० की कीमत की 40 अदद हाईप्रिसीजन सेन्टर खरादों, मिलिंग मशीनों और रेडियल बरमा मशीनों का निर्यात किया।

छोटी मशीनों के निर्यात के लिए आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एजेन्ट नियुक्त कर दिये गये हैं। पूर्वी योरोप के देशों को घड़ियों और छोटी मशीनों का निर्यात करने के लिए राज्य व्यापार निगम एजेंट का काम कर रहा है।

सीमेंट का वितरण

5643. श्री जसवन्त मेहता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि सीमेंट उद्योग उसे सीमेंट दे नहीं सका जिसे देने के लिये उसकी एजेंसी सहमत हो गई थी;

(ख) क्या सरकार ने सीमेंट के कम सम्भरण के कारणों के बारे में जांच कर ली है; और

(ग) इसकी वितरण व्यवस्था पर देखभाल रखने के लिये सरकार ने और क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां, गुजरात सरकार से एक प्रतिवेदन मिला है।

(ख) और (ग) : यह विदित हुआ है कि यद्यपि जनवरी-मार्च, 1966 की अवधि में राज्य को होने वाली पूर्ति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है लेकिन सरकार को होने वाली पूर्ति आर्डर देर से पूरे होने के कारण कम हुई। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने राज्य सरकार के साथ इस विषय का पुनरावलोकन किया है और कृषि की आवश्यकताओं के मद की सब कमी को 20 जून, 1966 तक पूरा करने का प्रबंध किया है।

Surplus Staff in Ministry of Railways

5644. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of surplus staff in this Ministry;

(b) whether the Ministry of Railways has not given effect to the orders contained in O.M. No. F.3/27/65-C S-II, dated the 25th February, 1966 and No. F. 12 (9)-EB/66, dated the 15th March, 1966 issued by the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance respectively; and

(c) if so, the reasons therefor and when these orders would be given effect to ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) NIL.

(b) and (c). The question of giving effect to these orders in the Ministry of Railways is under consideration.

रूरकेला में सीमेंट का कारखाना

5645. **श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धमन भट्टी के धातुमल (ब्लास्ट फर्नेस स्लैग) के जमा हो जाने की समस्या का स्थायी हल निकालने के हेतु सरकार का रूरकेला में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : रूरकेला के स्लैग में मैंगनीज अधिक तथा कैल्शियम कम होने के कारण उसे पहले सीमेंट उत्पादन के लिए अनुपयुक्त बताया गया था। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय मानक संस्था ने स्लैग-सीमेंट के मानक में परिवर्तन कर दिया है जिसके कारण अब रूरकेला की स्लैग से स्लैग-सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग हो सकता है। इस स्लैग से सीमेंट बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

केरल में औद्योगिक बस्तियां

5646. **श्री वारियर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में औद्योगिक बस्तियों की इमारतों का किराया हाल में बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है; और

(ग) क्या इसके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न प्रकार के शेडों में अलग-अलग वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि लगभग 84 प्रतिशत है ।

(ग) जी, हां। केरल सरकार किराया बढ़ाने के प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है। केरल इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन से कह दिया गया है कि राज्य सरकार का अन्तिम निर्णय होने तक वह बढ़ी हुई दरों की वसूली रोक रखे ।

केरल में अधिक विद्युत दबाव वोल्टेज के स्वीच गियर बनाने का कारखाना

5647. **श्री वासुदेवन नायर** :

श्री वारियर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुंडारा स्थित अलिंद का एक कम तथा अधिक विद्युत दबाव (वोल्टेज) के स्विच गियर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब और कहां स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) इस कारखाने को केरल राज्य में मन्नार में, पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस देने की तारीख से लगभग दो वर्ष के अन्दर लगाने का सुझाव है ।

बैरनहाल रेलवे स्टेशन की घटना

5648. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर गुन्टाकल के निकट बैरनहाल रेलवे स्टेशन पर बैरनहाल तथा वनटनहाल गांवों के लोगों ने एक रेलगाड़ी रोक ली थी और इस लाइन पर रेल-गाड़ियों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिये उनके साथ पुलिस भेजी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : सही बातें इस प्रकार हैं :—

19-4-66 को लगभग 200 ग्रामीण पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने नं० 222 हुबली-गूटूर सवारी गाड़ी को बंटनहाल और बेवनहाल स्टेशनों में से प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 30-30 मिनट तक रोक रखा और उन्होंने इंजन से पानी मांगा। उसी दिन नं० 223 मैसूर-हुबली सवारी गाड़ी भी इन दोनों स्टेशनों पर वैसे ही कारण से लगभग 20–30 मिनट तक रोक रखी

गयी। भीड़ हिंसक नहीं थी। पानी की कथित कमी के कारण ग्रामीण लोग रेलवे इंजनों से पानी लेना चाहते थे। गाड़ियों के साथ पुलिस अनुरक्षकों की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

लुधियाना में फ्रंटियर मेल को पटरी से उतारने का प्रयत्न

5649. श्री पें० वेंकटासुब्बया क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अप्रैल, 1966 की आधी रात को लुधियाना में दिल्ली आमे-वाली फ्रंटियर मेल बड़ी दुर्घटना होने से बची;

(ख) क्या यह इस रेलवे लाइन पर तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने का प्रयत्न था; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 28-4-66 को 23.10 बजे अप क्रैक स्पेशल माल गाड़ी (न कि फ्रंटियर मेल) लुधियाना में दुर्घटनाग्रस्त होने से बची थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा मौके पर की गयी जांच से पता चला कि यह तोड़-फोड़ का मामला नहीं था। बताया गया है कि एक खुले ट्रक से अचानक एक पाइप गिर कर पटरी पर आ पड़ा था जिससे रास्ता रुक गया था।

बम्बई सेंट्रल तथा अहमदाबाद स्टेशनों पर आरक्षण

5650. श्री जसवन्त मेहता : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सेन्ट्रल तथा अहमदाबाद सिटी स्टेशनों पर स्थानों (सीटों) को पहले से बुक कराने (आरक्षण) में तीसरे दर्जे के यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) स्थानों के आरक्षण में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। कभी-कभी खासतौर पर भीड़भाड़ के समय तीसरे दर्जे की सीट/शायिका रीज़र्व कराने में यात्रियों को कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसी जगहों के लिए बहुत भारी मांग रहती है।

(ख) 1. स्पेशल गाडियां चलायी जाती है और जहां कहीं संभव होता है, वर्तमान गाड़ियों में डिब्बे बढ़ा दिये जाते हैं।

2. गर्मी के मौसम में सीटों/शायिकाओं के अग्रिम आरक्षण की सुविधा की अवधि बढ़ाकर तीस दिन कर दी गयी है।

3. टिकटघरों और आरक्षण कार्यालयों में, खासतौर पर भीड़भाड़ के समय, पर्यवेक्षण का कार्य बढ़ा दिया गया है ताकि कर्मचारियों द्वारा अनाचार किये जाने की संभावना न रह।

4. यह देखा गया है कि अनाचार के कारणों में एक कारण आरक्षण का हस्तान्तरण है इसलिए भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि ऐसी स्थिति का कारगर ढंग से सामना किया जा सके।

5. हर शिकायत की पूरी तरह जांच की जाती है और जिन मामलों में वे सही साबित होती है, उनमें कड़ी सजा दी जाती है।

इजतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर कर लगाया जाना

5651. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री इज़तनगर में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों पर कर लगाये जाने के बारे में 4 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

इजतनगर के रेलवे कर्मचारियों पर कर लगाया जाना

5652. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री इज़तनगर के रेलवे कर्मचारियों पर कर लगाये जाने के बारे में 4 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों को 'परिस्थितियां तथा सम्पत्ति कर' देने से मुक्त करने के लिये इज़तनगर रेलवे बस्ती को एक अधिसूचित क्षेत्र समिति का रूप देने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

कोटा रेलवे स्टेशन के गोदाम में अग्निकाण्ड

5653. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अप्रैल, 1966 को कोटा रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपयों का सामान जल गया था;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था; और

(ग) कुल कितना नुकसान हुआ था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लकिन कुल 1.20 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) इस सम्बन्ध में एक बड़ी संयुक्त जांच समिति बनायी गयी थी, जिसका कहना है कि तेल के धब्बे लगे बोरों के यकायक जल उठने के कारण आग लग गयी होगी ।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) में बताया गया है ।

रेनिगुण्टा रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने का ऊपर का पुल

5654. **श्री दास :**

श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 फरवरी, 1966 को दक्षिण रेलवे के रेनिगुण्टा स्टेशन पर रेलवे लाइन पार करते समय एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री की एक घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या इस स्टेशन पर पैदल-ऊपरी पुल न होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं ;

(ग) क्या वहां पर पैदल चलने का ऊपर का पुल बनाने का कार्य वर्ष 1964-65 के लिये निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने पर भी आरम्भ नहीं किया गया जिससे जनता में घोर असंतोष है;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन के उदासीन रवैये के विरोध में कुछ रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करने के नोटिस दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का विचार वहां पर ऊपरी पुल बनाने के हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। दुर्घटनाग्रस्त लड़की का एक हाथ और एक पैर कट कर अलग हो गये।

(ख) जी नहीं। यद्यपि यार्ड के एक ओर से दूसरी ओर तक के लिए कोई सीधा ऊपरी पैदल पुल नहीं है, फिर भी स्टेशन के पहुंच स्थल से प्लटफार्म तक एक ऊपरी पैदल पुल पहले से ही मौजद है जो पहुंच मार्गों से सम्बद्ध है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऊपरी पैदल पुल के अभाव में दुर्घटनाएं होती हैं।

(ग), (घ) और (ङ) : यही सही है कि एक ऊपरी पदल पुल बनाने का काम 1964-65 के निर्माण कार्यक्रम में रखा गया था लेकिन धन की कमी के कारण 64-65 या 65-66 में काम शुरू नहीं किया जा सका और 67-68 में काम शुरू करने का कार्यक्रम बनाया गया। यह भी सही है कि रेल प्रशासन को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि यदि काम फौरन शुरू न किया गया तो कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल करने का विचार कर रहे हैं। समूचे प्रश्न पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है कि रेल प्रशासन 1966-67 में स्वयं इस निर्माण कार्य को शुरू करेगा और उम्मीद है कि काम जल्दी ही शुरू हो जायेगा।

ढोरों के लिये चारा तैयार करने वाले कारखाने

5655. श्री फिरोडिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ढोरों के लिए चारा तैयार करने वाले कुल कितने कारखाने हैं;

(ख) उनकी कुल क्षमता कितनी है; और

(ग) इन कारखानों की स्थापना के लिये सरकार ने क्या प्रोत्साहन अथवा सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 12।

(ख) लगभग 2,50,000 मी० टन प्रति वर्ष।

(ग) एक विवरण साथ में नत्थी किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6343/66।]**

सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्तियां

5656. श्री बसवन्त :

श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अपने सब बड़े सरकारी उपक्रमों में उच्च पदों तथा तकनीकी पदों पर नियुक्तियां क्षेत्रीय आधार पर न करके अखिल भारतीय आधार पर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1961 में निर्धारित किये गये भर्ती संबंधी सिद्धान्तों के अनुसार सरकारी उपक्रमों के उच्च पदो तथा तकनीकी पदों पर नियुक्तियां विज्ञापन द्वारा अथवा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सबसे योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्त करके की जानी हैं। अनुसूचित जातियों / आदिम जातियो के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आधार वही है जो सरकार के अधीन अन्य नियक्तियो में होता है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

12 मई, 1966 को गाजियाबाद में रेल गाड़ियों का रोका जाना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I wart to draw the atter.tion of Minister of Railways to the following matter of urgent public importance and request him to give a statement :—

"Holding up of trains at Ghaziabad by the passengers on the 12th May, 1966."

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Yesterday, the Rohtak Delhi—Ghaziabad Shuttle left Ghaziabad at right time at 7.50 A.M. It was stopped by a crowd between Gnaziabad and Sahibabad. Another train, 83 Up Lucknow Express which reached there at 9.40 A.M. was also stopped and could leave Sahibabad at 10.21 A. M. with the help of the A. D. M. and the Police. Police had to be called there. The other incoming Trains, namely, the Assam Mail, 29 Up Lucknow Mail, Ghaziabad New Delhi Shuttle, 2 Down Kalka Mail, Down Express and 2 A. T. D. were also held up by the crowd for varying periods of time.

The reason that they gave for detaining the trains was that the Rohtak-Delhi Ghaziabad Shuttle is always running late. However, on telephonic enquiry, it is found tnat their contention is not correct. In the first 12 days of May 1966, the train left Ghaziabad in time on all days except for three days, when it is late by 15 minutes, 7 minutes and 5 minutes. It arrived at Rohtak in time on all but five occasions with the late arrival from 5 to 7 minutes. It arrived at Delhi in time on all but five occasions, the late arrival varying from 5 to 22 minutes.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Due to this late arrival great harm was done to me, my program was upset. But I have been told that great inconvenience is generally caused to the labour; students and clerks, who daily travel by this train.

Dr. Ram Subhag Singh : We are prepared to consider the situation and discuss this matter with the representatives of the passengers. I am very sorry for the loss of time and money people had to suffer due to that. We shall try our level best to do whatever is possible in this direction.

श्री प्र० चं० बरुआ (कूच-बिहार) : क्या यह दुर्घटना किसी की शरारत के कारण हुई ?

डा० राम सुभग सिंह : पुलिस वहां समय पर पहुंच गयी थी हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : As reported in the Press to-day, it is stated that warning has been given to the Government to stop the train on the 2 June. I want to know, what arrangements the Government have done in order that such an incident may not occur again?

Dr. Ram Subhag Singh : I donot intend to do anything in view of any threat.

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) : As it appears in the papers students are mainly responsible for such incidents.

Dr. Ram Subhag Singh : The trouble was started with the pulling of chains We are doing according to the orders of the Honourable Minister.

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में

RE : QUESTIONS OF PRIVILEGE

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : कल योजना मंत्री ने प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया के इस समाचार का पूरा खंडन किया कि वाशिंगटन से चलने से पहले वह विश्व बैंक के प्रेजीडेंट से मिले। उद्देश्य यह था कि उनसे उस वक्तव्य के बारे में अनुमति प्राप्त की जा सके । वह वक्तव्य जो कि मंत्री महोदय सभा के समक्ष देने वाले थे। इस सब हालात को देखते हुए, न्यूयार्क के सम्वाददाता को सूचना अवश्य ही गलत है। इसक अन्तर्गत विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला आता है ।

अत: मेरा निवेदन यह है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के यह बताने के लिये कहा जाय कि सम्वाददाता तथा मंत्री महोदय के बीच क्या क्या बातचीत हुई है। यदि सम्वाददाता ने उन्हें गलत समझा है तो प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को यह भूल ठीक करनी चाहिये और सभा के समक्ष इसके लिये खेद व्यक्त करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का निर्णय करने से पूर्व हम समाचार एजेंसी से उत्तर मांगेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : On the 10th May 1966 I made an appointment with the Superintendent of Delhi Central Jail, for meeting some Sanyasis who were fasting to death there. It was reported that they were in a very serious plight. But Superintendent did not allow him to meet the Sanyasis. I had to leave my calling attention notice also due to that. In this way my work has been hindered and I had to face a great inconvenience.

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हमें जो अधीक्षक महोदय से जानकारी उपलब्ध हुई है वह यह है कि उन्होंने माननीय सदस्य को यह नहीं कहा था कि वह उन्हें संन्यासियों से मिलने नहीं देंगे। उन्होंने यह कहा था कि भट के लिये वह संन्यासियों को वहीं पर अपने कार्यालय में ही बुला लेते है। यह प्रक्रिया है। उन को वहां पर लाया भी गया था परन्तु सूचना के अनुसार माननीय सदस्य उनसे वहां मिलना नहीं चाहते थे। माननीय सदस्य यह चाहते थे कि वार्ड में जाकर उनसे भेंट की जाय ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is not correct. The Superintendent said that he could allow the politicians to meet the deteneus inside the Jail.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को देखते हुए और जांच की जानी चाहिये ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6326/66।]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6327/66।]**

(3) भारत सरकार के उन सचिवों के नाम दिखाने वाला एक विवरण जो सरकारी परियोजनाओं के सभापति है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6328/66।]**

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

खान और धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मेहदी) : श्री सु० कु० डे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल मिनरल डवेलपमेंट कारपोरेशन लिम्टिेड, नई दिल्ली, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6329/66।]**

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री नास्कर) : मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छट) दूसरा संशोधन विनियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 622 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6330/66।]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड आदि के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कुरैशी) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1964–65 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6331/66।]**

(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1964–65 के प्रतिवेदन के, जो 25 मार्च, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था, कुछ अंशों को शुद्ध करने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6332/66।]**

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 23 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 590 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6333/66।]**

(4) कहवा (काफी) अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कहवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 629 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6334/66।]**

(5) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत तीन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति।

(1) वस्त्र (कल करघा द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1966 जो 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1216 में प्रकाशित हुआ।

(2) सूती वस्त्र नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1966 जो 23 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1217 में प्रकाशित हुआ।

(3) ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण आदेश) प्रथम संशोधन आदेश, 1966 जो 23 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1218 में प्रकाशित हुआ। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6335/66।]**

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1963-64

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1963-64

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से 1963-64 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देश सभा को देना है :—

"कि राज्य-सभा को 5 मई, 1966 को लोक-सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 1966 के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

शिक्षा के लिये योजना आवंटनों के बारे में याचिका

PETITION RE: PLAN ALLOCATIONS FOR EDUCATION

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I hereby present a petition from the All India Secondary Teachers' Federation which has been signed by more than fifty thousand teachers from different parts of the country, in regard to plan allocations for education and connected matters.

योजना मंत्री के अपनी संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडाकी यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बार में

STATEMENT RE : PLANNING MINISTER'S VISIT TO U.S.A. AND CANADA

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मेरा निवेदन यह है कि माननीय योजना मंत्री सदन में कुछ और और सदन की बाहर कुछ और कहते है, इसके बारे में अखबारों में भी चर्चा हुई है। वास्तव में हम तो यह वक्तव्य सुनना ही नहीं चाहते। इससे विदेशी एजेन्सी के प्रभाव की बू आती है।

श्री दाजी : हम यह वक्तव्य सूनना नहीं चाहते..... (**व्यवधान**)

श्री मुहम्मद ईलियास : * * *

इसके पश्चात् श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री मुहम्मद इलियास और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर गये/ *Shri H. N. Mukerjee, Shri Mohammed Eliyas and some other hon. members then left the House.*

श्री अशोक मेहता : मुझे खेद है कि मेरे बारे में अपशब्द कहे गये ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी को कार्यवाही में रूकावटे नहीं डालनी चाहिए, मुझे उन्हें बाहर जाने को कहना होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उन्हें भी बाहर जाने को कहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी सदन से बाहर चले जायें।

इसके पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी सदन से उठकर गये/*Shri S. M. Banerjee then left the House.*

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक मेहता।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : आर्थिक सहायता के विषय में बातचीत करने के लिये हाल ही में मैंने जो संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा का दौरा किया, उसकी रिपोर्ट में संसद् को प्रस्तुत करता हूं। मेरे दौरे का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत सहायता मंडल (कन्सोर्टियम) के प्रवर्तक, विश्व बैंक के प्रधान श्री जार्ज डी० वुड्स और अमरीका के प्रशासन से बातचीत करूं। जिन दिनों में वाशिंग्टन रहा, मुझे राष्ट्रपति जानसन, अमरीका के प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों और अमरीका की कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों से मिलने का सुअवसर मिला। ओटावा में, कनाडा सरकार के सदस्यों से मेरी बहुत ही लाभदायक बातचीत हुई। ये सब बातचीत संवेदनशील मित्रता एवं सहमति की भावना से युक्त थी।

---

*सभापति महोदय के आदेश से सभा के कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया गया।

2. जैसा कि सदन को मालूम ही है, कि चौथी योजना को उपयुक्त आकार देने में हमारे सामने जो प्रमुख कठिनाइयां हैं उनमें से एक यह है कि जो विकास कार्यक्रम हमारे सामने है उसको पूरा करने के लिये हम जितनी सहायता की आशा करते हैं और जिसे हम तर्कसंगत रूप में मित्र राष्ट्रों से सम्भावना करते हैं, वह कितनी उपलब्ध होगी, इस बारे में अनिश्चितता है। अतः इस सम्बन्ध में हमने, रूस की सरकार तथा अन्य देशों से जो विश्व बैंक द्वारा प्रवर्तित भारत सहायता मंडल (कन्सोर्टियम) के सदस्य नहीं है, बातचीत की। प्रधान मंत्री ने मार्च में, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों का दौरा किया। इसके बाद हमारे लिये यह आवश्यक हो गया कि, मंडल (कन्सोर्टियम) के प्रमुख सदस्यों यानी विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अमरीका से आगे बातचीत करें, ताकि यह मालूम हो सके कि आगामी योजना अवधि में भारत के तीव्र आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ती के लिये जो कि स्वावलम्बी विकास की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये महत्वपूर्ण है, वे कितनी सहायता देने के लिये वचन बद्ध है।

3. इस व्यापक प्रसंग में, मैंने विश्व बैंक के अधिकारियों से जो बातचीत की वह कृषि विकास, जनसंख्या नियंत्रण, देश के अन्दर उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम, निर्यात से आमदनी बढ़ाने, मशीन-निर्माण, रासायनिक, औद्योगिक कच्चामाल इत्यादि कई क्षेत्रों में हमने जो उत्पादक क्षमता प्राप्त कर ली है उसका अधिक सधन और अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिये सुविधाएं प्रदान करने इत्यादि प्रश्नों के बारे में हम आगामी दो योजनाओं में क्या करना चाहते हैं तथा इन सबके संदर्भ में किस मात्रा तथा तरीके से सहायता प्रदान की जाय जो भारत के आर्थिक विकास के हित में हो, पर केन्द्रीत रही।

4. मैंने देखा कि, हमारे पिछले पन्द्रह वर्षों के सुनियोजित प्रयत्नों में हमें जो सफलता मिली उसकी विश्व बैंक तथा अमरीका के प्रशासन, दोनों सराहना करते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि आगामी दो योजना अवधियों में हम जो प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सहायता प्रदान करने की उनकी इच्छा है। मैंने, उनको यह स्पष्ट रूपसे बता दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिये, हम आगामी पांच से दस वर्ष की अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने देश के आर्थिक इतिहास के परिवर्तनकाल के प्रति हम सजग है, संरचनात्मक क्रांति सुनिश्चित करने के काम में भरसक प्रयत्न करने के लिये हम दृढ़ संकल्प किया है और आज भारतीय समाज में एक गति है जिसे हम इस प्रकार काम में लाना चाहते हैं कि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस महान कार्य में, काफी काम आसानी से किया जा सकता है, केवल आसानी से ही नहीं बल्कि अधिक लाभदायक भी बनाया जा सकता है, यदि जो विकसित देश हमें जानकारी तथा संसाधन उपलब्ध करने की स्थिति में हैं वे हमारे प्रयत्नों को बल प्रदान करें। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विश्व बैंक, संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा में मैंने जो स्थिति देखी वह इस प्रकार की है कि हमें स्वावलम्बी तथा स्वजनक विकास के अनुकूल संरचनात्मक आमूल परिवर्तन के उद्देश्य की उपलब्धि में अधिक विश्वास एवं अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करना है।

5. इस सामान्य पृष्ठभूमि में मैंने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये और चालू वर्ष के लिये विदेशी सहायता के बारे में विश्व बैंक से बातचीत की। सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि चौथी योजना की तैयारी उस अवस्था में नहीं पहुंची है जहां उसकी निश्चित रूपरेखा सामने आ जाए, अतः विश्व बैंक से मेरी चर्चा गुणात्मक ही हो सकती थी। कन्सोर्टियम से मिलने वाली सहायता की ठिक मात्रा कितनी हो यह चर्चा तभी हो सकती थी जब कि हम पहले यह निर्णय कर लें कि योजना का विस्तार और आवटन क्या होगा, पर इस तथ्य को स्पष्ट रूप से समझा लिया गया है कि अभी तक जितनी सहायता मिलती रही है उसकी अपेक्षा

[श्री अशोक मेहता]

काफी अधिक सहायता की व्यवस्था अगले पांच वर्षों में करनी होगी जिससे कि अभी तक निर्मित उत्पादन क्षमता का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा सके और इस क्षमता में वृद्धि भी की जा सके ।

6. विश्व बैंक अमरीका से अपनी बातचीत में मैंने इस बात पर जोर दिया कि रख-रखाव के लिये किए जाने वाले आयात के लिये अधिक वित्तीय व्यवस्था की जानी आवश्यक है। वर्तमान संभावनाओं के पूर्ण उपयोग के लिये अगले कुछ वर्षों तक इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक होगी। इस प्रसंग में मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान क्षमता के कारगर उपयोग में और उपलब्ध बाह्य तथा आन्तरिक साधनों के अधिक स्वतन्त्र और अनुकूल आवंटन में सबसे बड़ी बाधा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण लगाए गए प्रतिबन्ध है। यदि हमें परियोजना बाह्य सहायता पर्याप्त मात्रा में और ऐसे रूप में उपलब्ध हो कि विदेशी मुद्रा के आवंटन में अधिक लोच की गुंजायश रहे तो यह हमारे लिये अधिक लाभदायक होगा और हम शुल्क दर और वित्तीय तथा ऋण नीतियों के अधिक व्यापक उपायों द्वारा साधनों का अधिक उचित उपयोग कर सकेंगे, जबकि आजकल विदेशी मुद्रा की कमी के कारण प्रशासनीक नियंत्रणों का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता। इस प्रकार की नीति से देशी उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण भी मिल जाएगा और वित्त व्यवस्था के नवीनीकरण में और उत्पादन व्यय को कम करने में भी सहायता मिलेगी। मैंने अपनी चर्चा में इस बात पर इसीलिए अधिक जोर दिया कि कन्सोर्टियम देशों से परियोजना बाह्य सहायता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिये अधिक समर्थन मिल सके।

7. वर्तमान क्षमता के शीघ्र और अधिक सुचारू उपयोग के लिये अधिक मात्रा में परियोजना बाह्य सहायता की आवश्यकता पर जोर देने के साथ ही हमने विश्व बैंक को सूचित कर दिया है कि अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये हमें अपनी उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष योजनाबद्ध रीति से वृद्धि करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस वर्ष भी और चौथी योजना अवधि में भी--हमें योजना बाह्य सहायता की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी और यह सहायता उस परियोजना सहायता के अतिरिक्त होगी जो कि हम अपनी उत्पादन व्यवस्था को विस्तृत और बहुमुखी बनाने के लिये अगले कुछ वर्षों तक चाहेंगे। इस विषय में भी हमें सहानुभूतिपूर्ण और आश्वासनप्रद उत्तर प्राप्त हुआ। यह तय है कि सहायक देशों से हमें कितनी मात्रा में सहायता की आवश्यकता है यह बात हमारी चौथी योजना के स्वरूप पर आश्रित होगी। जैसे ही चौथी योजना तैयार होगी--और हमें आशा है कि अगले कुछ महीनों में हम चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा राष्ट्रीय विकास परिषद् और संसद् के सामने पेश कर सकेंगे। हमारा इरादा है कि वर्ष की समाप्ति के काफी पहले ही कन्सोर्टियम के नेता के रूप में विश्व बैंक को आमंत्रित किया जाय और वह कन्सोर्टियम द्वारा इसके मूल्यांकन और विचार की व्यवस्था कराए।

8. इस पृष्ठभूमि में हमने चालू वर्ष में आवश्यक सहायता के बारे में विश्व बैंक से ब्यौरेवार बात चीत की और हम इस बारे में सहमत हो सके कि यदि भारत को अपनी इष्ट दिशा में शीघ्रता से और निश्चितरूप में आगे बढ़ना है तो कितनी मात्रा में सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष इस बात के लिये राजी हो गए है कि चालू वर्ष में हमारी परियोजना बाह्य सहायता की आवश्यकता के बारे में भारत सहायता मण्डल (कन्सोर्टियम) के देशों से बातचीत करेंगे और निकट भविष्य में ही हमें सूचित करेंगे कि उन की प्रतिक्रिया क्या है। इस दिशा में उन के प्रयत्नों में सहायता पहुंचाने के लिये हमें भी सहायता देने वाले देशों से द्विपक्षीय आधार पर पारस्परिक वार्ता करनी होगी। इसके सिवाय विश्व बैंक के अध्यक्ष भी इन देशों से अनुरोध करेंगे कि वे पर्याप्त और अधिक मात्रा में योजना बाह्य सहायता देने

के अतिरिक्त हमारी परियोजनाओं में भी आवश्यक सहायता दें। उन्होंने हमें यह आश्वासन भी दिया है कि विश्व बैंक और इससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन हमारी परियोजनाओं में सहायता की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के साथ ही हमारी परियोजना बाह्य सहायता की आवश्यकताओं में भी पर्याप्त हाथ बटाएगा।

9. संयुक्त राज्य प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह विश्व बैंक द्वारा निर्धारित चालू वर्ष में हमारी गैर-परियोजना आवश्यकताओं के लिये अपना उचित भाग देगा, बशर्ते कि कांग्रेस इस पर कार्रवाई करे। इस के अलावा, वह परियोजनाओं में धन लगाना भी पसन्द करेगा, इन में वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जो हमने पिछले सितम्बर में भारत को नई अमरीकी आर्थिक सहायता के वायदों को बन्द कर देने से पहले ही उन के सामने पेश की थीं।

10. मेरे विचार विमर्श के समय भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक परियोजनाओं पर सहयोग की सम्भावना सामने आई, जो दोनों देशों के लिये लाभप्रद है। मैंने यह बताया कि जहां तक भारत का सवाल है, वह हमेशा ऐसी परियोजनाओं में शामिल होने के लिये तैयार है, बशर्ते कि वे अच्छी हों। फिर भी, हमने किसी विशिष्ट परियोजना पर विस्तार पूर्वक विचार नहीं किया।

11. स्वभावतः संयुक्त राज्य सरकार के साथ मेरे विचार-विमर्श की मुख्य बात यह थी कि राष्ट्रपति जानसन से मुलाकातें हुई। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने निजी तौर पर हमारे प्रधान मन्त्री को खूब प्रशंसा की और भारत को जनता के सामने आने वाली अनेक कठिनाइयों के प्रति अपनी सहानुभुति व्यक्त की तथा उन्हें समझने की कोशिश की। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया कि हम भारत में क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने हमारे इस दृष्टिकोण की प्रशंसा की जिसके द्वारा हम समस्याओं को हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका भारत के आर्थिक विकास कार्यक्रम में भरसक सहायता देगा, बशर्ते कि कांग्रेस के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह भारत से कुछ खास चीज चाहते हैं। हां, बस वह इतना चाहते हैं कि भारत ने जो साधन पैदा किए हैं या जो बाहर से जुटाए है, उन्हें आर्थिक लाभ के लिये और अपनी जनता की भलाई के लिये काम में लाया जाए। उन को यह आशा है कि भारत शान्ति से रहेगा और इस प्रकार अनावश्यक रक्षा भार को कम करेगा।

12. कनाडा दौरे के समय मुझे विदेश मंत्री श्री पाल मार्टिन व वित्त मंत्री श्री मिसेल शार्प से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अवश्य ही, मैं प्रधान मंत्री लेस्टर पियरसन से नहीं मिल सका, क्योंकि वे अस्वस्थ थे। मेरी कनाडा यात्रा सद्भावना यात्रा थी। पिछले वर्षों में भारत को कनाडा की जो सहायता मिली है, वह केवल मात्रा में ही अत्यधिक नहीं है, बल्कि इस में पारस्परिक सम्बधों को समझने की भावना भी है। इसलिए मैं चाहता था कि कनाडा सरकार की सद्भावना के प्रति अपना हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करूं जो हमें इन से मिलती रही है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हाल में ही कनाडा सरकार ने यह घोषणा की है कि चालू वर्ष में हमें जो 100 लाख कनाडियन डालर देने थे, नहीं देने होंगे। कनाडा सरकार ने भारत को गेहूं की सहायता के लिये जहाजों पर गेहूं का लदान बहुत अधिक बढ़ा दिया है। मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे हमारी चौथी योजना अवधि में हमारे विकास प्रयत्नों में बराबर दिलचस्पी रखेंगे। कनाडा ने भारत को जिस भावना से जितनी सहायता दी, मैंने उस की प्रशंसा की।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है, इस पर सदन में विचार किया जाना चाहिये। एक दिन तो चर्चा होनी चाहिये। अखबारों ने कुछ ही लिखा हो सदन श्री अशोक मेहता के प्रयासों की सराहना करता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : क्या अमरीकी सरकार ने सहायता देने के लिये यह शर्त नहीं लगाई थी कि भारत और पाकिस्तान में समझौता हो। और यह भी पता चला है कि

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

हमारे योजना मंत्री श्री डीन रस्क को भारत की समस्याओं के बारे में स्पष्टीकरण देने रहे हैं? क्या यह हमारे आत्म सन्मान के विरूद्ध नहीं है? क्या ऐसी बातें वहां होती रही है?

श्री अशोक मेहता : मैंने अपने वक्तव्य में सारी बातें स्पष्ट कर दी है। किसी भी प्रकार की शर्तें हम पर नहीं लगाई गई थी। केवल अमरीका वाले यह जानना चाहते थे कि हमारे यहां क्या हो रहा है। किसी प्रकार से भी प्रतिष्ठा का प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं आता।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : क्या बातचीत के दौरान भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों की चर्चा हुई थी? क्या मंत्री महोदय ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान किस प्रकार हमारे विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रहा है?

श्री अशोक मेहता : विश्व बैंक का काम दोनों देशों को आर्थिक सहायता देना है। वह राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ता? हम वहां आर्थिक सहयोग के लिये गये थे। उन्हें पाकिस्तान के बारे में हमारी नीति का पता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : In between our two contradictory desires, we are losing every thing. We are neither getting help nor aid, the question of self respect also falls in to insingificance. It would be better if the Honourable Minister may sit silently for few days and think over the matter dispassionately and then throw lignt on all these problems.

Shri Asoka Mehta : This is my responsibility, as I have got the confidence of my peoble and the Prime Minister. I have seriously thought over the matter for a very long time. We would keep our self respect always before us. But as the things stand, we would be getting more aid than we got in the third Five Year Plan. At this stage it is not possible to give figures. But I undertstand the situation.

श्री फ्रैंक एन्थनी : नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : मानीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जब तक चौथी योजना की आवश्यकताओं का ब्यौरा तैयार न कर लिया जाये तब तक कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता परन्तु समाचारों से पता लगता है कि अमरीका ने लगभग $47\frac{1}{2}$ करोड़ डालर की सहायता रोक ली है। क्या वह अमरीकी प्रशासन के रवैये के बारे में बतायेंगे?

श्री अशोक मेहता : मुझे कुछ दिन पहले पता लगा था कि अमरीकी सरकार चार परियोजनाओं के बारे में बातचीत आरम्भ करने के लिये तैयार है। पिछले वर्ष दी जाने वाली परियोजना से बाहर की सहायता का मामला विचाराधीन है।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेन्गोड) : लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा है कि उन देशों की सरकारें हमारी पिछली क्रियान्विति से प्रसन्न नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे?

श्री अशोक मेहता : यदि अमरीका सरकार हमारी क्रियान्विति से संतुष्ट न होती तो वह देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें हमें अधिक सहायता देने के लिये सहमत न होती।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : क्या बढ़ाई हुई राशि वास्तव में दी गई अथवा तृतीय योजना में वचन दी गई राशि से अधिक होगी?

श्री अशोक मेहता : अमरीका सरकार के साथ बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चौथी योजना के दौरान दी जाने वाली कुल सहायता तीसरी योजना में दी जाने वाली सहायता से अधिक होगी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : "आयात का उदारीकरण" तथा "भारतीय अर्थव्यवस्था में नियंत्रण" से क्या अभिप्राय है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अमरीकी सरकार अन्य सरकारों की भांति भारत के साथ द्विपक्षीय करार करेगी अथवा केवल विश्व बैंक से प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सहायता दी जायेगी।

श्री अशोक मेहता : नियंत्रण विदेशी मुद्रा की गम्भीर कमी तथा आयोजित आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास तथा उद्योगों के कारण आवश्यक हैं।

विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि जहां तक वर्तमान वर्ष का सम्बन्ध है, हमें परियोजनाओं के लिये विभिन्न देशों के साथ बातचीत करनी होगी। परियोजना के अतिरिक्त सहायता के लिये वह सभी देशों की ओर से बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : It is estimated that the impact of foreign loans comes to Rupees 128 per head. In spite of that we are unable to implement our projects because of lack of foreign exchange. May I know whether the hon. Minister made any efforts to overcome this shortage of foreign exchange during his visit abroad and if so, the details thereof?

Shri Asoka Mehta : We need foreign exchange for those projects for which we have capacity in this country but which are held up due to want of components and essential raw materials. We have also to start new projects and we need help for those projects. We have been assured aid with regard to both types of projects.

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : क्या कारण है कि पाकिस्तानी आक्रमण के समय रोकी गई सहायता अब क्यों नहीं दी जा रही है ? तथा क्या वह वहां हुई बातचीत में संतुष्ट हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

खाद्य मंत्री द्वारा अकाल संहिता के बारे में दी गई कुछ जानकारी तथा उसके उत्तर के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CERTAIN INFORMATION GIVEN BY FOOD MINISTER ON FAMINE CODE AND REPLY THERETO

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Mr. Seapker, Sir, in spite of your repeated instructions famine code nas not been laid on the Table of the House. This amounts to disrespect to the House.

The Famine Code was primarily considered to be the responsibility of the provinces. The Minister has been making contradictory statements in the House regarding the famine Code. In November, 1965 he stated that there was a famine Code according to which famine was primarily the responsibility of the States. In February, 1966 he said that the old Famine Code had been scrapped and a new code had been introduced. In April, 1966 he said that there was no Famine Code and the State codes were enforced with necessary changes. All of those contradictory statement, cannot be correct. The hon. Minister deliberately made wrong statements in order to save himself from being caught during the supplementary questions.

The fact of the matter is that the Government of India introduced famine Code throughout the country in 1883. Under this code various provincial laws were made which were amended from time to time. But the amendments were made by the Government of India through its own resolutions. For example, the Government issued instructions on 31st March, 1897.

[Dr. Ram Manohar Lohia]

There is no change with regard to provincial famine codes. If there are any changes, those should be introduced by Gazette notification and government-resolutions. It is a good thing that old Famine Code is still in force and it becomes obligatory to declare famine conditions under certain circumstances. The Hon. Minister should not try to mislead the House by advancing such arguments which suit his contentsions. If these things are allowed, democracy cannot function. He should tell the true position if he cannot lay the revised Famine Code on the Table of the House.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मैं डा० लोहिया द्वारा उठाई गई विभिन्न बातों का उत्तर देने के लिये एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

पेटेंट्स विधेयक

PATENTS BILL

संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य नियुक्त करने के बारे में राज्य-सभा से सिफारिश

श्री सें० वें० कृष्णमूर्ति राव: मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है राज्य सभा, श्री त्रि० ना० सिंह द्वारा पेटेंट्स विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हुई रिक्तता के लिये राज्य-सभा का एक सदस्य संयुक्त समिति के लिये नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा उस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है राज्य सभा, श्री त्रि० ना० सिंह द्वारा पेटेंट्स विधेयक, 1965 सम्बन्धी संयुक्त समिति से त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हुई रिक्तता के लिये राज्य-सभा का एक सदस्य संयुक्त समिति के लिये नियुक्त करे और राज्यसभा द्वारा उस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

उड़ीसा विधान-सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक—जारी

ORISSA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) BILL—*Contd.*

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : विधेयक को अनुच्छेद 172(1) के अन्तर्गत आपात के उपबन्धों का आश्रय लेकर लागू किया जा रहा है। हम जानना चाहते कि यदि कुछ समय के बाद आपात की स्थिति समाप्त कर दी जाये तो इस विधेयक का क्या बनेगा। जैसा कि मैंने कल कहा था शायद इस विधेयक के कारण आपात की स्थिति के प्रतिसंहरण में देर लगेगी।

उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन तथा सामान्य निर्वाचन एक साथ कराना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़ेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इसके लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान सभा की कार्यावधि बढ़ाई जाये। राज्य सरकार बिलकुल असफल रही है। लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए समय पर चेतावनी देने पर भी सरकार उपाय नहीं कर पाई

है। ठीक कार्य यह होगा कि 20 अगस्त के बाद जब वर्तमान विधान सभा की अवधि समाप्त हो तो राष्ट्रपति के शासन की उद्घोषणा की जाये न कि उसकी अवधि बढ़ाई जाये। इसलिए वर्तमान विधेयक वापिस लिया जाना चाहिये।

Shri Jena (Bhadrak) : The present ministry in Orissa has been elected through popular votes. The members belonging to opposition parties talk in different tones with regard to similar situation. They talk of promulgating President's rule in Orissa but in case of Kerala they have opposed it with all thier might.

The members of the Opposition do not state the facts. They say one thing here and another thing before the electorates. It is wrong to say that the Congress administration has failed.

Shri Kishan Pattanayak (Sambalpur) : I oppose this bill. The Minister of Food and Agriculture has admitted the failure of administration so far as the situation in Orissa is concerned. More than 500 deaths due to starvation have been reported. The Government is responsible for such a situation and it should have been removed much earlier. Now the term of present Assembly is about to expire and the Government should go.

Holding elections in Orissa at present juncture will be a boon to the distressed people of Orissa because the Government will do its utmost to provide relief to the people. From the constitutional and political points of view, it is proper to hold elections in Orissa. This bill should be withdrawn.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : समूचा देश आपात को समाप्त करने के पक्ष में है। परन्तु सरकार आपात की स्थिति से लाभ उठाकर उड़ीसा सरकार की अवधि को बढ़ाना चाहती है।

उड़ीसा सरकार की अवधि को नहीं बढ़ाया जना चाहिये क्योंकि किसी भी मुख्य मंत्री ने निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। जिस किसी के हाथों में भी शक्ति आई उसने पर्याप्त धन एकत्र किया है। इसलिये ऐसी परिस्थितियों में सरकार के लिये सब से अच्छा मार्ग यही है कि वह वहां पर सभा को भंग करके राष्ट्रपति का शासन लागू कर दे। जब केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं किया जा सकता ?

एक समय था जब महात्मा गांधी कहा करते थे कि मैं अच्छी सरकार की परवाह नहीं करता परन्तु हमारी अपनी सरकार होनी चाहिये। परन्तु आज देश में एक अच्छी सरकार स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिये हमें यह विधेयक पारित करके भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

आम चुनावों से कुछ महीने पूर्व चुनाव कराना लाभदायक नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन उचित रूप से लागू किया जाये जिससे कि लोग स्वतंत्रता से अपने विचार व्यक्त कर सकें।

विधेयक में कई कमियां है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह समस्त स्थिति को अच्छी तरह समझें और इस मामले में उचित सलाह ले।

Shri Shree Narayan Dass (Darbhanga) : The main aim of the Government in presenting this Bill is to hold the elections to the Orissa Legislative Assembly simultaneously with the General Elections. Elections involved lot of expenditure and energy. It would, therefore, be better for all the political parties if the elections to the legislative Assembly and Parliament are held simultaneously. Moreover,

[Shri Shree Narayan Das]

the General Elections are to be held after few months, I think such arrangements would be convenient to the Government, people, Election Commission and also to the political parties.

Fortunately or unfortunately emergency is still continuing in our country and therefore, I feel, that all of us should support this Bill. I have been surprised to note that the opposition parties are criticising the Government for imposing Preseidents' Rule in Kerala whereas they want that such rule may be enforced in Orissa.

Some of the members have made allegations against the former Chief Ministers of Orissa. Whether those allegations are corrrect or not, I would not indulge in discussion but simply say that those chief Ministers have already resigned from their posts.

Orissa is facing a difficult situation due to draught. It is, therefore, not proper to hold elections at the present juncture. It would also not be in the interest of the people of Orissa. We should concentrate our efforts to alleviate the sufferings of the people of Orissa.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड़) : विधेयक द्वारा उड़ीसा विधान सभा की अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक संविधान की धारा 192 की भावना के अनुकूल नहीं है।

दूसरी बात यह है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि सरकार आपात को तथा भारत रक्षा नियमों को सामारिक महत्व के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमीत रखना चाहती है। मैं नहीं कह सकता कि फिर इस विधेयक क्या होगा। हो सकता है कि सरकार फिर संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक लाये। विधेयक के समर्थकों का कहना है कि उड़ीसा में चुनाव कराने के लिये अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। तर्क के हेतू मै इस बात को मान लेता हूं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वहां की विधान सभा की अवधि को बढ़ाया जाये। यदि विधान सभा को भंग करके वहां पर शासन चलाने के लिये राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाये तो मैं उसका स्वागत करूंगा। इसका एक कारण यह भी है कि वहां पर सरकार बुरी तरह असफल रही है। इसका अर्थ यह है कि प्रशासन को नियंत्रित करने वाली सरकार स्थिति से निपटने योग्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि सत्तारूढ दल स्थिति से लाभ उठाने का यत्न कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर एक अनुभवी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाये। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये राज्यपाल का शासन अच्छा रहेगा। वे सब स्थिति से निपटने के लिये अच्छा सहयोग दे सकेंगे।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जिन माननीय सदस्यों ने इस वादविवाद में भाग लिया है उनका मैं आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें। सभा अब गैर-सरकारी कार्य आरभ करेगी।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

नवासीवां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायण दास : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नवासीवें प्रतिवदन से, जो 11 मई 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नवासीवें प्रतिवेदन से, जो 11 मई 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूचि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF THE EIGHTH SCHEDULE)

श्री अब्दुल गनी गोनी (जम्मू और काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री अब्दुल गनी गोनी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोध)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 51)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :––

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वापस लिये जाने वाले विधेयक।

श्री यशपाल सिंह उपस्थित नहीं है।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMDENDMENT OF ARTICLES 75 AND 1964)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हरि विष्णु कामत द्वारा 1 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हरी विष्णु कामत : प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को क्रमश: लोक सभा तथा विधान सभा का सदस्य होना चाहिये। इस विधेयक को न केवल सभा से बल्कि प्रैस से भी समर्थन प्राप्त हुआ है।

यदि कोई विपरीत घटना नहीं घटती तो प्रधान मंत्री का लोकसभा के लिये चुना जाना निश्चित ही है। जबकि गृह-कार्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त शेष सभी क्षेत्रों से आपात की स्थिति समाप्त कर दी जायेगी तो प्रधान मंत्री का उपचुनाव न लडने का कोई कारण नही है। प्रधान मंत्री को उप-चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिये यदि वह हृदय से उप-चुनाव लड़ना चाहती है।

ऐसा कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने की बजाये हमें संसदीय लोकतंत्र के समर्थन के लिये प्रथाएं स्थापित करनी चाहिये। परन्तु देश में न केवल थोथी प्रथाएं स्थापित हो गई है बल्कि विभिन्न तरीकों से स्थापित प्रथाओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

जब कोई व्यक्ति देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसको किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये।

हाल ही में केरल के राज्यपाल अपने दल के चुनावों में भाग लेने के लिये दिल्ली आये थे। जब यह मामला सभा में उठाया गया तो यह उत्तर मिला कि राज्यपालों के लिये आचरण की कोई संहिता नहीं है। इसलिये मैं संविधान में संशोधन करवाना चाहता हूँ जिससे कि स्वस्थ प्रथाएं स्थापित हो सकें।

बात केवल इतनी है कि प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को क्रमश: लोकसभा तथा विधान सभा का सदस्य होना चाहिये क्योंकि संविधान के अनुसार मंत्रिमण्डल ही लोकसभा को उत्तरदायी है। लोकसभा अरबों रुपया व्यय करने के लिये स्वीकृति देती है। संसदीय लोकतन्त्र में सभी मुख्य शक्तियां जनता में निहित होती हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री ही होते हैं परन्तु हमारे यहां प्रधान मंत्री इस सभा के सदस्य ही नहीं हैं। इसलिय मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री को इस सभा का सदस्य होना चाहिये क्योंकि अन्यथा उनको संविधान के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों की मांगों पर मत देने का न तो अधिकार है और न ही शक्ति है। गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी कहा है कि सिद्धान्तरूप से इस बात में कोई सन्देह नहीं कि प्रधान मंत्री को लोक सभा का सदस्य होना चाहिये। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस विधेयक पर जनता की राय जानने के लिये आपत्ति क्यों की जा रही है। सरकार को इस विधेयक पर लोकमत जानने के लिये परिचालित करने के विचार से डरना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री यशपाल सिंह यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए मैं उनका संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा क्योंकि वह प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को उसपर 30 सितम्बर 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ/*The Lok Sabha devided.*

पक्ष में 16; विपक्ष में 107/Ayes 16; Noes 107.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री विश्वनाथ पाण्डेय अपने संशोधन को मतदान के लिये सभा के समक्ष रखना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपूर) : जी नहीं। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 20; विपक्ष में 96।/Ayes 20; Noes 96.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। /*The motion was negatived.*

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1962 (अनुच्छेद 136, 226 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENMENT) BILL, 1962 (Amendment of Articles 136, 226 etc.)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान के अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।"

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair.*]

एक निर्वाचित विधान सभा की स्वतन्त्रता के लिये यह अपेक्षित है कि स्वयं विधान सभा को इसकी सदस्यता सम्बन्धी झगड़ों के निर्णय करने की एक मात्र शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 15 को तैयार करते समय संविधान बनाने वालों के दिमाग में यही सिद्धान्त था।

विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अन्तर्गत (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत नियुक्त वर्तमान चुनाव न्यायाधिकरण) की चुनाव याचिकाओं के निर्णय के लिये विधान मण्डल द्वारा गठित प्राधिकार के आदेशों तथा निर्णयों के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 132, 136, 226, 227 और 228 के अन्तर्गत अपीलों, पुनरीक्षण, लेख, आवेदनपत्र या अन्य कार्यवाहियों को दाखिल करने के मामले में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाना है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव के मामलों को, लोगों द्वारा निर्वाचित संसद् अथवा विधान सभा निपटाने में बिल्कुल स्वतन्त्र है। जब अन्त: कालीन संसद् ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को बनाया था तो उसमें यह उपबन्ध था कि न्यायाधिकरण के निर्णय अन्तिम तथा निर्णायक होंगे।

जन प्रतिनिधान अधिनियम में यह व्यवस्था की कि उस से कोई अपील नहीं होनी चाहिये। ऐसा ही उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में ऐसा ही कहा है।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं एक बात कह दूं कि सरकार स्वयं उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचनाओं के बारे में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार देने का विचार कर रही है और उस का प्रभाव यह होगा कि फिर अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कोई आदेश लने की आवश्यचता नहीं रहेगी।

श्री श्रीनारायण दास : मेरा अधिनियम तो 1963 में सदन में प्रारंभ किया गया था तथा राय जानने के लिये परिचालित किया गया था।

पहले सामान्य निर्वाचन के पश्चात बहुत से मामले अपील के लिये आये ताकि न्यायालय अपना निर्णय दे सकें। उन में से कुछ पर तो फैसला अभी तक भी नहीं हो सका। इसी कारण मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींच रहा हूं।

संविधान में जो शब्द लिखे हैं इस से तो यह पता चलता है कि न्यायालयों को उस में हस्तक्षेप करने से रोक दिया।

संसार के बहुत से देशों में न्यायपालिका की शक्तियां निर्धारित कर दी हैं कि वह जन प्रतिनिधान के मामले में किन किन मामले को ले सकते हैं। मेरा कहना यह है कि न्यायालय इन पर इतना अधिकार रखे जितना यह सदन उन्हें अधिकार देवे। चुनाव याचिकाओं के बारे में भी यह सदन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को भी कुछ अधिकार दे।

हमारे देश में मुकदमेबाजी बहुत महंगी पड़ती है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन याचिका सुनने का अधिकार दें ताकि बाद में उनको इस बारे में कोई अपील न कर सके।

हमें यह भी देखना है कि निर्वाचन याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय हो अन्यथा निर्वाचन का अर्थ ही समाप्त हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यह विधेयक एक प्रतिक्रियावादी है जिसे सदस्य महोदय यहां पास कराना चाहते हैं।

यदि यह विधेयक पास हो गया तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के वह अधिकार समाप्त हो जावेंगे जो उन्हें दिये गये हैं।

पहले जो अधिनियम था अर्थात जन प्रतिवेदन अधिनियम, 1951 उसमें उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकार समाप्त नहीं किये गये थे। मैं अपने मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन न्यायालयों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं जोकि बहुत ही आवश्यक है। मेरे ही मुकदमे में न्यायाधीश मेहरचन्द महाजन ने कहा था कि न्यायाधिकरण ने ग़लत कारणों से मेरे मामले में निर्णय दिया। उन्हों ने यह भी कहा कि यह ग़लत है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को अपील लेने का अधिकार नहीं है।

यह अच्छा है कि सरकार इस दिशा में एक अच्छा विधेयक ला रही है। आपको मालूम है कि स्वर्गीय सरदार प्रतापसिंह कैरों के 1957 के निर्वाचन का निर्णय 1962 के सामान्य निर्वाचन के समय भी तय नहीं हो पाया था। उनके मरने के पश्चात ही वह समाप्त हुआ।

इसलिये मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें। मैं इस विधेयक पर विचार के प्रस्ताव तथा इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : यह जो विधेयक मेरे मित्र ने पेश किया है प्रशंसनीय है। जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का संबंध है यह ठीक है परन्तु इसे कार्यान्वित करना कठिन होगा।

उच्च न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार हो परन्तु उसमें यह नहीं होना चाहिये कि बाद में उच्च न्यायालय का पूरा बेंच इसे सुने। इस मामले को उच्च न्यायालय एक ही बार में समाप्त कर दे। हां, उच्चतम न्यायालय को जो अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अधिकार दिये हैं वह वैसे ही रहने दिये जाने चाहिये क्योंकि हम ने देखा है कि उच्च न्यायालय के कुछ निर्णय गलत होते हैं। विधि मंत्री जब विधेयक लायें तो इन बातों का ध्यान रखें।

श्री मानसिंह पु० पटेल (मेहसाना) : मैंने स्वयं देखा है कि निर्वाचन याचिकाओं का बड़ी देर तक निबटारा नहीं होता। कोई भी याचिका दो वर्ष से पहले तो निबटाई ही नहीं जाती।

जहां तक विधेयक के भाव का संबंध है मैं प्रस्तावक के साथ हूं। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वह स्वयं एक विधेयक ला रहे हैं। आपको पता है कि उच्च न्यायालयों के पास तो पहले ही बहुत कार्य होता है। साथ ही मैं अपने मित्र के साथ भी सहमत हूं कि चुनाव याचिका देर तक चलती रहती हैं। यदि माननीय सदस्य इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूं क्योंकि मेरे विचार में इसका कोई लाभ न होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं तो यह कहूंगा कि यह मामला तब हल हो सकता है जब कि आप उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार दें और उसके लिये आप विशेष कानून बना सकते हैं। साथ ही कानून में समय भी निर्धारित कर देना चाहिये ताकि उस समय तक निर्णय दिये जा सके। मुझे पता है कि इस प्रकार समय निर्धारित करना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करे। मुझे आशा है कि सदस्य महोदय इस विधेयक को वापिस ले लेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Deputy Speaker, I oppose the Bill of Shri Shree Narayan Das. He has twisted the facts. If he is to have his way then the high officials of the Government will decide matters. It is good that High Courts and Supreme Court has got those powers and those whose cases are decided against them in lower courts, get favourable judgement sometime in higher courts.

I admit that such a process is very time ensuring. But the remedy for that can be that a time limit of say 6 months in the maximum may be fixed for deciding such cases.

Secondly about costs I would say that the same should be brought down and Government should give concession in the form of stamp fee etc. to the aggrieved party. This concession may be to the extent of 25 per cent to 30 per cent.

I would request the mover of the Bill to withdraw it.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : विधेयक को पेश करने वाले की मनशा यह है कि निर्वाचन याचिकाओं का शीघ्र ही निबटारा हो। परन्तु साथ ही वह उच्च न्यायालय को अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। मुझे स्वयं इसका बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है। थोड़ी सी बात के लिये मैं चुनाव याचिका लड़ता रहा जिस पर मुझे 14,000 रुपये व्यय करना पड़ा।

खर्चे के बारे में मैं यह कहूंगा कि नीचे की अदालतों में गवाही आदि ले ली जायें और उच्च न्यायालय में फिर याचिका पर विचार हो। इस से खर्चे में कमी होगी।

[श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा]

वैसे चुनाव के खर्च कम होने चाहिये। निर्धन व्यक्ति तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जब एक निर्धन को चुनाव मुकदमा लड़ना पड़े और वह जीत जाये तो उस व्यय का उसे भुगतान किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदस्य महोदय इस विधेयक को वापिस ले लेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा विचार यह है कि निर्वाचन कानून में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक अधिकार देंगे। यदि मैं यहां रहा और वह विधेयक लाया गया तो मैं उसका पूरी तरह विरोध करूंगा।

इसलिये कानून को जैसे का तैसा रहने दिया जाये। हमें चाहिये कि लोकतन्त्र को नीचे से ऊपर की ओर ले जायें।

अभी खर्च के बारे में भी एक प्रश्न आया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन से चुनाव लड़ने के लिये किस ने कहा था। यदि चुनाव लड़ना है तो फिर खर्चे का रोना मत रोओ। चुनाव किसी इनाम के लिये नहीं लड़ा जाता। यदि लड़ते हो तो फिर इसकी अच्छाई और बुराई को भी भुगतो। हां एक सुझाव मैं दूंगा कि यदि कोई व्यक्ति चुना जाता है और उसके विरुद्ध चुनाव याचिका होती है तो उस पर जो व्यय हो वह लोक सभा अथवा विधान सभा जिसका वह सदस्य है वह दे।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि निर्वाचन कानून जसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाये।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इससे मेरा एक विशेषाधिकार छिन जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to draw the attention of the mover of tnis Bill to Articles 141 and 144 of tne Constitution. The provisions of the Bill should be examined from the point of view of their effect on the judicial system of our Country. Article 141 of the Constitution provides that the declared by the Supreme Court will be binding over all the Courts; that article and also article 144 were framed with the object of seeing that there was uniformity of law and of the judicial procedure in our Country.

So, if we exclude the jurisdiction of the Supreme Court and High Courts in electoral matters, it would mean that there will be no uniformity in the Country in regard to the election laws and it will strike at the unity of the Country. Tne exclusion of the jurisdiction of the Supreme Court will be against the very basis of our judicial system and it should not be attempted.

The second amendment relates to Article 226 of the Constitution. Article 226 is very important because it gives alright to the people to go to the High Courts for the enforecement of their constitutional and legal rights. Any curtailment of that right would be highly undesirable.

The impartiality of the election tribunals has already been questioned by the people and if the Bill is accepted, the people will lose all faith in them. The election tribunals should be abolished and the disputes should go straight to the high Courts. The Bill should be withdrawn in the interest of maintaining the uniformity of law as also the unity of the Country. If the Government wants to preserve the independence the judiciary and to ensure that people continue to have faith in it, it should bring forward a Bill which will debar the judges of High Courts and Supreme Court from becoming ministers, ambassadors etc. The Government should make a study of the election petitions that have been coming and in the light of that bring forward a comprehensive amendment of the election law.

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति तब तक नहीं देता जब तक कि अन्तर्ग्रस्त प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का या संविधान के विवेचन सम्बन्धी न हो। अनुच्छेद 136 का सम्बन्ध विशेष मामलों से है। अनुच्छेद 132 का सम्बन्ध साधारण मामलों से है। इसलिय इसम विशषाधिकार पर रोक लगाना उचित नहीं है। अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को दी गई विशप शक्तियों को वापस लेने का कोई भी प्रयास एक प्रतिगामी कदम होगा।

जब चुनाव न्यायाधिकरण में एक ही न्यायाधीश हो जो कि जिलाधीश हो तो यह उचित होगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्धित उच्च न्यायालय को अपील की जाने की अनुमति होनी चाहिये।

हम शीघ्र ही एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे जिससे केवल उच्च न्यायालय ही चुनाव याचिकाओं को निपटा सकेंगे। चुनाव न्यायाधिकरण अनावश्यक है तथा इसमें बहुत समय लगता है। यदि एक बार इसको समाप्त कर दिया जाता है तो कोई भी उच्च न्यायालय में याचिका दे सकता है और उच्च न्यायालय ही इसका फैसला करेगा। तब अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सामान्य अपील की जा सकेगी। इसलिये यह एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे याचिकाओं का शीघ्र निर्णय हो सकेगा। विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Shree Narayan Das (Durbhanga) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the object of my Bill was not to curtail the jurisdiction of the Supreme Court or the High Courts in any way. What was intended was that election petitions should be presented only to such authority and in such manner as was provided for by a law made by the appropriate Legislature. That was the intention of the framers of the Consititution, as can be seen from Artilce 329; the word "not with standing" there is very important. They wanted that the other courts should have no jurisdition in the matter of election petitions.

Now that the Government is bringing an amendment to the Representation of the People Act conferring original jurisdiction on the High Court in the matter of election petitions and it has in a way accepted the principle underlying the proposed amendment, the Bill may be allowed to be withdrawn.

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*The Bill was, by leave, withdrawn.*

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1965 (धारा 5 का संशोधन)

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL, 1965 (AMENDMENT OF SECTION 5)

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that leave be granted to withdraw the "Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1965".

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1965 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 1 और 393 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 1 AND 393)

Shri Krishna Deo Tripathi (Unnao) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move :

"that a Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

It is correct that when the constitution was framed the ideal of Socialism was not clear to us. On the 13th December, 1946 Jawaharlal Nehrau had said :

"You all know that this Constitutent Assembly is not what many of us whished it to be."

Further he said :

"Others might take objection to this Resolution on the ground that we have not said that it should be Socialistic State. Well, I stand for socialism and, I hope, India will stand for Socialism and that India will go towards the Constitution of a Socialist State....."

Wnen we had accepted the Socialistic pattern of Society as our objective, it is necessary that it should be suitably incorporated in our Constitution. The ruling party has on various occasions expressed its faith in Socialism and has declared more than once that its aim is to establish a Socialistic Society in the Country. In our industrial policy and also in our plans we have set that object before us. For an underdeveloped country like India, undoubtedly, Socialism is the only hope for the future.

During the last 19 years it has been made abundantly clear that in times of crises the whole nation can stand as one man and that the feeling of unity prevails in the Country. That feeling of oneness is there because of the democratic procedures we have been following. But we have also to recognise the fact that all these years we have not been able to build a society which is free from poverty, exploitation, inequalities and injustice. Since we have failed to take speedy measures to achieve the goal of a socialistic Society, the inequalities and disparities are still continuing and assuming bigger dimensions.

It is only after the removal of economic stagnation and inequalities that the basic unity of the Country can be maintained and for that we will have to embark upon a socialistic programme, if we do not do that we will not be able to safegaurd democracy in our Country. Unless we have a combination of democracy and socialism, we cannot march ahead. Then there is the danger from fascism and communal elements also which are showing their head to destroy our unity. We can get over these elements only through a socialistic programme. Therefore, when we have accepted the socialistic pattern of society as our objective, we should see that this objective is incorporated in our Constitution. In fcat this should have been done much earlier, but even now it is not late. The Bill seeks to amend articles 1 and 393 of the Constitution by adding the words "Sovereign Democratic Socialist Republic".

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कन्डपन : श्री त्रिपाठी अपने विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 और 393 में "सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक समाजवादी गण-राज्य" शब्द जोड़ना चाहते हैं। आप देखेंगे कि ये शब्द स्वयं प्रस्तावना में दिये गये हैं। क्या इन शब्दों को रखने मात्र से समाजवादी, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य स्थापित करने की समस्या हल हो जायेगी ? हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग की सामाजिक दशा क्या है। और उनका माननीय स्तर किस कदर नीचा है। अतः पहले इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। जहां तक संविधान का संबंध है यह बिल्कुल दोषरहित नहीं है।

मैं उन माननीय सदस्यों से जो संविधान के ज्ञाता हैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हीं कारणों से देश में भेद-भाव किया जाता है। भाषा के आधार पर भी करीब 2/3 जन संख्या के साथ भेद-भाव किया जाता है। इस अनुच्छेद में "भाषा" को शामिल न कर के और भाषा के बारे में संविधान के भाग 17 को रखकर, अहिन्दी भाषी लोगों को—दूसरे दर्जे का स्तर दिया गया है।

अतः सरकार को चाहिये की संविधान में कुछ शब्द रखने तथा उसमें से कुछ शब्दों को हटाने के स्थान में ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे देश समाजवाद की ओर आगे बढ़े।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : The spirit behind the bill seeking to amend the Constitution is very good. This bill seeks tc amend article 393 and the definition given in the preamble of the Constitution. Shri Tripathi wants to add the word "Socialist" to the definition "Sovereign Democratic Republic", so that it may read "Sovereign, Democratic Socialist Republic". I think the shorter the name, the better.

It is correct that our aim is to establish a socialistic pattern of society. It is just possible that it may take some time before our aim is fulfilled. By adding the word "Socialist" to the name, the fulfilment of our aim cannot be expedited.

Ours is a completely independent country. We do not work under anybody's pressure. All the power in the Country is people's power. We are here as elected representatives of the People. Our Constitution is based on democratic principles. The preamble too is on democratic lines. We have already decided for socialism. Though I support whatever he has said but I think there is hardly any need of this amendment in the preamble. The Directive principles of state policy given in the Constitution are very clear and if we implement them we can soon make our country a nice, model country.

There is no need of amending article 393 of the Constitution. I understand that if Socialism is not brought to our country very soon, the democracy in our country may be in danger. We should soon complete the various plans and projects and thus eradicate poverty from the country. I am of the opinion that even the word "language" need not be added. We are not making any discrimination between the Southern and the Northern parts of the country. Nobody is discriminated against on grounds of race, birth, caste etc. This is a matter of principle which we have already accepted. Nobody is diseriminated against on grounds of 'language'. If an honourable member thinks that it is not so, then it is only his misunderstanding.

I feel there is no need of this bill at all.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री कृष्ण देव त्रिपाठी ने जो दलील दी है वह बड़ी स्पष्ट और उपयुक्त है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जितना छोटा नाम होगा उतना ही अच्छा होगा। परन्तु संसार के किसी भाग में छोटा नाम नहीं है। देशों के न कि व्यक्तियों के नाम छोटे नहीं है। उदाहरण के लिये वे पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी नहीं कहते। वे कहते

[श्री दी० चं० शर्मा]

हैं "जर्मनी का संघीय गणतंत्र" अथवा "जर्मनी का लोकतंत्रीय गणतंत्र"। इसी प्रकार ब्रिटेन को "युनाइटेड किंग्डम" तथा रूस को "सोवियट यूनियन आफ रिपब्लिक्स" कहत हैं। प्रत्येक देश ऐसा नाम चाहता है जिससे उसका स्वरूप अथवा गुण का पता चले। हमारे देश को "भारत" अथवा "इंडिया" कहत हैं। हम इन नामों से प्रेम करते हैं परन्तु हमारे देश का यदि कोई वर्णनात्मक नाम रखा जाये तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ठीक होगा।

दुर्भाग्य से लोक सभा के अधिकांश सदस्यों की काफी आयु है। वे कोई परिवर्तन नहीं चाहते। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि नई पीढी के बारे में आपका क्या विचार है? उनको भी पता होना चाहिये कि उनके देश का नाम केवल भारत नहीं है बल्कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक समाजवादी गणराज्य है।

'प्रभुसत्ता' हमारे विचारों में सर्वोच्च है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न है। यह बात लिखित में भी होनी चाहिये। हमारा देश लोकतंत्रीय समाजवाद के सिद्धांतो को मानता है। कुछ लोग कहत हैं कि हमने सामाजवाद का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया है। अंग्रेजी राज्य के समय सब से अधिक वेतन पाने वाले तथा सबसे कम वेतन पाने वाले लोगों की संख्या में 300 : 1 का अनपात था। अब अन्तर का अनुपात 30 : 1 है। शीघ्र ही 10 : 1 का अनुपात हो जायेगा। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये कार्य कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे देश के वर्णनात्मक नाम में 'लोकतन्त्र' तथा 'गणतन्त्र' भी जोडे जाने चाहिये। लोकतंत्रीय तथा गणतंत्रीय सरकार सब से अच्छी प्रकार की सरकार है और यह बात सिद्ध हो चुकी है। लोकतंत्र युद्धकाल तथा शान्तिकाल दोनों में ही ठीक ढंग से कार्य करती है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण अगले सत्र में जारी रखें।

अत्यावश्यक वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION REGARDING DECONTROL OF ESSENTIAL COMMODITIES

श्री हरिचन्द्र माथुर (जालोर) : सरकार द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगाने तथा उन पर से नियंत्रण हटाने के कार्यक्रम में भ्रम के कारण दल के बाहर तथा अन्दर बड़ा शोर शराबा है। आजकल प्रत्येक बात आर्थिक प्रशासन से सम्बन्धित है और इसी कारण लोगों का ध्यान इस ओर लगा हुआ है। अतः यह अच्छा होगा कि वित्त मंत्री इस बारे म स्पष्टीकरण करें।

विश्व बैंक मिशन के प्रमुख श्री बरनार्ड बैल ने कहा है कि वर्तमान नियंत्रण प्रणाली से कोई राहत नहीं मिलती और न कोई लाभ है। वह चाहते हैं कि हम अपने आर्थिक प्रशासन में सुधार करें।

सरकार ने सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया है। सीमेंट की कमी है और सरकार ने उसे इस कारण विनियन्त्रित किया है कि ऐसा करने से सीमेन्ट उद्योग को 25 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इस के अतिरिक्त सरकार सीमेन्ट उद्योग को 70 से 80 करोड़ रुपये का ऋण देगा जिसे कि सीमेन्ट उद्योग अपना उत्पादन दुगना कर सकेगा। लोगों पर कर लगा कर सरकार उद्योगपतियों की सहायता कर रही है जिनके पास धन की अधिकता है जबकि सरकार की नीति यह है कि धन एक स्थान में एकत्रित न हो।

जहां तक चीनी का प्रश्न है, सरकार ने उस पर नियंत्रण जारी किया हुआ है जबकि $7\frac{1}{2}$ लाख टन चीनी फालतू है। सरकार ने इसको विनियंत्रित इस कारण नहीं किया है कि चीनी उद्योग यह चाहता है कि नियंत्रण जारी रहे। इसके अतिरिक्त चीनी को इतनी अधिक प्राथमिकता देना ठीक नहीं है। विकास कार्यों के लिये चीनी की तुलना में सीमेन्ट की अधिक आवश्यकता है।

अनाज के बारे में जो हो रहा है वह यह है कि राजस्थान तथा अन्य स्थानों में एक जिले से दूसरे जिले में अनाज लाने लेजाने के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। अतः इस कारण प्रत्येक स्तर पर गड़बड़ी फैली हुई है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि वह विनियंत्रण करते समय मूल्यों की वृद्धि पर कड़ी निगाह रखते हैं। परन्तु नियंत्रण उठाने के बाद वनस्पती तेलों के मूल्यों में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह उद्योग उपभोक्ता का शोषण कर रहा है।

इसी प्रकार दिल्ली में विशेष रूप से चाणक्यपुरी में भूमि का भाव 10 रुपया प्रति वर्ग गज था। आज भूमि का भाव 400 रुपया प्रति वर्ग गज है। मूल्यों की वृद्धि पर कोई कड़ी निगाह नहीं रखी गई है।

कोयले पर नियंत्रण लगाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस सम्बन्ध में सारे संगठन को समाप्त किया जा सकता है।

अब मैं स्वर्ण नियंत्रण को लेता हूं। स्वर्ण नियंत्रण से कोई लाभ नहीं हुआ है। यह जितनी शीघ्रता से हटाया जायेगा उतना ही अच्छा है।

मेरा सुझाव है कि नियंत्रण तथा विनियंत्रण के बारे में जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये एकीकृत तथा समावेशक दृष्टिकोण की व्यवस्था होनी चाहिये। विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रणों के बीच तालमेल नहीं है और सारे नियंत्रणों का व्यापक पुनरीक्षण नहीं किया गया है। ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है जो आवश्यक नियंत्रणों के बारे में योजना बनाये और परिस्थितियों के परिवर्तन होने पर उनके हटाये जाने की सिफारिश करे। सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि समूचे विषय पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्री माथुर ने कहा है कि सीमेंट के विनियंत्रण से उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार स्थापित होगा। परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यह ठीक है कि जिस मूल्य के लिय उन्हें अनुमति दी गई है उस में लाभ की मात्रा शामिल है। परन्तु इस का यह मतलब नहीं है कि सीमेंट के उत्पादकों को कोई वचन दिया गया है कि नये उत्पादक उस उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकते। सीमेंट के मूल्य में लाभ की गुंजाइश रखने से नये उपक्रमिकों को प्रोत्साहन मिलेगा न कि वे निरुत्साहित होंगे।

जहां तक चीनी के उत्पादन का प्रश्न है 1964-65 तक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जो बढ़कर 1964-65 में 32.6 लाख टन हो गई थी। 1963-64 में 5.7 लाख टन चीनी की सप्लाई हुई। 1965-66 के आरम्भ में मिलों के पास 6.7 लाख टन चीनी का स्टाक था उत्पादन 33 लाख टन है। वर्तमान उत्पादन में से 5 लाख टन चीनी को निर्यात के लिये रखा जायेगा। अतः 6.7 लाख टन चीनी के स्टाक के अतिरिक्त 28 लाख टन चीनी और वर्तमान उपभोग के लिये उपलब्ध है। यदि वर्तमान ऋतु में हमारी घरेलु खपत 27 लाख टन होगी तो नियंत्रणों की आवश्यकता होगी। हमारा अक्तूबर 1966 के अन्त में फालतू स्टाक 6.7 लाख टन में 1 टन और मिलाने से 8 लाख टन के करीब हो जायेंगे। चीनी जांच आयोग ने यह सुझाव दिया था कि चीनी के अगले मौसम से यानी नवम्बर 1966 से चीनी को विनियंत्रित कर दिया जाये यदि उस समय तक हम 12 लाख टन का फालतू स्टाक बना लेते हैं। वर्ष के

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

अन्त तक हम केवल 8 लाख टन का फालतू ("बफर") स्टाक बना सकेंगे। अतः हम इस समय चीनी पर से नियंत्रण नहीं हटा सकते। अगले गन्ना पेलने के मौसम के आरम्भ में हम अगल वर्ष के उत्पादन के बारे में अनुमान लगा सकेंगे क्योंकि उस समय गन्ने की फसल का भी अन्दाजा हो जायगा। हो सकता है कि उस समय मैं चीनी का विनियंत्रण कर सकूं अथवा आंशिक विनियंत्रण कर सकूं। मैंने खाद्य मंत्री महोदय से भी चीनी के विनियंत्रण के लिये कहा है परन्तु कारण यह है कि ऐसी स्थिति आ गई है जब आयोग द्वारा सिफारिश की गई मात्रा का केवल 2/3 ही हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम विनियंत्रण के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

जहां तक नियंत्रणों के बारे में राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, हमारी योजना बद्ध अर्थव्यवस्था है। नियंत्रण के मामले में योजना आयोग हमें मंत्रणा देता तब ही नियंत्रण लगाय अथवा हटाये जाते हैं।

स्वर्ण नियंत्रण का भी प्रश्न उठाया गया था। इस बारे में मैं मंत्रिमंडल में अपने साथियों से परामर्श करूंगा और यदि कुछ किया जा सकेगा तो किया जायेगा। परन्तु मेरा अपना यह विचार है कि स्वर्ण नियंत्रण असफल नहीं हुआ है।

खाद्य तेलों का मामला खाद्य मंत्रालय से सम्बन्धित है। फिर भी चूंकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में उत्तर दूं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, जो हमारे देश में है, आवश्यकता होने पर नियंत्रण लगाने पड़ते हैं ताकि सप्लाई बारबर जारी रहे। जब पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो तो नियंत्रण हटाये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक नीति बनायें जो हमेशा के लिये हो और हर परिस्थिति में ठीक हो।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 14 मई, 1966 / 24 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, May 14, 1966/ *Vaisakh* 24, 1888 (*Saka*).

GIPN—S 4—75L. S./66—28-10-67—565